Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का ६७वां दिवस [संख्या ३९

गुरुवार, १७ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

बिजलीघर, दौसा

१४४६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि दौसा बिजली घर के इन्चार्ज ने सरकारी बिजली की लाइन से सीधी डोरी डालकर बिना मीटर के अपने निवास स्थान पर बिजली का उपयोग किया ?

(२) यदि हां, तो वह किस कानून के आधार पर ?

(३) क्या इस तरह बिजली उपयोग के लिये इन्चार्ज दौसा बिजलीघर को विभाग ने कोई लिखित अधिकार प्राप्त थे ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में जनता द्वारा कोई शिकायत की गई ?

(५) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सत्य है कि विभाग की उदासीनता देखकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना करने पर दौसा की पुलिस ने भी इस विषय में हस्तक्षेप किया ?

(७) क्या यह सत्य है कि पुलिस द्वारा बार बार इस विषय में विभागीय अधिकारियों से अनुरोध करने पर कि इस विषय में शीघ्र निर्णय लिया जावे विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही दबा दी गई एवं व्यक्ति विशेष का पक्षपात कर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया व सरकारी कोष को क्षति पहुँचाई ?

(८) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस तरह की गलत कार्यवाही से सरकार को कितनी

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

क्षति हुई एवं इस क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाया गया ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। परन्तु जो बत्ती लगाई हुई है वह सरकारी कार्य के लिए लगाई हुई है ।

(२) यह किसी कानून विशेष से सम्बन्धित नहीं है परन्तु विभागीय व्यवस्था का विषय है।

(३) दौसा इन्चार्ज ने जो बत्ती अपने निवास–स्थान पर सरकारी कार्य के लिये लगाई थी उसकी पुष्टि विभागीय अध्यक्ष ने कर दी थी।

(४) जी हां ।

(५) शिकायत ठीक नहीं निकली।

(६) जी नहीं, ऐसा मालूम होता है कि एक शिकायत पुलिस को भी की गई थी। विभाग ने जो जांच की थी उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी।

(७) जी नहीं।

(८) यह प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर): किसी के निवास स्थान पर बिजली दी गई या सरकारी काम था इसलिए बिजली दी गई ?

श्री भीखाभाई : दौसा में यहां से बिजली सप्लाई की जाती है जो लगातार २४ घण्टे दी जाती है। स्विच बोर्ड के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। हैड-मैन दो-तीन फर्लांग दूर रहता है। वहां उसके लिए इन्डीकेटर लगाया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : यह उन्हीं के निवास स्थान पर या दूसरे अधिकारियों के भी निवास स्थान पर भी है !

श्री भीखाभाई : जिन परिस्थितियों में वहां बिजली लगाई गई है वह यह है कि वह सब-स्टेशन हैं, दूसरा कोई स्टॉफ है नहीं, यह जो विशेष प्रकार की परिस्थिति में लगाई गई है जिससे खराबी हो तो इन्डीकेट किया जा सके।

डॉ० चन्द्रकला : सीधी डोरी डाल कर क्यों ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सुविधा की बात है। बिजली में खराबी होती है तो इन्डीकेटर लगा रखा है। यह गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन से है।

श्री जयसिंह राणावत : सरकारी अधिकारियों से हाऊस रेन्ट लिया जाता है तो क्या बिजली का किराया भी लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इससे इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

अकॉउन्टेन्ट, डिवीज़न फोरेस्ट ऑफिस से नल, बिजली व भवन किराये की वसूली

१४४७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डिवीज़नल फोरेस्ट ओफिसर के अकॉउन्टेंट श्री सांवतमल ग्रास फार्म के रेन्जर के क्वॉर्टर में लगभग ५ वर्ष से रहते हैं ?

Page No.3

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ख) क्या सांवतमल से नल, बिजली एवं भवन का किराया वसूल हुआ ?

(ग) यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) १६७) रु० बाकी की वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या वे इजाजत लेकर रह रहे थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप्रसाद माथुर।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत के अपराध में सरपंच, ग्राम मंगलौना (लक्ष्मणगढ़) की गिरफ्तारी

१४४८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि ग्राम मंगलोना तहसील लक्ष्मणगढ़ के सरपंच को रिश्वत लेने के अपराध में दिनांक ६-११-५६ को एन्टी करप्शन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) रिश्वत के मामले में इस केस की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पंचायत विभाग द्वारा अभी पूरी न होकर सरपंच का चालान करने की मंजूरी नहीं आयी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कब तक आ जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको तकाज़ा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

मछलियों का ठेका

१४४९. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मछलियों के ठेके देने के आधार क्या हैं ?

(ख) तहसील बिलाड़ा में ऐसी कौन २ सी जगह हैं जहां मछलियां के ठेके दिये जा सकते हैं ?

(ग) सन् १९५७-५८ में बिलाड़ा तहसील में किन २ जगहों पर मछलियों के ठेके दिये गये व कौन २ सी तारीख को दिये गये ?

उप मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) मछलियों का ठेका खुली बोली द्वारा नियमानुसार अधिक से अधिक बोली वाले को दिया जाता है।

(ख) राजस्थान में अभी मछलियों की

Page No.4

(श्री दौलतराम सारण)

पैमाइश (सर्वे) नहीं हुई है। अतः यह स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है कि कौन कौन सी जगहो का ठेका दिया जा सकता है।

(ग) सन् १९५७-५८ में बिलाड़ा तहसील में बन्द पिचाक का ठेका तारीख १४-६-५७ को दिया गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि जयसमन्द का ठेका खुली बोली से दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : पहले बिलाड़ा का प्रश्न आ जाने दिया जाय।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या जसवन्त सागर की पैमाइश नही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उसमें मछलियां थी यह पता था और जब ही ठेका दिया गया।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सर्वे की गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मछलियों के लिए डोरें या चेन डालना ही नाप तोल का सर्वे नहीं है। मछलियां कैसी हैं, किस क्वालिटी की हैं, काफी तादाद में ठेका देने लायक हैं या नहीं, यह जानकारी करके ठेका दिया जाता है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि पिछले सुपरवाइजर ने एक बार भी उसको जाकर नहीं देखा है कि कितनी मछलियां हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शायद नहीं देखा है, बिना देखे भी जानकारी में आ सकता है, दरयाफ्त किया जा सकता है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या दफ्तर में बैठे बैठे ही जानकारी आ गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसी जानकारी दे सकते हैं और जो इन्ट्रेस्टेड होते हैं वे जानकारी दे सकते हैं और ठेका ले सकते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है, ठेका देने से दस दिन बाद ही वहां पानी सूख गया और उनको कोई मछलियां नहीं मिली ?

श्री नाथुराम मिर्धा : नहीं मिली तो पैसा कमाया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायतों को मछलियों के लिए क्यों नहीं अधिकार दे देते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायतों को अभी कोई ऐसे अधिकार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित !

केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

१४५०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मंत्री, मुद्रणालय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर के कंपोज़, बाइंडिंग व प्रेडिंग करने वाले कर्मचारियों का ग्रेड एक समान है ?

(ख) यदि हां, तो बाइन्डिंग करने वालों के पास सबसे ज्यादा काम होते हुए भी ग्रेड कम क्यों है ?

Page No.5

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(ग) क्या उनके ग्रेड में वृद्धि की जायगी ? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

मंत्री मुद्रणालय विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं ।

(ख) अगल अलग ग्रेड्स हैं । काम की आवश्यकता, ट्रेनिंग के आधार पर अलग अलग स्केल किये गये हैं ।

(ग) इस विषय में एक कमेटी बनाई गई थी उसने बाइन्डिंग करने वालों के लिए सिफारिश नहीं की इसलिए ग्रेड में वृद्धि नहीं की जा सकी ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीम सेन ।

केनाल प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारियों की भर्ती

१४५१. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए अब तक किस २ श्रेणी के नये कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों की भर्ती एडवरटाइज़मेंट करके की गई ? अगर हां, तो कब ? कृपया विज्ञप्तियों की प्रतिलिपियां सदन की मेज़ पर रखें ।

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) नियुक्ति किस प्रकार हुई इसका विवरण सूची में दिया गया है । सहायक अभियन्ता के स्थान के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को सलेक्शन के लिए लिख दिया गया है, ड्राफ्टसमैन, इन्जीनियरिंग सबोर्डिनेट्स, इन्जीनियरिंग सबोर्डिनेट्स मैकेनिकल, ज्यूनियर ड्राफ्टसमैन, ट्रेसर, कम्प्यूटर व मिस्त्रियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने विज्ञप्ति संख्या एफ ७ (२७८) रिक्ट ५७-५८ । आर. पी. सी. ५१६१५, दिनांक २४ । ३१ मार्च, १९५८ से निकाल दिया गया है । विज्ञापन की प्रतिया सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल के लिए ड्राफ्टसमैन रखे गये हैं ?

श्री भीखाभाई : जी हां । टेम्प्रेरी बेसिस पर अपोन्टमेन्ट दिया गया है । They are subject to final selection by the P.S. C.

श्री भीमसेन : कितने असे से टेम्परेरी काम कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : टेम्परेरी पीरियड भरा जा सकता है ।

बड़ौद शाहजहांपुर सड़क का निर्माण

१४५२. **श्रीमती गंगादेवी** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अलवर ज़िले में बड़ौद से शाह-जहांपुर की सड़क का निर्माण कब तक हो जावेगा ?

Page No.6

(श्रीमती गंगादेवी)

(ख) क्या पहले इस सड़क के निर्माण के टेन्डर मांगे जा चुके हैं ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ ?

(ग) क्या यह सड़क प्रथम पंच वर्षीय योजना में मंजूर शुदा है ? यदि हां, तो इसके निर्माण में देरी के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(ख) जी हां, रेखण (अलाइनमेन्ट) बदलने के कारण ।

(ग) जी, उत्तर दिया जा चुका है ।

श्रीमती गंगादेवी : (ख) भाग का उत्तर समझ में नहीं आया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलाइनमेंट बदलने के कारण ।

श्रीमती गंगादेवी : क्या प्रथम पंच-वर्षीय योजना में आ चुकी थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी रोड्स के साथ में थी इसका भी कान्ट्रेक्ट हो गया था अलाइनमेंट बदल जाने के कारण ठेकेदार ने काम नहीं किया, दूसरा अलाइनमेन्ट पहले नहीं हुआ था, अब करेंगे ।

श्रीमती गंगादेवी : क्या इसके टेन्डर मांगे गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें दो तीन झगड़े पड़े हुये हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन कौन से गांव होकर जाती थी यह बता सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Detail survey was to be made but it could not make much headway as there was trouble and dispute form the villagers when the road lines were laid. The Land Acquisition Officer and the Assistant Engineer had to be sent to hear objections of the local leaders and the public.

Due to this dispute the alignment work was stopped.

श्रीमती गंगादेवी : इसके बनने में इतनी देरी क्यो हो रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोकल झगड़े अभी खत्म नहीं हुए ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार के पास लोकल डीलर्स के नाम मौजूद हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास नहीं हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो आप किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि वहां लोकल डीलर्स के कारण यह नहीं बन सकी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अनुमान नहीं, यह तो ठेकेदार के अलाइनमेंट के झगड़े के कारण ।

श्रीमती गंगादेवी : नाम तो मालूम करना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नगरपालिका नवलगढ़

१४५३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर

Page No.7

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है म्युनिसिपल बोर्ड, नवलगढ़ ने दिनांक १७.३.५६ को एक जमीन श्री मदनलाल जोशी को प्रस्ताव पास कर बेची तथा इस जमीन की रकम जमा कर निर्माण की इजाजत दे दी ?

(२) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के प्रस्ताव की अवहेलना कर चेयरमैन ने अवैध रूप से इसी बेची हुई ज़मीन के एक भाग को पुनः बेच दिया है ?

(३) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही चल रही है ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) मामला सरकार से विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब आपने 'जी नहीं' कहा तो मामला क्या विचारा-धीन है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : श्री मदन लाल जोशी ने शिकायत की थी इसलिये वहां से कागजात मंगाये उन कागजातों को दुबारा देखने के बाद उसके उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए।

श्री अनोपसिंह : यह शिकायत कब आयी थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : २६ दिसम्बर १६५७ को।

प्रश्न संख्या १४५४,

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

नगरपालिका किशनगढ़

१४५५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नगरपालिका, किशनगढ़ ने नगर के विकास कार्यों के लिये सरकार से ऋण मांगा है ?

(ख) यदि हां, तो कितना व किस किस काम के लिये तथा सरकार ने कितना ऋण देना मन्जूर किया है।

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनम-चन्द विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) पांच लाख रुपये इस प्रकार मांगे हैं :

१. टाउन हाल निर्माण १ लाख।

२. सार्वजनिक उद्यानों के लिये ५० हजार।

३. बिजली लाइन विस्तार के लिये ५० हजार।

४. नालियां, गलियां आदि के लिये २ लाख।

५. नई नालियां बनवाने हेतु १ लाख रुपया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कुल पांच लाख ।

(ग) अभी विचाराधीन है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस साल के फाइनेन्शियल इयर के एन्ड तक ।

चित्तोड़ जिले में तालाबों का निर्माण

१४५६. **श्री सुगनचन्द जैन** (बैगू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) चित्तोड़ जिले में पांच साल में कितने तालाब बंधवाये गये, कितनों से सिंचाई होने लगी तथा कितनों का काम चालू है ?

(ख) बैगू व भैंसरोड़गढ़ में कितने तालाब हैं। उनमें से कितने टूटे हुए हैं तथा कितनों से सिंचाई हो रही है ?

(ग) कितने तालाबों की सर्वे हो चुकी है और कितने की सर्वे होना बाकी है सर्वे कब हुई और कौन कौन से तालाबों पर कितनी कितनी रकम खर्च होगी ? जिन तालाबों की सर्वे हो चुकी है उनका काम कब शुरू हो जावेगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) चित्तोड़ जिले में पांच साल में अठारह तालाब बनवाये गये और करीब करीब सब ही तालाबों से सिंचाई होना शुरू हो गया है। और इनके अलावा चारों ओर तालाबों का कार्य चालू है ।

(ख) बैगू जागीर एरिया होने के कारण करीब करीब सब तालाब जागीरदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधीन हैं । केवल एक कादून्दे नाम का तालाब सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया है । रेवेन्यू महकमे ने राजगढ़ का तालाब इसी साल सिंचाई विभाग को दिया है। जिसकी मरम्मत चालू कर दी गई है । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी और कालादेह प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया है । भैंसरोड़गढ़ तहसील में सिंचाई विभाग का कोई तालाब नहीं है ।

(ग) चित्तौड़ जिले में इस समय सात बड़े तालाबों की सर्वे की जा चुकी है। सब गत वर्ष में समाप्त हुई है और उनके एस्टीमेट बन रहे हैं । तीस तालाब की सर्वे होना बकाया है । जिनकी सर्वे हो चुकी है उनके एस्टीमेट बनने के बाद यदि कार्य उपयुक्त समझा गया तो इसी वित्तीय वर्ष में कराने का प्रयत्न किया जावेगा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): इन अठारह तालाबों पर खर्चा कितना हुआ, आप कुछ अन्दाज बता सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान में इस जिले के सिवाय और कोई जिला है जहां पांच साल में अठारह तालाब बना दिये गये हों ?

श्री भीखाभाई : जहां तक मरम्मत का सवाल है जहां केनाल्स या तालाबों से इरिगेशन होती है वहां पर ज्यादा तालाब मिलते हैं, जिस जगह ज्यादा तालाब होंगे वहां दुरुस्ती कराने के लिये पैसा खर्च करना पड़ेगा ।

श्री सुगनचन्द जैन : ये जो १८ तालाब आपने बताये वे क्या नये बनवाये

Page No.9

(श्री सुगनचन्द जैन)

गये या इसमें मरम्मत शुदा तालाबों को भी शामिल किया गया है ?

श्री भीखाभाई : बहुतसों की मरम्मत भी की गई। जो नये बनाये गये उनका विवरण दे चुका हूं।

श्री सुगनचन्द जैन : कितने मरम्मत करवाये।

श्री भीखाभाई : इसका विवरण दे चुका हूं।

श्री मूलचंद डागा : क्या कई ऐसे जिले भी हैं जहां पांच सात तालाब भी नहीं हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : और जिलों के तालाब टूटे नहीं इसलिये मरम्मत नहीं कराई गई।

श्री सुगनचन्द जैन : बैगूं तहसील में जो जागीरदार के तालाब बताये वे कौन कौन से हैं।

श्री भीखाभाई : इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री सुगनचन्द जैन : बैगूं तहसील के जो तालाब टूट गये उनकी संख्या बताएंगे उसमें जागीरदारों के कौन कौन तालाब हैं।

श्री भीखाभाई : मेरे पास सूचना इस प्रकार है। कादून्दे नाम का तालाब, बनाया गया है राजगढ़ का तालाब मरम्मत चालू है इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी और कालादेह प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया है।

एक माननीय सदस्य : प्रतापगढ़ तहसील के बजरगढ़ तालाब की सर्वे हो चुकी है ?

श्री भीखाभाई : इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है।

आमोद प्रमोद कर

१४५७. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला सवाई माधोपुर के कौन कौन से म्युनिसिपल बोर्ड को आमोद प्रमोद कर लगाने का अधिकार है और उनके नियम कब गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत हुए ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) क्या यह सच है कि कई म्युनिसिपल बोर्ड बिना स्वीकृति के ही टैक्स वसूल करते हैं ? यदि हां तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) सवाई माधोपुर जिले की पांच नगरपालिकायें (१. सवाई माधोपुर, २. गंगापुर, ३. हिन्डौन, ४. टोडा भीम और ५. करौली) आमोद प्रमोद कर वसूल कर रही हैं।

पहली चार नगरपालिकायें तो भूतपूर्व जयपुर राज्य की आज्ञा संख्या ६५०। एस० सी० दिनांक २२-७-४७ के अन्तर्गत आमोद प्रमोद कर वसूल कर रही हैं। (आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है) करौली नगरपालिका यह कर राजस्थान सरकार की आज्ञा के अन्तर्गत वसूल कर रही

Page No.10

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है। इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ का पत्र संख्या १५.११ व (५.१) १३७७ दिनांक १८-८-५१ तथा शासन सचिव वाणिज्य व व्यवसाय का पत्र संख्या एफ० २१ (४१७) सी० एन्ड (ए) ए० ५१ दिनांक ८-८-५१ सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट १९५१ की धारा २ के अन्तर्गत यह कर वसूल करना जायज था।

(ख) जी नहीं। बिना सरकारी स्वीकृति के कोई म्युनिसिपल बोर्ड कर वसूल नहीं कर सकता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : जो पांच म्युनिसिपैलीटीज़ कर वसूल करती हैं, इसके अलावा दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ आमोद प्रमोद कर वसूल नहीं करती हैं क्या।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब १।४।५८ से तो सरकार वसूल कर रही है, दूसरी भी करती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : आमोद-प्रमोद कर वसूल करना सब पर समान रूप से लागू नहीं है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सब पर समान रूप से लागू है।

सड़क निर्माण

१४५८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जालौर जिले में कौन कौन सी सड़कों के निर्माण की योजना थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के माफिक कार्य पूरा नहीं हुआ है यदि हां तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निम्न सड़कों पर कार्य होने को था :

१. मेटल्ड रोड सुमेरपुर से नाहोर वाया तख्तगढ़।

२. ग्रेवल्ड रोड ब्राइक कॅटिंग जोधपुर पाली रोड मील १९ से आहोर।

३. मेटल्ड रोड, जालोर से आहोर।

४. ग्रेवल्ड रोड, सिन्दड़ी से सांचोर।

५. ग्रेवल्ड रोड, सांचोर से रानीवाड़ा।

६. मैटल्ड रोड, बगरा स्टेशन से कस्बा।

७. मैटेल्ड रोड, मलवारा स्टेशन से कस्बा।

८. जालोर टाउन से रेल्वे स्टेशन रोड पर विकास नाला।

९. आहोर से जालोर सड़क पर जवाई नदी पर 'कॉजवे' मील ४ पर।

(ख) सत्य नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : सिन्दड़ी से सांचोर तक भी कोई रोड थी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे निवेदन किया कि ६ काम थे, उनमें से सात काम तो पूरे हो गये, दो काम अधूरे रह गये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू होने वाले थे। जिस सड़क का आप नाम ले रहे है वह भी थी लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में वहां के कामों के लिये ८ लाख ५० हजार रुपये खर्च करने का टार्गेट था उसकी बजाय ८ लाख ७१ हजार ६६२ का टार्गेट अचीव कर लिया गया।

नगर विकास मण्डल, जयपुर।

१४५६. श्री सतीशचन्द (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (क) जयपुर नगर विकास मण्डल द्वारा अब तक लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत कौन कौन सी ज़मीनें एक्वायर करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश की गई है ?

(ख) उपरोक्त सिफारिशों पर कौन कौन सी ज़मीनों को एक्वायर करने के आदेश कब कब राज्य सरकार द्वारा दिये गये ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत ऐसे आशय का नोटिस दिये जाने के बाद किन्ही ज़मीनों को नगर विकास मण्डल ने अपने कब्जे में किया है ? यदि हां, तो कब और कौनसी ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत नोटिस दिये जाने के पश्चात् किन किन लोगों की ज़मीनों को बन्धन मुक्त किया गया और क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क) लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत जयपुर नगर विकास के लिये जिन जिन की ज़मीनें अवाप्त की जा रही हैं उनकी फहरिश्त सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अभी तक एल. ए. ओ. ने अपने कब्जे में ज़मीनें लेने के लिये नोटिस जारी नहीं किये हैं। अतः नगर विकास मण्डल को कोई ज़मीन कब्जे में नहीं दी गई है। इन ज़मीनों के मामले एल. ए. ओ. की कोर्ट में ज़मीदारों की तरफ से केस दायर करने पर सुनवाई हो रही है।

ठाकुर गुलाबसिंह नायला को मोती डूंगरी रोड पर स्थित भूमि अवाप्त के बंधन से मुक्त किया गया है क्योंकि इस भूमि के सम्बन्ध में नगर विकास मण्डल की ओर से भवन निर्माण के नक्शे बहुत पहले स्वीकार किये जा चुके थे। तथा श्री गुलाबसिंह एवं उनके ३ भाई इस भूमि पर स्वयं मकान बना रहे हैं।

डिग्गी ठिकाने की भूमि को भी राज्य सरकार ने बन्धन मुक्त किया है क्योंकि जो विकास इस भूमि पर ठाकुर साहब द्वारा किया जा रहा है वह टाउन प्लानिंग ऑफ़िसर जयपुर की राय से हो रहा है और ऐसा होने

(श्री पूनमचन्द)

से उचित नगर-विकास में कोई भी अड़चन पैदा नहीं होती।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

कैटल ब्रीडिंग फॉर्म, नागौर

१४६०. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-(क) कैटल ब्रीडिंग फॉर्म नागौर में सन् १६५५-५६ में कितनी गायें खरीदीं? कितने रुपये गायें खरीदने में व्यय हुये? इस कार्य की कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? इस काल में इस फॉर्म पर किसका निरीक्षण था?

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश गायें सन् ५८ में अनुपयुक्त होने के कारण छांट दी गई है? यदि हां, तो उनके ऊपर खाने पीने सम्बन्धी सामान आदि पर कितना व्यय हुआ है और वे दो साल बाद क्यों निकाली गई हैं।

(ग) इससे राज्य को कितने रुपये का नुकसान हुआ? इसके लिये उत्तरदायी कौन है तथा उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं?

(घ) क्या इसी प्रकार राज्य द्वारा संचालित अन्य फार्मों पर पशु खरीदे गये हैं, उनकी भी जांच करवाली गई है? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा, कितने पशु उपयुक्त पाये गये? यदि नहीं, तो कब तक यह जांच करवाली जायगी? भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हो, इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (क) सन् १६५५-५६ में नागौर केटिल ब्रीडिंग फॉर्म के लिये ४५ गायें खरीदी गई। ८६५३ रु० ४ आना ३ पाई गायें खरीदने में व्यय हुए। गाय खरीदने की कमेटी के सदस्य (१) डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफीसर, नागौर (२) तहसीलदार, नागौर, (३) सुपरिन्टेन्डेन्ट केटिल ब्रीडिंग फॉर्म, नागौर थे। इस काल में डिप्टी डाइरेक्टर, लाइव स्टॉक राजस्थान बीकानेर का निरीक्षण था।

(ख) सन् १६५८ में इन गायों में से कोई भी गाय अनुपयुक्त घोषित नहीं की गई और न ही नीलामी आदि के लिये छांटी गई। इसलिये प्रश्न नहीं उठाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य फार्मों पर ऐसे कोई अनुपयुक्त जानवर नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): ये गायें कहां से खरीदी गई, किस जगह की?

श्री दौलतराम सारण : नागौर की।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सांचोर की गायें अच्छी नहीं है?

श्री दौलतराम सारण : इस क्षेत्र में नागौर की ब्रीड ही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस कमेटी में आफिसर ही मेम्बर हैं, कोई काश्तकार मेम्बर नहीं हैं क्या?

श्री दौलतराम सारण : आप नहीं थे, जिनकी जरूरत होती।

Page No.13

श्री मूलचन्द डागा : इस समिति का मेम्बर किसी ग्वाला को किया गया कि नहीं ?

प्रश्न संख्या १४६१

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४६२

श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

चिकित्सालय, अनादरा

१४६३. **श्री अनोपसिंह** (श्री दलपसिंह की अनुपस्थिती में) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
(क) खेटर तहसील में अनादरा नामक ग्राम के अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति हो गई है ?

(ख) अगर हां, तो डॉक्टर क्यों नहीं है ? यदि नियुक्ति नहीं हुई, तो क्या कारण है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई स्वायत्त शासन मंत्री की अनुपस्थिति में) : इस प्रश्न का उत्तर इस सत्र में १२ मार्च को सविस्तार दिया जा चुका है ।

तस्कर व्यापार

१४६४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ता० ३-३-५८ को गंगानगर में कोई स्मगलिंग करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है ?

(ख) यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है ? उसकी पूरी जानकारी दें ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) श्री मसराम, पुत्र बेटाला, जाति कुम्हार, वासी पीपला, गंगानगर है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके पास कितने का सोना बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुल मिलाकर ४५० तोले के करीब ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह किस प्रकार से बरामद किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी व कस्टम अधिकारी भी गये । कई बार गये । एम्यूनिशन वगैरह भी निकला है, सोना वगैरह भी निकला है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो पूछ रहा हूँ कि किस तरह से किस जगह पर बरामद किया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : हिन्दूमलकोट के पास जगह है वहां ।

श्री मुरलीधर व्यास : बरामद किस प्रकार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मकान पर गये और निकाला ।

Page No.14

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मकान पर सोना कहीं पर रक्खा हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है।

श्री रावराजा सरदारसिंह : कई बार कई तरह से आये गये तो क्या कोई मकान में कई बार जाकर बरामद किया गया ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह आदमी हैबीचुअल ऑफेन्डर डिक्लेअर किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी कन्विक्शन ही नहीं हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : कार्यवाही क्या की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भिन्न भिन्न दफाओं में केस हैं। कुछ में चालान कर दिया है, कुछ में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कुछ में कैमिकल जांच कराई जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो ये सारे केस एक ही में बना दिये गये हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, कोई आर्म्स एक्ट में है, कोई ओपीयम में है और कोई लैण्ड कस्टम में है। कई दफाएं बनती हैं।

चर्म उद्योग व सहकारी समितियां, नागौर

१४६५. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५७–५८ में जिला नागौर में चर्म उद्योग सहकारी समितियों को कितना कितना कर्जा दिया गया ?

(ख) उक्त वर्ष में कितनी बुनकर सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ तथा उनमें से कितनी समितियों को कर्जा मिल चुका है ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) :

(क) किसी को नहीं।

(ख) छः सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऋण किसी को नहीं दिया गया।

श्रीमती गौरी पूनिया : अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका कारण यह है कि सन् ५७–५८ में सिर्फ दो सहकारी समितियां....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या नागौर में चर्म उद्योग के विकास के लिये कोई योजना नहीं है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : बहुत ही उदासी है।

डॉ० चन्द्रकला : दो तीन चमारों को सहयोग समिति का सदस्य बनाकर, सहयोग समिति कायम कर दी जाती है और उसे ऋण दे दिया जाता है क्या यह सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली

१४६६. श्री मूलचन्द डागा (पाली):

Page No.15

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के मज़दूरों और मालिकों के बीच तीसरी पाली के लिये संघर्ष चल रहा है ?

(ख) क्या इसके लिये मजदूरों का कोई प्रदर्शन हुआ था ? यदि हां तो कब ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां।

(ख) हां, यह प्रदर्शन २० जनवरी १६५८ से हुआ था। ता० ६–२–५८ को स्थगित हुआ। अब मिल मालिक और मजदूरों में झगड़ा हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि इस रात पाली के चलने से मजदूरों में असन्तोष बढ़ा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि आपस में अब समझौता हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि इसके बाद काम बढ़ाने से और तनख्वाह की कटौती होने से असन्तोष हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कारण बताया कि तीसरी पाली में असन्तोष हुआ या काम बढ़ा या तनख्वाह घटी इससे असन्तोष नहीं हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या समझौता हुआ वह ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो झगड़ा था वह था तीसरी पाली की बात को लेकर, पर अब आपस में समझौता हो गया और वह बात ठीक हो गई।

श्री मुरलीधर व्यास : वह समझौता क्या हुआ ? मेरे कहने का अर्थ यह है वह समझौता क्या है यह बताएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया अब समझौता हो गया। तीसरी पाली में जो मजदूर काम करते थे उनका वर्क लोड बढ़ा दिया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : वर्क लोड और तनख्वाह में कटौती हुई है तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच तो जरूर की जावेगी, हमारे अफसर इसी बात के लिये वहां रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि उन मजदूरों ने यह शिकायत की है कि उनका वर्क लोड बढ़ गया है और तनख्वाहों में कटौती हुई है। इस पर भी अभी तक जांच नहीं हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्सपेक्टर जांच कर सकते हैं। वे वहां काम करते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इन समझौते की स्पेसिफिक कन्डीशन्स क्या हैं ? कौनसी तारीख को हुआ है, जरा फरमाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फरवरी ५८ की बात है। इसके बाद ही फैसला हो गया।

नावां में कोर्ट्स के लिये किराये पर लिये गये भवन

१४६७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नावां, ज़िला नागौर में कोर्ट्स के लिये राजकीय भवन के अभाव में किराये पर भवन ले रक्खा है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त भवन कब से चल रहा है तथा उसका क्या किराया देना पड़ता है ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। असिस्टेन्ट कलेक्टर व तहसील के दफ्तर के लिये भवन किराये पर ले रक्खा है।

(ख) यह भवन दिसम्बर १९५४ से किराये पर ले रक्खा है जिसका किराया तीन सौ रुपया महीना है। जिस तारीख से मुंसिफ की अदालत वहां से हटी है उस रोज से ३१ रुपया कम कर दिया गया है।

श्री राम नारायण वर्मा : क्या यह सही है कि वहां के कलेक्टर ने और कमिश्नर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि यह विभाग के कार्यालय के बिल्कुल अनुपयुक्त स्थान है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, दूसरा कोई मकान अवेलेबल नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इससे भी अच्छा मकान इससे आधी रकम में सरकार को ऑफर किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या इसका एस्टीमेट हुआ है पी. डब्ल्यू. डी से ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि श्री ब्रजमोहन धूत को पेन्शन के रूप में इतना रुपया दिया जाता है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि दूसरे मकान की सरकार के पास एप्लीकेशन आई कि आधी कीमत में वह मिल सकता है और उससे अच्छा मकान है। यह तो हवेली है एक सेठ की। तो क्या सरकार ने उस दर्ख्वास्त पर विचार किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : विचार कर लिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो पैन्शन न देने का विचार किया ?

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार की दर्ख्वास्त पर मुनासिब क्या समझा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो मकान है वह बेहतर नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पहले का मकान कितने किराये पर था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो नहीं कह सकता।

चिकित्सालय की स्थापना ग्राम लुणावा (बाली)

श्री मोती बाबा चौधरी (बाली) :

Page No.17

(श्री मोती बाबा चौधरी)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बाली तहसील के ग्राम लुणावा में अस्पताल का शिलान्यास भूतपूर्व मन्त्री व मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल भवन को सम्पूर्ण हुए करीब चार साल हो चुके हैं फिर भी सरकार ने अभी तक उसे चालू करने की व्यवस्था नहीं की है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार उसे कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) डिस्पेन्सरी का शिलान्यास मुख्य मन्त्री द्वारा हुआ था।

(ख) डिस्पेन्सरी का मकान नवम्बर ५६ में सम्पन्न हो गया था धनाभाव के कारण इसको चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि यह डिस्पेन्सरी गवर्नमेंट की प्लॉन में फिट नहीं होती थी।

(ग) अब १७ मार्च, १९५८ से चालू कर दी गई है।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि वहां पर पूरा स्टाफ नहीं भेजा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): डिस्पेन्सरी अभी खुली है फिर भी वहां पर कम्पाउन्डर रहते हैं।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या स्टाफ है अभी वहां पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां डिस्पेन्सरी अभी १७-३-५८ को ही खुली है और वहां पर जरूरी स्टाफ होगा और अगर कमी होगी तो और भेज दिया जायेगा।

श्री बेनाराम गहलोत : कब तक भेजा जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कमी होगी तो और पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

चम्बल विभाग में सीमेंट की चोरी

१४६६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के द्वारा चम्बल विभाग के गैराज से जाती हुई सीमेंट की बोरियां पकड़ी गई थीं ? यदि हां, तो उस केस का क्या हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या पुलिस विभाग के पास चम्बल विभाग से और किसी प्रकार की शिकायत आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि भाखरा के खेतों में सीमेंट की बोरियां पाई गई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है। आपकी जानकारी के लिए कुछ सप्लीमेन्टरी इन्फोर्मेशन मेरे पास है। फुलेर के असिस्टेंट इंजीनियर हैं उन्होंने शिकायत

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

की कि तीन सौ बैग्ज़ जो वाटर वर्क्स के लिए दी गई हैं उनकी चोरी हुई है। सब–इन्स्पेक्टर गया है और उन्होंने पकड़ा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : सब–इन्स्पेक्टर ने पकड़ा है, आपने यह पहले क्यों नहीं कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह चम्बल की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

जल बोर्ड चूरू

१४७०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले पांच वर्षों में चूरू ज़िले में जल बोर्ड की रकम में गबन के कितने मामले कहां कहां पाये गये ?

(ख) कितने मामलों की जांच की गई और उनमें से कितने सही पाये गये ?

(ग) जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गई ?

उप–स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (क) कोई भी मामला गबन का नहीं पाया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहरसिंह : बींजावास से क्या कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : पार्टीबाजी से शिकायतें कई आती रहती हैं। लेकिन गबन का मामला कोई नहीं पकड़ा गया।

श्री मुरलीधर व्यास : पार्टीबाजी है, यह आपने कैसे अनुभव किया ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : दैनिक अनुभव से।

श्री मुरलीधर व्यास : कैसा अनुभव है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : कटु अनुभव है।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सरकार को पता है कि बींजावास में १६५.० रुपये दिये गये और वहां जल बोर्ड की तरफ से कार्य ही नहीं हुआ है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : कौन से गांव का कह रहे हैं आप ?

श्री मोहरसिंह : बींजावास।

श्री पूनमचंद विश्नोई : कौन सी तहसील में है ?

श्री मोहरसिंह : तहसील राजगढ़।

श्री पूनमचंद विश्नोई : नहीं, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री मोहरसिंह : आपकी तरफ से जांच हुई है और तहसील की तरफ से उनके ऊपर नोटिस गया है कि रुपया वापिस भरवाओ ?

Page No.19

श्री पूनमचंद विश्नोई : काम नहीं हुआ है तो वापिस के लिए कहा जा सकता है। मगर गबन कोई नहीं हुआ।

श्री मोहरसिंह : लेकिन यह कैसे कहा है कि वहां शिकायत नहीं आई है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : मैंने कहा है कि शिकायत आई है लेकिन गबन के मामले साबित नहीं हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा है कि शिकायत नहीं आई ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि शिकायतें आई हैं लेकिन ऐसी शिकायतें पार्टीबाज़ी से आ जाती हैं। उनकी जांच होती हैं अगर उनका मामला साबित होता है तो वह गबन कहा जा सकता है।

श्री मोहरसिंह : आपको यह पार्टीबाज़ी का सवाल कैसे लगता है पांच हज़ार रुपया दिया जाय और १॥ हज़ार का भी काम न हो। क्या इस तरह से गबन साबित नहीं होता ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इसके लिए आप दर्ख्वास्त दें, सूचना दें हम जांच करेंगे अगर गबन साबित हुआ तो एक्शन लेंगे।

श्री मोहरसिंह : क्या नावड़ी के लिए दर्ख्वास्तें नहीं दी गई ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जांच की जा रही है। लेकिन गबन का मामला हमारे सामने नहीं आया।

श्री मोहरसिंह : तीन हज़ार में से हज़ार का काम हो तो क्या यह गबन में नहीं आता है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इन्क्वायरी से ऐसा साबित नहीं होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या पार्टीबाज़ी की वज़ह से इस कार्यवाही में ढिलाई हुई है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जी नहीं। कार्यवाही निष्पक्ष आदमी करते है।

प्रश्न संख्या १४७१

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह।

गजेटेड ऑफिसर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दिये गये आवेदन-पत्र

१४७२. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में १९५७-५८ में किन किन गजेटेड ऑफिसर्स के खिलाफ कितने प्रार्थना-पत्र आये ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(ख) इनमें से किस किस की जांच की गई ?

(ग) कितने की जांच नहीं की ?

एक (घ) कौन कौन बरी रहे ?

Page No.20

(श्री रामकरणसिंह)

(ड.) किस किस पर कब कब केस बने ?

(च) उनमें से कितनों का चालान हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले सप्ताह में दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका, बीकानेर.

१४७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सही है कि आय-व्यय निरीक्षक ने बीकानेर म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति की जांच के लिए मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) पहिले नगरपालिका से लेखा परीक्षा विभाग के आक्षेपों के बारे में उत्तर मांगा गया है उनके आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने पहले भाग का उत्तर दिया, 'जी हां'। तो यह मांग कब आई ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह रिपोर्ट हमारे पास २७ अप्रैल, ५७ को आई।

श्री मुरलीधर व्यास : बाद में, इतना लम्बा समय हुआ, तो वहां पर जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : ऑडिट ने सजेशन यह दिया है कि तथ्य नहीं हैं, प्रूफ दिया जाय। वह रिपोर्ट म्युनिसिपैलिटी के पास चली गई है और वह म्युनिसिपैलिटी ही करेगी। जांच का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

कृषि कॉलेज, जोबनेर

१४७४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (क) क्या कृषि कॉलेज, जोबनेर के प्रिंसिपल की सेवा अवधि दिनांक २४-१०-५७ को समाप्त हो चुकी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि ६ माह के लिए और बढ़ाई गई ?

(ग) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने उपरोक्त प्रिंसिपल की समयावधि न बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी ?

(घ) क्या उक्त प्रिंसिपल की आयु ६७ वर्ष की है और वे किसी भी कक्षा को नहीं पढ़ाते ?

उप-कृषि मंत्री(श्री दौलतराम सारण): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। अवधि ७ माह व २ दिन के लिए बढ़ाई गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

Page No.21

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आपने कहा, 'जी नहीं,' यह अवधि कैसे बढ़ाई आपने ?

श्री दौलतराम सारण : पहले आप प्रश्न देखिये।

श्री तनसिंह : अवधि कब समाप्त हुई ?

श्री दौलतराम सारण : ३०–४–५८ को अवधि बढ़ाई गई थी।

श्री तनसिंह : अवधि ३०–४–५८ को बढ़ाई गई लेकिन खत्म कब हो रही थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : २८–६–५७ को।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उनकी उम्र ६७ वर्ष की है और पढ़ाने के नाकाबिल हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वह १६–७–१८६६ है और इस तरह से वे ६२ वर्ष के होते हैं। वह पढ़ाते हैं और एक सप्ताह में १२ पीरियड् पढ़ाते हैं और वे प्रोफेसर ज्यूलोजी एण्ड एन्टोमोलोजी हैं और प्रिन्सिपल दोनों हैं। जितना बूढ़ा आप बताते हैं, ऐसा नहीं है। फिज़िकली ठीक हैं।

श्री तनसिंह: क्या सरकार ५५ साल के बजाय रिटायरमेन्ट के ६२ साल कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा आप सब जानते हैं। टैक्निकल क्वालीफिकेशन के जो लोग हैं वे मिलते नहीं है और इस तरह के बहुत कम आदमी उपलब्ध हैं।

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह समझा जाये कि इनकी अवधि फिर बढ़ाई जायेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश तो यह हो रही है कि कोई दूसरा आदमी अच्छी क्वालिफीकेशन का मिल जाये। अगर आदमी नहीं मिलेगा तो फिर देखना पड़ेगा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या क्वालीफ़ाइड आदमी लेने के लिए कोई एडवर्टाइज़मेन्ट निकाला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री श्रीभानसिंह : कब निकाला....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रिन्सिपल है। प्रिन्सिपल के लिए दो एडवर्टाइज़मेन्ट्स निकाले; फिर भी कोई क्वालीफाइड आदमी नहीं मिला।

श्री श्रीभानसिंह : कौन सी डेट को निकाले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डेट तो इस समय नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि लोगों ने एप्लीकेशन्स दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे रेम्युनरेशन्स बढ़ाये जायें तो वे आने के लिए तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो प्रिन्सिपल का ग्रेड है वह तो बढ़ाया नहीं जा सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने यह आधार लिया कि वहां के प्रिन्सिपल भी उतने ही बूढे हों जितने कि वहां के एम० एल० ए० ?

Page No.22

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई बात नहीं है।

प्रश्न संख्या १४७५

श्री अध्यक्ष : श्री नाथीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हजारीलाल।

श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

१४७६. **श्री हजारीलाल बोकोलिया** (केकड़ी) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:- (क) क्या भूतपूर्व अजमेर सरकार ने श्रमिकों को मंहगाई में मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अनुसार चार रुपया बढ़ोतरी की थी ?

(ख) क्या इस बढ़ोतरी के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है या करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां ब्यावर की मिलों के मज़दूरों की मंहगाई में ४ रु० की वृद्धि की थी।

(ख) हां।

(ग) सरकार अपील दायर करने जा रही है।

श्री हजारीलाल बोकोलिया : आपने जो (ग) भाग का उत्तर दिया वह समझ में नहीं आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सरकार अपील दायर करने जा रही है और यह लीव के लिए हाई कोर्ट में है।

श्री मूलचंद डागा : राजस्थान हाईकोर्ट ने किस कारण मज़दूरों की तनख्वाह में बढ़ोतरी को रद्द कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वेज बोर्ड के मेम्बरों ने राय दी थी। उनका यह कहना था कि उनकी राय दर्ज नहीं की गयी और इसके लिए कहा कि यह इरेंग्युलर है।

प्रश्न संख्या १४७७

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल

(अनुपस्थित)

धाणेराव बान्ध

१४७८. **श्री मोतीबाबा** (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि धाणेराव बान्ध हेतु पांच लाख पांच हज़ार की धन राशि की स्वीकृति हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो उक्त बान्ध को चालू करने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) धाणेराव बान्ध के लिये सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कराई गई है परन्तु टैक्नीकल स्वीकृति अभी नहीं हुई है।

(श्री भीखाभाई)

(२) योजना की टैक्नीकल जांच के बाद उपयुक्त एवं लाभप्रद सिद्ध होने पर कार्यान्वित करने का विचार किया जायगा।

श्री मोतीबाबा : यह सर्वे कब तक करेंगे ?

श्री भीखाभाई : अभी सर्वे जारी है। अभी तक सरकार के पास से स्वीकृति नहीं हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसके लिए ५ लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी नहीं है। दरअसल में सवाल यह है कि सर्वे हो गया है लेकिन रिटर्न पर्सेन्टेज नहीं होगा सरकार को जो कि ढाई पर्सेन्ट का तय किया है वह अगर नहीं बैठता होगा तो वह अस्वीकार कर दिया गया होगा। बहुत सी टैक्निकल राय का जहां तक सवाल है वह चीफ इन्जीनियर के ऑफिस तक होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : सुनने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया।

श्री भीखा भाई : चीफ इन्जीनियर के ऑफिस से टैक्निकल स्वीकृति दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन सरकार देती है और उस सूरत में, जब कि ढाई पर्सेन्ट का रिटर्न होता है। पहले वह साढ़े तीन पर्सेन्ट था और अब कम कर दिया गया है। टैक्निकल ठीक होता है तो चीफ इन्जीनियर के ऑफिस से सेन्क्शन हो सकती है।

स्टाफ राशनिंग एजेन्ट्स का बकाया कमीशन

१४७६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या खाद्य व रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील जसवन्तपुरा, ज़िला जालोर में सन् १९४७ में कितने स्टॉफ राशनिंग एजेन्ट मुकर्रर किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या उनके कमीशन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तहसील जसवन्तपुरा में उक्त समय के लिये दो राशनिंग एजेन्ट्स एक जसवन्तपुरा में व दूसरा भीनमाल में मुकर्रर किये गये थे।

(ख) जसवन्तपुरा के एजेन्टस का कोई क्लेम बाकी नहीं है। केवल भीनमाल के एजेन्टस मैसर्स मनरूपचन्द नैनजी का क्लेम बाकी है। चूंकि उनसे नाज की कीमत और छीजत की रकम वसूल करना है। अतः उनके हिसाब की जांच हो रही है। पूर्णतया जांच करने के पश्चात् उसका सेटिलमेंट किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : जांच कब तक हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही हो जायगी। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में इसका अलग सेक्शन है वह इसको डील कर रहा है।

Page No.24

श्री लक्ष्मीचन्द : हनुमान बक्स हजारीलाल का कोई क्लेम था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो एजेन्टस थे। एक क्लेम नहीं है। दूसरे हैं माणकचंद जी उनके, तीन क्लेम्स में से १ बाकी है जो कि उनके खिलाफ गवर्नमेंट का रुपया चाहिए इसलिए वह उस हिसाब में डील होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : दो एजेंटस थे उनमें से एक हनुमानबक्स हज़ारीलाल थे या नहीं मेरे पूछने का मतलब यह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि दो एजेन्ट थे उनका हिसाब हो चुका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे पूछने का मतलब सिर्फ यही है उनमें हनुमानबक्स हजारीलाल भी एजेन्ट थे या नहीं। इसका स्पष्ट जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : दूसरे एजेन्ट का नाम है क्या आपके पास में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता दूसरे एजेन्ट का नाम नहीं मालूम पड़ा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह माना जाय कि वह एजेन्ट मुकर्रर नहीं किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि नाम मेरे पास में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं हुआ।

मकराना मारबल आर्टीसन कोऑपरेटिव कान्ट्रेक्ट सोसाइटी

१४८०. **श्री नारायणलाल** (नीमकाथाना) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मकराना मारबल आर्टीसन कोऑपरेटिव लेबर कॉन्ट्रक्ट सोसायटी कब रजिस्टर्ड हुई ?

(ख) उपरोक्त सोसायटी ने कर्ज लेने के लिये कितनी बार प्रार्थनापत्र दिये ?

(ग) उक्त सोसायटी को कर्ज न मिलने के क्या कारण हैं ?

उप-सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) ३-११-५५ को।

(ख) दो बार।

(ग) समिति का प्रथम आवेदन पत्र दिनांक ३-२-५६ को कलेक्टर, नागौर को भेजा गया था जो उन्होंने संचालक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को स्वीकृति हेतु भेज दिया। दूसरा आवेदन पत्र दिनांक २५-६-५७ को सहकारी विभाग द्वारा ज़िला उद्योग अधिकारी, नागौर के पास ऋण स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

मगर उक्त विभाग से ऋण स्वीकार होकर नहीं आने के कारण इस समिति को ऋण नहीं मिल सका है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं आया ?

श्री नारायणलाल : कब तक मंजूर हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं कह सकता कि कब तक मंजूर हो जायगा। जब विचार होगा सबका उस समय उसको भी देखा जायगा।

श्री श्रीभानसिंह : दो साल तक विभाग से जवाब नहीं आने के क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ऋण उद्योग विभाग देता है। हम तो सिफारिश करके सोसाइटी का जो आवेदन-पत्र आता है वह वहां भेज देते हैं। उनके पास विचार होता है और फन्ड्स जितने होते हैं उतना वे वितरित कर देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : या तो उनको रिजेक्ट कर दें या मंजूर कर दें, लेकिन दो साल तक दाब कर रखने का क्या मतलब है ?

श्री दौलतराम सारण : पेंडिंग रख छोड़ते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पेंडिंग क्यों रख छोड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अधूरी इन्फोर्मेशन होती है तो फरदर क्वेरीज़ चलती रहती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन्स फाइनल होकर नहीं आती हैं तो उन पर विचार नहीं हो सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : जब सोसाइटी ने गवर्नमेंट के पास पेपर्स भेजे उसके बाद में क्या २ क्वेरीज़ की गई थीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह उस विभाग से पूछिये जो कि लोन देने का कार्य करता है।

श्री अध्यक्ष : सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। सहकारी समितियों को दो, दो साल तक ऋण नहीं मिलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़े ही केसेज़ में ऐसा होता है। बाकी आम तौर से मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप व्यक्तिगत जानकारी करेंगे कि कोई दिक्कत न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास शिकायत नहीं आई नहीं तो जांच करता।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से सहकारी समिति की एक की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

औषधालय

१४८१. श्री रामधन (दौसा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

इस वर्ष राजस्थान में कितने औषधालय नये खोले जाने को हैं तथा उनमें से दौसा तहसील में कितने दवाखाने खुलेंगे और किस स्थान पर ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कई खोले गये हैं। दौसा में कोई स्थान निश्चित् नहीं किया गया है।

श्री रामधन : स्थान क्यों नहीं निश्चित् किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो दवाखाने खोले जाते हैं उनके लिए जिला विकास समिति की सिफारिश होती है। उनकी सम्मति आने के बाद खोले जाते हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या ज़िला

(श्री रामकरणसिंह)

विकास समिति के प्रोपोजल के आधार पर दवाखाने खोले जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : आम तौर से ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिला विकास समिति से कब तक इस प्रकार के प्रपोजल्स मांगे हैं ?

श्री भीखाभाई : बहुत से प्रपोजल्स मांगे हैं, उनका उत्तर आ गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार दवाखानों और औषधालयों में फर्क समझती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवाखानों में दोनों शामिल हैं हिन्दी व अंग्रेजी और औषधालय सिर्फ हिन्दी है ।

श्री मूलचन्द डागा : दवाखाने युनानी पद्धति से चलते हैं और औषधालय आयुर्वेदिक पद्धति से चलते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवाखानों में सारी पद्धतियां शामिल हैं ।

मारवाड़ जंकशन, आउवा रोड ।

१४८२. **श्री वेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या सरकार की मारवाड़ जंकशन से आउवा तक बनाई गई सड़क को जनता के हितों को मद्देनजर रखते हुए नाडोल तक मिलाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री वेनाराम गहलोत : क्या सरकार इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार तो कई चीजों को महसूस करती है, परन्तु धन की हमेशा लिमिटेशन्स हैं ।

प्रश्न संख्या १४८३

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

सर्जिकल कैम्प

१४८४. **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सागवाड़ा में लगाये गए सर्जिकल कैम्प में सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई तथा जनता ने नकद सामान के रूप में क्या सहायता दी ?

(२) उक्त रकम में मरीजों की चिकित्सा व व्यवस्था पर कितना कितना खर्च किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार का अन्य स्थानों पर भी सर्जिकल कैम्प लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कहां कहां और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) व (२) सागवाड़ा सर्जिकल व आई कैम्प के लिए दी गई सहायता व वर्ष का ब्यौरा संलग्न है ।

Page No.27

(श्री भीखाभाई)

(३) सागवाड़ा में अन्तिम सर्जिकल व आई केम्प अप्रेल १९५७ में हुआ था। उसके पश्चात् निम्नलिखित थानों पर इस प्रकार के केम्प अब तक आयोजित किये जा चुके हैं :

लाडनू	सितम्बर १९५७
नागौर	अक्टूबर ,,
चाकसू	नवम्बर ,,
लालसोट	दिसम्बर ,,
नैगू	जनवरी १९५८
भीलवाड़ा	फरवरी ,,
बांसवाड़ा	फरवरी ,,
बाड़ी (धौलपुर)	मार्च ,,

रायसिंह नगर में अभी दिनांक २-४-५८ से आई केम्प आयोजित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि सर्जीकल केम्प कहां कहां लगाने का विचार है और उन्होंने उत्तर दिया है कि कहां कहां लगाए गए हैं। प्रश्न यह है कि अन्य स्थानों पर सर्जीकल केम्प लगाने का विचार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक इस बारे में निर्णय नहीं किया गया है। हर साल मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है उसमें अगले जिलों की मांग रखते हैं और फिर डाइरेक्टोरेट से पूछते हैं उस पर से प्रबन्ध किया जाता है।

श्री भोगजी भाई : मेरा प्रश्न था कि सागवाड़ा में सरकार ने क्या सहायता की ?

श्री भीखाभाई : सूची में बताया गया है।

जल कष्ट निवारण योजना, पचपदरा

१४८५. **श्री रावतराम (चूरू)** : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार ने तहसील पचपदरा साल्ट के जल के कष्ट को दूर करने की योजना को कार्यान्वित किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण बतावें ?

उप-स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां, एक प्राथमिक जल योजना, ११,२६,००० रु० की बनाई गई है और सरकार के विचाराधीन है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस प्राथमिक जल योजना में केन्द्रीय सरकार का भी कुछ भाग है या केवल राजस्थान सरकार की ही योजना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : केन्द्र का भी भाग है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : किस स्तर पर है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां बीचिया गांव है वहां से कुओं से पानी लिया जायगा और बीच के गांव हैं उनको सबको दिया जायगा फिर पचपदरा साल्ट को मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह योजना कहां पर है ?

Page No.28

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार को भेजी गई है। दोनों तरफ के अधिकारियों ने डिसकस कर लिया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : योजना मन्जूर होने के बाद।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में जल कष्ट निवारण योजना और जगह भी लागू की जायगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जहां जहां आवश्यकता होगी लागू की जायगी।

श्री रावतराम : क्या इस साल योजना पूरी हो जायगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस साल शायद पूरी नहीं हो सके।

भ्रष्टाचार की शिकायतें, कृषि विभाग, तारानगर, जिला चूरू

१४८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी): क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नानूराम सुराणा, तारानगर वाले ने अधिक उत्पादन सम्बन्धी कोई योजना १७ नवम्बर, सन् ५४ को सरकार को भेजी थी ?

(२) क्या उक्त योजना के साथ कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी सप्रमाण भेजे गये हैं ?

(३) यदि हां, तो उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ऐसी कोई योजना कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कागजों की छानबीन करके।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार के कोई कागज आपको मिले नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल नहीं मिले।

बेदखल किये गये आदिवासियों को पुनः जमीन दिलाने की व्यवस्था

१५६२. **श्री बालमुकन्द** की अनुपस्थिति में श्री भोगजी : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान बनने से पूर्व राजा महाराजाओं तथा जागीरदारों ने अपने शिकार के कारण जंगल के आस पास बसने वाले जिन आदिवासियों को खातेदारी भूमि से बेदखल किया था क्या उन्हें सरकार पुनः जमीन दिलाने के लिए प्रयत्न कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : फायल में देख लीजिये शायद हो।

श्री मोगजी भाई : क्या इसका जवाब बाद में देने की कृपा करेंगे माननीय मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

ग्राम सूपा (त० बयाना) में हरिजनों के साथ मारपीट

१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: (क) क्या यह सत्य है कि जिला भरतपुर, तहसील बयाना, थाना बयाना के ग्राम "सूपा" और "फूल का नागला" के चमारों को एक विशेष 'जाति के लोगों द्वारा मारपीट की गई माह जून १९५७ में और उन हरिजनों के घरों में घुसकर सामान वगैरह लूटा और औरतों के साथ अभद्रतापूर्वक पेश आये? कितने लोग इसमें आहत हुए?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस मारपीट एवं लूटपाट का यह कारण था कि उन गरीब हरीजनों ने उन लोगों की बेगार वगैरह करना छोड़ दिया था?

(ग) क्या यह सत्य है कि उन हरिजनों ने समय समय पर पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं किन्तु विशेष जाति के लोगों के (जो आक्रमणकारी हैं) प्रभाव के कारण उन गरीबों की सुनवाई आज तक नहीं हुई?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उन गरीब हरिजनों की जमीनें छीन ली गई हैं व खड़ी फसलें जबरदस्ती काट ली गई हैं और गांव के एक विशेष जाति के लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया है और वे चमार लोग आजकल "जोहरदा" के जंगल में अपने जीवन की अन्तिम घड़ियां गिन रहे हैं?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा इन हरिजनों के रक्षार्थ अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों और यदि उठाया गया तो क्या नतीजा रहा?

(च) गांव से बाहर पड़े हुए हरिजनों को पुन: उसी गांव में बसाने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई और भविष्य में उनकी सुरक्षा हो सके इसके लिये और क्या कदम उठाया गया? बतलाने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इस तरह की कोई रिपोर्ट माह जून १९५७ में हरिजनों द्वारा पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। ऐसे अभियोगयुक्त प्रार्थनापत्र हाल ही में प्राप्त हुए थे परन्तु अभियोग पुराने होने के कारण और चूंकी मामला जमीन का रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है तथा रेवेन्यू अधिकारी इस डिस्प्यूटेड आराजी के कब्जे के बारे में जांच कर रहे हैं इसलिये पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई।

(ख) चूंकि पुलिस द्वारा इस मामले की पूरी जांच नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता लेकिन यह अवश्य मालूम हुआ है कि उन लोगों को तंग किया गया था।

(ग) जी नहीं। यह असत्य है। पुलिस

(श्री रामकिशोर व्यास)

को समय पर कोई सूचना नहीं दी गई ।

(घ) इस बारे में रेवेन्यू अधिकारी जांच कर रहे हैं ।

(ङ) हरिजनों ने समय पर कोई शिकायत नहीं की इसलिये रक्षा का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ ।

(च) हरिजनों ने १६० बीघा जमीन गांव देवला में खरीदली है और वहीं आबाद हैं । इनके जीवन व सम्पत्ति की रक्षा के लिये यदि कोई आवश्यकता हुई तो अवश्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी । राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन छीनने के आरोपों की जांच कर रहे हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सत्य है कि हरिजनों को थाने तक लोगों ने नहीं जाने दिया और बीच में ही रोक लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री मूलचंद डागा : पहली रिपोर्ट कब हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : हरिजनों ने पुलिस में पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । जून का वाका था और फरवरी में रिपोर्ट हुई ।

श्री मूलचंद डागा : दफा ४४७ के अंतर्गत पुलिस भी मामला दर्ज रजिस्टर कर सकती थी ।

श्री रामकिशोर व्यास : जून का वाकया था और फरवरी में रिपोर्ट डिप्रेस्ड क्लास के सेक्रेटरी ने भेजी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सच है कि वहां का सब-इन्सपेक्टर उसी जाति का था जिन्होंने हरिजनों से रुपये हज़म किये थे इसलिए हरिजन थाने तक नहीं पहुँच सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं आई ।

श्री पी. के. चौधरी : जिस गांव में यह इन्सीडेन्ट हुआ उस गांव में पुलिस पोस्ट है या और यदि नहीं है तो वहां से कितनी दूरी पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस आउट पोस्ट उस गांव में नहीं है, कितने फासले पर है यह मालूम नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अब जब कि सरकार को मालूम हुआ कि वाकई उनके साथ ज्यादती हुई है और वे जंगल में पड़े हैं तो इस अवस्था में इसकी जांच कराने और जो दोषी हैं उनको दंड दिलाने के लिये सरकार तैयार है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच की जा रही है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जान बूझकर हरिजनों को सताया गया उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जान बूझकर कार्यवाही नहीं करने का सवाल नहीं है पुलिस के पास रिपोर्ट ही नहीं आई ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जो

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

लोग जमीन और माल छोड़ कर गये उनके एवज में सरकार उन्हें क्या राहत पहुंचायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : रेवेन्यू विभाग में जांच हो रही है।

श्री पी. के. चौधरी : यह ओफेन्स कोग्नीजेबल है या नोन कोग्निजेबल ?

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन कौनसा लागू होता है, इस पर डिपेन्ड करता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उनको वापिस गांव में बसाने के लिये क्या कदम उठाया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने जमीन खरीदली है।

श्री पी. के. चौधरी : आप इसको कौनसे सेक्शन में ट्रीट कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी में भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : इसमें कितने चमार इन्वोल्वड हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री तेजपाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है। हरिजनों को वहां से भगाया गया वह जमीन अब किसके अधिकार में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गूजरों के अन्दर मे है।

श्री गोवर्धनसिंह : जबरन जमीन छीनली गई उसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया कि तहकीकात हो रही है।

श्री गोवर्धनसिंह : तहकीकात किससे करवाई जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रेवेन्यू विभाग द्वारा हो रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उनको सुविधा देने के लिये क्या योजना बनाई जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है।

कस्बा आमेर जिला जयपुर के शेरों द्वारा उत्पात

२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** : (आमेर) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(क) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर के अन्तर्गत कस्बा आमेर में ४ शेरों ने उत्पात मचा रखा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन शेरों ने आमेर कस्बे के एवं आसपास के एरिया के कई बैलों को, गायों को एवं भेड़-बकरियों को मार डाला है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इन जंगली जानवरों ने मनुष्यों पर भी आक्रमण कर दिया है और फलस्वरूप १-२ मनुष्यों को मार डाला है ?

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन जंगली जानवरों को पकड़वाये जाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(ङ) उपरोक्त शेरों द्वारा जिनको क्षति हुई उनको राजकीय सहायता कितनी कितनी दी गई ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सिर्फ एक शेरनी दो बच्चों के साथ आई थी।

(ख) सिर्फ दो गायों के मारे जाने की सूचना मिली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जानकारी आपने किस प्रकार से प्राप्त की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा - हमारे जंगलात विभाग के कर्मचारी उस एरिया में फिरते रहते हैं और उन्होंने पता लगाया कि सिर्फ दो गायें मारी गई हैं।

रावराजा श्री सरदार सिंह : शेरनी आई थी, वह चली गई क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जंगलों में घूम रही है।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न (घ) के उत्तर में आपने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता, क्या शेरनी को पकड़वाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जंगल में एक शेरनी दो बच्चों के साथ घूम रही है, वह हाल की ब्याई है, उसको पकड़वाने की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : दोनों बच्चे शेरनी हैं या शेर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बच्चों का लिंग मालूम नहीं करा है।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : शेरनी किस जाती की है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक माननीय सदस्य : क्या फोरेस्ट डिपार्टमेंट शेर आदि को अवैतनिक कर्मचारी मानता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया)

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस प्रकार पुराने राजा महाराजा शिकार करते थे, क्या मन्त्रीगण शिकार करने का शौक नहीं रखते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मन्त्रीगण बन्दूक चलाना नहीं जानते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या शेरनी बैठ जाती हैं, उससे वहां के आने जाने वालों को मुश्किल हो जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शेरनी को देख कर उन्हें खुशी होती है।

श्री हरिशंकर शिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि शेरनी एक आदमी को उठा ले गई, लेकिन वह फिसल गया, और वह कपड़ा ले गई ?

Page No.33

श्री नाथूराम मिर्धा : आदमी मरा नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शेरनी एक आदमी को उठाकर ले जाती है, और आदमी फिसल जाता है, तो क्या वह जिन्दा रह जाता है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या सरकार इस शेरनी को पकड़वाने की व्यवस्था करने का इरादा नहीं रखती?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी पकड़वाने का इरादा नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर पकड़वाने का इरादा नहीं है, तो जिन आदमियों को और बच्चों को वह पकड़ ले जायगी, उनको कैसे बचाया जायगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : मादा शेरनी दो बच्चों के साथ होती है, उसके पास से कोई आदमी या जानवर जाता है, तो उसे मारने के लिये नहीं दौड़ती है, जब उसको डर होता है, उसके बच्चों को खतरा होता है तो वह अटेक करती है। अभी वह कन्फर्म्ड केटल इटर नहीं हुई है। जिस दिन विभाग को मालूम हो जायगा कि वह कन्फर्म्ड केटल इटर या मैन इटर हो गई है, तो उसका इलाज कराया जायगा। उसके साथ दो बच्चे हैं, वह रास्ते में बैठी रहती है, लोगों ने उसे देखा है।

डॉ० चन्द्रकला : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि उसे देख कर लोगों को खुशी होती है, क्या आप उस शेरनी और बच्चों को पकड़ कर जयपुर की जू में नहीं रख सकते, जहां पर लोगों को देखकर बहुत खुशी हो?

श्री नाथूराम मिर्धा : गेम सेन्चुरी और नेशनल पार्क इसलिये बनाये गये हैं कि स्वच्छन्दता से लोग जानवरों को देखें। जू में देखने की बात अलग है, खुले जंगल में देखने की बात अलग है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सरकार ने इनके खाने पीने का इन्तजाम कर दिया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़े बड़े जानवर और पक्षी अपने आप खाने का इन्तजाम कर लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपने इस प्रकार के शिकारियों को अपॉइन्ट किया है जिनके ज़रिये शेर आदि को पकड़वा सकें?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐं?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार के पास ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा शेर शेरनी जंगलों में विचरते हैं उनको पकड़वाने का प्रबन्ध किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसे लोग बैठे हैं जो बन्दूक मारने के लिये तैयार हैं, इससे बचने में मुश्किल पड़ रही है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार सदन के सदस्यों को नेशनल पार्क बताने के लिये ले जायगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गिरनार की तरफ एक सेंचुरी बना रखी है, वहां

(रावराजा श्री सरदारसिंह):

सड़कें भी बना रखी हैं, और उन्हें दिखाने के लिए सदस्यों को ले जाते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारी सरकार ने भी ६ सेन्चुरी बना रखी है, एक कोटा में है और दूसरी अलवर में है । इन सेन्चुरी में काफी शेर-शेरनियां हैं । सरकार की ६ सेन्चुरीज हैं, आप हमारे साथ चलिये, हम आपको दिखायेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ऐसी योजना बनायेंगे कि जंगलात विभाग की तरफ से इनको सबको (सब सदस्यों को) ले जाकर बतायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात के मौसम में जो माननीय सदस्य फुर्सत में होंगे उनके लिये प्रोग्राम बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अगर शेर ने....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order ! Please

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : शेर ने आदमियों को मार डाला, तो सरकार क्या एक्शन लेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

६. १८ म० पू०

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने····

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक प्रश्न पूछा था, आज से चार पांच दिन पहले ···

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : आज दो प्रश्न स्वीकार किये गये, उनके उत्तर दे दिये गये । बाकी के लिए आप पूछताछ करें ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न-लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१ श्री श्रीनिवास १५–४–५८ से २५–४–५८ तक

२ श्री शंकरलाल १६–४–५८ से १८–४–५८ तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री टीकाराम पालीवाल द्वारा त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री टीकाराम पालीवाल ने राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, जो इस प्रकार है :

Page No.35

(श्री अध्यक्ष)

"To

The Speaker,
Rajasthan Legislative
Assembly, Jaipur.

sir,

I hereby tender my resignation of my seat in the Assembly with effect from afternoon today the 16th day of April, 1958.

Yours faithfully.
Sd. Tika Ram Paliwal"

६. १६ म०पू०

सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी द्वारा सदन की मानहानि करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

(प्रतिवेदन पर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा १४. ११. ५७ को दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा जो इस पर संशोधन है वह यह है कि : "That the question be re-committed to the same eommittee for examining the matter of taking exemplary disciplinary action against the Directorate of Public Relations."

"That the queston be racommitted to the commuittee fcr reconge deration." माननीय अध्यक्ष, यह एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आज यह सदन जो निर्णय ले, यह जिस निर्णय पर पहुँचे वह निर्णय आज ही नहीं, मगर जनतन्त्र के इतिहास के अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा और उस निर्णय से हम यह भी स्थापित कर देंगे कि राजस्थान के अन्दर जनतन्त्र प्रणाली सुचारु रूप से चले या न चले, आज हम यह भी स्थापित कर देंगे कि एक नेग्लीजेन्ट ऑफिसर है, वह इस तरह अपनी ड्युटी को इग्नोर करे, उसके इग्नोर करने के बाद फिर यह सदन उसको माफ कर दे, तो यह होगा कि सदन की प्रतिष्ठा और माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा पर सदा के लिए धक्का लग जायगा। आज हमको चारों तरफ से इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सोचना है। मैं अब इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए सदन के सामने यह रखूंगा, बताऊंगा कि इन माननीय ऑफिसर ने, यही नहीं कि इन्होंने इसके अन्दर, मैं कहूं कि सदन की मानहानि के अन्दर कनाइव करा, इसके अन्दर कोपरेट नहीं किया, यह आदमी तीन तारीख से १२ तारीख तक नेगलीजेन्ट रहा और जो लिखा हुआ था, उसकी परवाह नहीं की। इसके अलावा इन ऑफिसर साहब ने जो हमारी प्रिविलेज कमेटी थी, उसके सामने फेक्ट्स नहीं रखे। मैं यह कहूं कि उन्होंने हमारी प्रिविलेज कमेटी से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया जो एवीडेन्स है, जो एवीडेन्स उनको देनी चाहिए, उसको उन्होंने छिपाया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जब एक आदमी सदन की प्रिविलेज़ कमेटी को कोऑपरेट न करे, एवीडेन्स को वह छिपाये, तो वह ऑफेन्स को एग्रेवेट करता है, और

(श्री श्रीभानसिंह)

जब एग्रेवेट करता है तो मैं नहीं सोचता कि किस तरीके से कोई माननीय सदस्य, इस सदन को यह कह सकता है कि उनके प्रति हमको सहानुभूति होनी चाहिए और उनको मेगनीमिनेट का परिचय देना चाहिये, जो आदमी कोऑपरेट न करे, जो आदमी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको साबित करने के अन्दर उस कमेटी को सहूलियत देने के अन्दर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता है, उस आदमी को किसी तरह भी सदन को माफ नहीं करना चाहिये। अब उन्होंने कैसे कोऑपरेट नहीं किया, सब से पहला उदाहरण यह है कि वे डिस्क्रीपेन्सी पैदा करते हैं, डिस्क्रीपेन्सी चला कर पैदा करते हैं, वह इसलिये कि कमेटी एक सच्चे निर्णय पर नहीं पहुंचे, कमेटी सच्ची रिपोर्ट पेश न कर सके और सदन उस गलत रिपोर्ट से इस निर्णय पर आये और यह कहे कि यह आदमी इन्नोसेन्ट है, जब कि वह आदमी, माननीय ऑफिसर, मैं कहूं कि जनतन्त्र का मर्डरर है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सज़ा भुगतनी चाहिए।

किसी माननीय सदस्य (प्रस्तावक महोदय) ने कहा कि वहां हैडिंग था "चोर मंडली" और जो अफसर थे वे कहते हैं कि "ये चोर हैं" यह लिखा हुआ था। तीन तारीख को उद्घाटन होता है एग्ज़ीबिशन का और १२ तारीख को माननीय सदस्य यहां नोटिस में लाते हैं। तीन तारीख तक किसी अफसर ने, डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ने कभी यह देखने का कष्ट नहीं किया कि क्या लिखा है? फिर कमेटी ने यह प्रश्न उनसे पूछा कि "ये चोर हैं" यह लिखा है, यह कैसे जाना तो उन्होंने कहा कि हमने डिसर्न किया, डिसर्न किया तो उनसे यह पूछना चाहिये था कि कलर किसने किया था, उस स्टॉल के अफसर ने किया तो क्या स्टाल का इन्चार्ज देख नहीं सकता था कि क्या लिखा है। तो वे डेलिबरेटली कमेटी के सामने आते हैं और असत्य ऐवीडेंन्स देते हैं, आखिर तक कमेटी से कोऑपरेट नहीं करें और उसके लिये हमारी कमेटी रिकमन्ड करे कि इन्हें माफ कर दिया जाय। जनतंत्र में सबसे पहला ऑफेन्स किया है कि वहां यह चीज़ लिखी और उस चीज़ को वहां लिखा रहने दिया और फिर यह किया कि कमेटी के सामने फैक्ट्स नहीं रखे।

मैं उन पर पहला चार्ज यह लगाता हूं कि उन्होंने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया जिससे हमारी कमेटी गलत निर्णय पर गई और इस प्रकार की रिपोर्ट पेश की जिससे सदन ठीक तरह से उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श नहीं कर सकती।

दूसरा, कमेटी ने कहा कि हम इनको पनिशमेंट इसलिये नहीं दे सकते कि प्रिविलेजेज़ कोडोफाइड नहीं हैं। कोडिफिकेशन का जहां तक सवाल है, उन्होंने B.R.jain के केस से एनोलोजी लेने की कोशिश की है, किन्तु उससे यह केस भिन्न है। कोडिफिकेशन का जहां तक प्रश्न है डेमोक्रेसी में कोडिकेफिशन का कोई सवाल नहीं। तो यह बात नहीं है कि कोडिफिकेशन नहीं तो प्रिविलेज़ एनमॉली पर हम निर्णय कर सकते हैं संविधान की धारा (अनुच्छेद) १०५ में यह दिया हुआ है कि :

"In the absence of codification, the privileges shall be such as enjoyed by the House of Commons."

(श्री श्रीमानसिंह)

जो हाउस ऑफ कॉमन्स की analogy एप्लाई करेंगे तो हमको ऐसे इन्स्टान्सेज़ पनिशमेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के ढूंढने पड़ेंगे, और कोडिफिकेशन है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे केसेज़ नहीं मिलें तब तक पनिशमेंट नहीं दें। हाउस की मर्जी पर ही डिस्क्रिशनरी पॉवर्स हैं। अगर दो पैरेग्राफ्स मेज़ के पढ़ कर सुनाऊं तो ठीक रहेगा :

"The powers to punish for contempt being in its nature discretionary, any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duties, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results, may be treated as a contempt even though there is no precedence for the offence."

तो मेज़ यह एस्टेब्लिश करता है कि हमको पनिशमेंट देने के लिये किसी Precedence की जरूरत नहीं है, जो कि कमेटी ने प्ली ली है। कमेटी ने जो पहला इश्यू बनाया था वह यह था कि... "whether the incident in question amounts to a breach of privilege." इस इश्यू पर कमेटी ने एग्री किया कि.... "It is a breach of privilege." जो ऑनरेबल मैम्बर ने वर्सन दिया उस पर कहा : "Shri Mathur's version is, therefore, accepted." ऑनरेबल मेम्बर का वर्सन एड्मिट करते हैं तो यहां कमेटी में ऑफिसर ने एविडेन्स दी वह असत्य थी और वह एविडेन्स को छुपाना चाहते थे व कमेटी के साथ उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। माननीय सदस्य के वर्सन को एक्सेप्ट कर लिया कमेटी ने तो अफसर पर जो चार्जेज़ लगाये, उनके बारे में कमेटी अन्त में यह कहे कि माफ कर दिया जाय यह कहां तक उचित है ?

दूसरा इश्यू कायम किया गया वह इस प्रकार था : "whether it occured due to the negligence of the Directorate." नेग्लिजेंस किस प्रकार की हो सकती है, डायरेक्टर ने प्ली यह ली है कि हमारी इनएडिक्वेसी ऑफ अटेन्डेन्ट्स थी, उसका नतीजा यह हुआ कि रश में कोई आदमी आया और लिख गया। दो आदमी दरवाजे पर रहते हैं, एक एड्मिट करता है जो देखने आते हैं उनको ले जाता है, तो तीन आदमी वहां रहते हैं, ऐसी हालत में रश में कोई आया और लिख गया यह कितना रांग आर्ग्युमेंट है, कैसे कमेटी के माननीय सदस्यों ने एक्सेप्ट कर लिया, रश में एक आदमी जेब काट सकता है, पर यह ख्याल किया जाय कि 'चोर मंडली' यह अननोटिस्ड लिख दे और अननोटिस्ड Crowd में चला जाय, यह पोसिबल नहीं। क्राउड में कोई इतना बोल्ड इन्डिविज्युअल नहीं हो सकता जो यह लिख दे और अननोटिस्ड रह जाय। पर फैक्ट यह है कि यह जो लिखा गया उसे ३ तारीख से १२ तारीख तक डायरेक्टर और ऑफिसर इन्चार्ज हैं वे उस चीज़ को देख कर हंसे। पर क्राउड में कोई मनुष्य लिख कर चला जाय और क्राउड उसे देखे नहीं, तो मैं समझता हूं कि जो लिखने वाला था उसी के आंखें थीं और क्राउड जो गई वह अन्धी थी। क्राउड की साइकोलोजी, क्राउड की मेन्टेलिटी और टाइम को देखना चाहिये

(श्री श्रीमानसिंह)

कि रश के अन्दर कोई लिख सकता हैं, रश में इतना टाइम मिल सकता है ।

उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस की अपील कर दी कि हमारे पास स्टॉफ इनएडिक्वेट था, उन्होंने रांग आर्ग्युमेंट दिया । उन्होंने यह नहीं बताया कि ३ तारीख से १२ तारीख तक किस रोज हुआ या १२ तारीख को ही होता है । जब माननीय सदस्य यहां प्रिविलेज़ का प्रश्न उठाते है और उनका सब देख लेते हैं, यह जो चोर मंडली लिखा गया था वह ३ से १२ तारीख के बीच में लिखा जाता है तो एग्ज़ीबिशन शाम के वक्त होती थी, सुबह एग्ज़ीबिशन क्लोज्ड रहती थी, तो क्या आपके अफसरों ने क्लीन कराने की कोशिश नहीं की, कोई चीज साफ करने की कोशिश नहीं की, कोई चीज खराब जगह तो नहीं है, किसी चीज़ को क्राउड ने खराब तो नहीं कर दिया, यह देखने की कोशिश नहीं की ? शायद शाम के वक्त स्टाल खुलता था और एग्ज़ीबिशन बन्द होती थी तो बन्द करके चले जाते थे । और फिर शायद दूसरे दिन शाम को ही आकर खोलते, मगर यह बात नहीं थी । एक आदमी ड्यूटी पर रहता था और गवर्नमेंट की तरफ से यह हिदायत थी कि जितने भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स हों वे हमेशा वहां पर एग्ज़ामिन करने के लिये जावें । मतलब यह कि डाइरेक्टर और ऑफिसर्स यदि नही देखते हैं तो यह उनकी डेलिब्रेट निगलीजेन्स है जिसके लिये वे यह कहते हैं कि हमने देखा नहीं । यह जो उनका प्ली है उसको कभी भी नहीं माना जा सकता है । It was a deliberate negligence. दूसरा प्ली यह लिया गया है कि उसके चारों तरफ वायर्स नहीं लगे थे । इसके लिये ऐसा हो सकता है यह चीज़ एसेसएन्शल थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तार नहीं लगाये गये थे तो यह किसकी जिम्मेदारी थी, यह तार लगाने की रेसपोन्सिबिलिटी किसकी थी ? यह जिम्मेदारी उसी डाइरेक्ट्रेट और उसी डिपार्टमेंट की थी । यह कोई वजह नहीं कि किसी काम को वे एफिशियेन्टली नहीं करें और उसका फल जनतन्त्र सफर करे । यह नहीं कि माननीय सदन के सदस्यों की मान हानि हो । यह नहीं हो सकता कि उनकी इनएडिक्वेसी और नेगलीजेन्स के कारण जनतन्त्र Sovereign इन्स्टिटयुशन की मान–हानि होती रहे और वे देखते रहें । मैं यह कहूंगा कि इससे जनतन्त्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने में डाइरेक्टोरेट ने सहयोग दिया है । यह लॉ का पॉइन्ट है और इसको डाइरेक्टर नहीं पहचानता है । यह उसकी Executive and legislative रेसपोन्सिबिलिटी आती है और उसके लिये उसे सफर करना चाहिये । उसने जो भी केयरलेसनेस और नेगलीजेन्स बरती है और उस कारण हमारी मान हानि हुई है उसका रिज़ल्ट उसको सफर करना चाहिये । यह सब होते हुए भी अन्त में मैं यही कहूंगा कि मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी को इसलिये रेफर करने के लिये निवेदन किया था कि वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार होगा जिससे कि हम राजस्थान में अपने डेमोक्रेटिक Institutions, जो अभी शुरू हुआ है और आज उसको ६ साल हुए हैं उसके लिये पब्लिक में कॉन्फीडेन्स क्रिएट हो उस सम्बन्ध के जो भी पॉइन्ट्स होंगे उन पर विचार किया जाएगा । मगर यहां पर एपोलोजी मांग कर अपनी लाएबिलिटीज़ को दूसरों पर शिफ्ट करें तो हमें उस सम्बन्ध में सोचना होगा क्योंकि आज डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा चैलेन्ज़

Page No.39

(श्री श्रीमानसिंह)

है एग्ज़िक्यूटिव से। मैं आप को यह बताऊं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इसी तरह से हुआ वहां पर भी इसी तरह से स्ट्रगल चला, एग्ज़िक्यूटिव क्राउन और लेजिस्लेचर के आपस में स्ट्रगल चला। यह १७ वीं, १८ वीं शताब्दी में हुआ और वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने रूल्स बनाये जो आज भारतवर्ष में भी लागू हैं। वे मैं आपको बता देना चाहता हूं। वहां पर इन्सीडेन्ट हुए। यहां पर एक दिन इन्सीडेन्ट हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय यह इन्सीडेन्ट हुआ उस समय बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसको माफ कर दिया जावे और अपनी उदारता का परिचय दिया इसलिये यह कहा जाना कि वे आज भी दें मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं होगा। मैं दोनों में काफी अन्तर समझता हूं। एक तरफ पब्लिक के व्यक्ति थे जिसने इन्सीडेन्ट किया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर रिस्पोन्सिबल ऑफिसर हैं जो इस प्रकार से करते हैं। जो उदारता पब्लिक के साथ करना चाहते हैं वह इनके साथ नहीं बरती जा सकती है। पब्लिक के कुछ फन्डामेन्टल राइट्स हैं और सदन कभी यह नहीं चाहता कि उनके फंडामेंटल राइट पर कुछ कुठाराघात हो। मगर सदन को राइट है कि वह एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन ले। सदन को राइट है किसी प्रकार के एक्शन लेने का against the executive अगर वे किसी प्रकार से रूल्स का दुरुपयोग करते हैं और अपने पॉवर का दुरूपयोग, तो सदन को हर कदम पर स्ट्रोंग एन्ड सीवियर कदम उठाना पड़ेगा। आज भी स्ट्रगल है और सदन को स्ट्रगल करना है। यदि हम आज एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को माफ कर देते हैं उसकी एपोलोजी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सदन के लिये शोभा की बात नहीं है और हम अपने सदन को लो स्टेज पर ले जाते हैं। जो पब्लिक में थोड़ी रेस्पेक्ट और पब्लिक का कॉन्फीडेन्स सदन में है, और हम लोगों की इन्टीग्रीटी और करेक्टर पर है उसको लो कर रहे हैं और लो करने में माननीय अफसर ने पार्टिसीपेट किया है। यदि आज उन लोगों को जिन्होंने हमारा करेक्टर और इन्टीग्रीटी को लो किया उनको अगर माफ कर दिया जावे तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आखिर यह सदन फिर कहां रहेगा ? माननीय सदस्यों की क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय के भी पिक्चर थे। हमारे ऑफिसरों ने ऐसा किया यह हमारी नहीं बल्कि सदन की इन्सल्ट है।

Through his deliberate negligence the Directorate has grossly insulted the Hon'ble Members, the Ministers and the Hon'ble Speaker, and for this action he should suffer the consequnecs. यह किया है। जब उन्होंने हमारी इन्टीग्रिटी और करेक्टर को हिट किया है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनको एपोलोजी नहीं दें। हमारे माननीय सरकारी अधिकारी उनको जिस समय वे इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देते हैं और कहते हैं कि उनको माफ कर दिया जाए और उसके लिये हमें भी कॉन्फीडेन्स में लेना चाहते हैं। अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह ओपॉर्चुनिटी है जब आप सदन की सोवरन्टी को कायम कर सकते हैं। यह आप जानते हैं कि यह ऑफिसर की नेग्लीजेन्स नहीं है ? मैं तो यह कहूंगा कि यह

Page No.40

(श्री श्रीभानसिंह)

हमारे जनतन्त्र की फाउन्डेशन को शेक करने में उन्होंने पार्टीसिपेट किया है और करते हैं, उनको मैं तो यही कहता हूँ कि एपोलोजी कभी भी मंजूर नहीं की जावे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर हम एपोलोजी दे देते हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा, यह हमें देखना होगा। इसलिये अंत में मैं तो यही कहूंगा, इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास वापिस भेजा जावे ताकि उनके खिलाफ कुछ डिसिपिलीनरी एक्शन लिया जावे ताकि एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को कुछ पता चले कि सदन के सदस्यों की इन्टीग्रेटी और करेक्टर को चैलेंज करेंगे और अपनी ड्युटी को निग्लेक्ट करेंगे तो सदन हमसे एक्शन लेने के लिये तैयार रहेगा। यदि हम डेमोक्रेसी के फाउन्डेशन को शेक करने में कनाइव करेंगे तो सदन एक्शन लेने के लिये तैयार रहेगा। and the House must taken action against such officers मैं फिर यही कहूँगा कि एक पब्लिक के आदमी और एक एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ एक सा कदम नहीं उठाया जाए। क्योंकि पब्लिक और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर में फर्क है। एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को १५००) या २०००) माहवार की तनख्वाह मिलती है और वह सदन के सदस्य की और सदन की रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर सदा ही ऐसा किया करते हैं और जब कभी पकड़ में आ जाते हैं तो एपोलोज़ी मांग लेते हैं और एपोलोज़ी मांग कर बच जाते हैं। मगर जिस समय माननीय सदस्य, कभी भी किसी ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं तो वे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। अभी १० रोज की बात है। एम. एल. ए. के लिए कहते हैं कि एम. एल. ए. क्या कोई लार्ड साहब है या कोई परमात्मा है। सदन के बाहर ही गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। जब एम. एल. ए. के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस समय लेजिस्लेचर के चक्कर में आ जाते हैं तो माफी मांग कर छूट जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय हमारे उनको माफी मांगने पर माफ कर सकते हैं। 'वे चोर-मंडली' के सदस्य हो सकते हैं, मैं चोर मंडली का सदस्य नहीं हूँ और न मेरे से....

६.३६. म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री जनार्दनराय नागर : I object to these remarks. It is an aspersion on the membrs.

श्री श्रीभानसिंह : ये वर्डस इसमें लिखे हुए हैं, These are not my words.

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, I again rise and strongly object to the remarks which have been used by my friend on that side.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Dy.Speaker, Sir. I do not follow why he is raising objections when I have already said that these aspersions are not from my side.

श्री जनार्दनराय नागर : I request a ruling from the Chair.

श्री श्रीभानसिंह :Sir, he has not

(श्री श्रीमानसिंह)

understood me. The caption includes all the members including myself, the Hon'ble member and the Chair. I was just praying to the House...

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, my objection...

श्री श्रीमानसिंह : Let me finisih, I request...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! No disturbance please.

श्री श्रीमानसिंह : Sir, I request, plead and pray to the House that stringent action should be taken aginst the officers who are responsible for commiting the breach of privilege and that is my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Dr. Chandra Kala. She has moved the amendment.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ :

"That the Report be recommitted to the Committee for re-consideration.'

इस रिपोर्ट को शुरू से आखीर तक ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। विशेषाधिकार समिति के निर्णय के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि समिति ने पहले से निश्चय करके उसके अनुसार कार्यवाही की है। एक लक्ष्य उन्होंने यह निर्धारित कर लिया है कि हमें क्या व्यू लेना है और उसके अनुसार सारी घटनाओं को बिठाने की कोशिश की गई है। होना यह चाहिए था कि सारी घटनाओं का यथा तथ्य, निष्पक्षता की दृष्टि से विवेचन किया जाता, उनको भलीभांति देखा जाता और स्टेडी की जाती और फिर समिति उस पर नतीजा यह निकालती और निर्णय लेती। इसलिए मैंने अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंपर्क विभाग ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह उचित नहीं था। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि जन संपर्क विभाग ने अक्टूबर में होने वाली प्रदर्शनी में 'हमारा राजस्थान' शीर्षक से एक स्टॉल बनाया था। उसमें उन्होंने विधान सभा के सदस्यों के चित्र भी प्रदर्शित किये थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूँ कि जिस तरह वे चित्र प्रदर्शित किये गये थे, और उस चित्रावली पर जो कुछ अपमान के शब्द लिखे गये थे वे निश्चय ही विधान सभा के सदस्यों के प्रति असम्मान के द्योतक थे। जिस किसी ने भी वह प्रदर्शनी देखी होगी उसने यह देखा होगा कि वहां पर एक कार्ड बोर्ड पर जिस प्रकार रामनिवास बाग में बैठकर छः छः आने में चित्र खींचने वाले विज्ञापन के लिये अपने चित्र कार्ड बोर्ड पर लगा देते हैं, उसी प्रकार वहां पर विधान सभा के सदस्यों के जिसमें माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के चित्र भी थे चिपकाये हुए रखे थे और दूसरी बात यह थी कि जहां प्रदर्शन की दूसरी चीजों पर, चित्रों पर तो शीर्षक थे, विधान सभा के सदस्यों के चित्रों पर कोई शीर्षक नहीं था। इस रिपोर्ट में कहा है कि हमारे प्रान्त के नये प्रतिनिधियों का परि-

(डॉ० चन्द्रकला)

चय कराने के लिए ये चित्र वहां रखे गये थे। क्या परिचय इसके द्वारा इस प्रकार दिया गया था कि उस पर कोई शीर्षक नहीं सदस्यों के चित्रों के नीचे उनका कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : शीर्षक दिया तो नाराज हो गये।

डॉ० चन्द्रकला : मैं यह कहती हूँ कि जब कमेटी ने यह कहा कि जन संपर्क विभाग का उक्त उद्देश्य था उसी के आधार पर कमेटी ने निर्णय दिया। लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए था कि प्रान्त के नव निर्वाचित सदस्य जो जनता के प्रतिनिधि हैं क्या जन संपर्क विभाग द्वारा उनके चित्रों के प्रदर्शन करने का यही नमूना है? क्या इस प्रकार से बोर्ड पर तस्वीरें चिपका कर उनकी जानकारी देना उचित था? वही जन संपर्क विभाग जब छोटी २ पुस्तिकायें निकालती होती हैं तो आर्ट पेपर पर निकालता है। कलेन्डर का पेपर जिनकी कीमत महीने की आखिरी तारीख तक होती है अच्छा बढ़िया आर्ट पेपर पर होता है। वही विभाग विधान सभा के सदस्यों के चित्रों को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति विधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना के अभाव की सूचक है। इससे आगे कमेटी निर्णय देती है कि यह जो कुछ किया गया वह विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं किया है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के काम और व्यवस्था में लग जाने के कारण ऐसा हो गया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि उनके पास काम और व्यवस्था का केवल मात्र बहाना था बल्कि जान बूझ कर ऐसी चीज़ पैदा की गई है। अथवा ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि वहां कोई अधिकारी पहुंच सकता था और ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती थी कि दो फीट से आगे अन्दर कोई नहीं जा सकता था। लेकिन यह बहाना लिया गया है। समिति के विचारों के प्रति सम्मान रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि समिति ने निर्णय दिया है कि भीड़ के हिसाब से व्यवस्था के आदमी कम थे केवल तीन असिस्टेन्ट और चौकीदार थे, दो पहर पर दिखाने के लिये, इसलिये जब भीड़ काफी उमड़ रही थी और उसमें से किसी ने तथा कथित "चोर मंडली" शब्द जाकर लिख दिया। किसी के समझ में नहीं आ सकता कि उमड़ती हुई भीड़ में से किसी ने जाकर कैसे लिख दिया? निश्चय ही यह प्रदर्शिनी के समय, भीड़ के समय किया हुआ काम नहीं है किन्तु जब प्रदर्शिनी बन्द हुई उस वक्त यह किया गया। उस वक्त जो व्यवस्था हो सकती थी सो नहीं रखी गई, यह नहीं सोचा गया कि कोई ऐसा कर देगा। प्रदर्शिनी बन्द होने पर सब अपना सामान संभालते हैं, अपने अपने विभाग ने अपना सामान संभाला होगा। लेकिन इस विभाग ने उसको संभाला तक नहीं। यह रुख बिल्कुल क्षम्य नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से आज हम उदाहरण के लिए, पार्लियामेंट और दूसरी जगहों के उदाहरणों को ढूंढ़ते और उसी तरह से आज इस विधान सभा में इस प्रकार का यह एक विशेषाधिकार प्रस्ताव आया है और इस पर जो परम्परा बनेगी उसको हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, उनसे सीखेंगी, वे यह देखेंगी कि इस प्रकार का एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था और उसके प्रति क्यों

(डॉ० चन्द्रकला)

कर लापरवाही बरती गई थी ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आने वाली पीढ़ियों के सम्बन्ध में अभी से चिन्तित नहीं होना चाहिए । We should not anticipate as to what would happen in future.

डॉ० चन्द्रकला : जरूर देखना है यह । मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि जो कुछ यहां होता है, जो कुछ रिकॉर्ड यहां रखा जाता है, जो कुछ परम्परा बनती है, जो आगे आने वालों के लिये मार्ग दर्शक बनती है उनका उल्लेख करना अप्रासंगित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कतई अप्रासंगिक है । anticipation is out of order.

डॉ० चन्द्रकला : तीसरी बात कही गई है कि विभाग के अधिकारी ने लिखित क्षमा याचना कर दी है इसलिए उदारतापूर्वक क्षमा कर देना चाहिये । मैं कमेटी के साथ सहमत हूं कि हमें उदारता का दृष्टिकोण लेना चाहिये । लेकिन हमें देखना है कि हमारा मूलभूत लक्ष्य क्या है ? हम किस तरह का कदम उठाते हैं किसी अपराधी के लिए कोई दंड विधान करते हैं । तो उसमें उद्देश्य एक होता है कि उसने अपने अपराधों को अच्छी तरह से समझ लिया है या नहीं ? हमें सिर्फ यह जानना है कि एपोलोजी कायदे की खानापूरी के ढंग पर है अथवा जो सचमुच विभाग ने अपनी गलती को अच्छी तरह से महसूस किया है ? अगर अच्छी तरह से महसूस कर लिया है तो निश्चित रूप से उदारतापूर्वक हम उसकी गलती को नजर-अन्दाज़ करने का सोच लें, नहीं तो फिर आवश्यकता इस बात की है कि स्वस्थ पर-म्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित निर्णय लें ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपा-ध्यक्ष ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का यह प्रतिवेदन जिस समय सदन में प्रस्तुत हुआ था उसके पहले सदन के सभी माननीय सदस्य इसके परिणाम की ओर उत्सुकता से निगाह लगाये हुए थे । लेकिन जब यह प्रतिवेदन मिला, प्रतिवेदन में उल्लिखित सब बातों की ओर ध्यान दिया गया तो कुछ ऐसा लगा कि सदन ने विशेषाधिकार समिति को यह कार्यवाही सुपुर्द करने में जिस भावना को लेकर कार्य किया था उस भावना के अनुसार कतई काम नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे कुछ इस सम्बन्ध में कहूं इसके पहले इस समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करूंगा और वह इसलिये कि आगे जिन बातों का यहां उल्लेख किया जाय वे उन कारणों से अपने व्यक्तिगत रूप में किसी प्रकार मोटिव इम्प्युट न करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कमेटी ने जिस प्रकार से कार्यवाही आरम्भ की है उसके बेक ग्राउन्ड को लेकर कमेटी ने यह उल्लेख किया है कि इस विभाग के उच्च-अधिकारी ने बिना शर्त माफी मांगने की चेष्टा की है । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या 'चोर

(श्री भैरोंसिंह)

मंडली' शब्दों का प्रयोग अगर राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के फोटो के ऊपर बिना अधिकारी की जानकारी के कोई दर्शक लिख दे उसमें सरकारी अधिकारियों का क्या दोष है? जब वे दोष रहित हैं तो किसी भी कमेटी के कार्य के आरम्भ के पहले ही उन्हें क्षमा-याचना करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इस पर गहराई से सोचें तो स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि इस फोटो के प्रदर्शन को लेकर जो इस फोटो के सम्बन्ध में जो प्रीविलेज मोशन आया है उसके अन्तिम निर्णय तक उन अधिकारियों के मस्तिष्क में एक प्रकार का एप्रीहेन्सन था और वह यह था कि जो भी कुछ हमने गलतियां की हैं उनके कारण सजा मिल सकती है और उस सजा से बचने का एक मात्र तरीका है अन्कन्डीशनल क्षमा याचना करलें और इसके लिए इस कमेटी के सामने दरख्वास्त पेश करें।

उपाध्यक्ष महोदय इन सब बातों को देखने के लिए हमें इस बात के मूल में जाना पड़ेगा इस प्रकार के एग्ज़ीबिशन में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के फोटो लगाने की आवश्यकता क्यों कर महसूस हुई? हो सकता है जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की जानकारी देने के लिए, उनका परिचय लोगों को मिल सके इसलिये उनके फोटो वहां एग्जीबिट किये गये थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां सदस्यों के फोटो लगे हुए थे उन फोटोज़ के नीचे उनका नाम नहीं था। जहां नाम नहीं वहां सदस्यों का परिचय नहीं। बिना मेरी फोटो के नीचे मेरा नाम लिखे कौन कैसे पहचान सकता है कि यह भैरोंसिंह हैं, राजस्थान का हर व्यक्ति बिना नाम के नीचे लिखे कैसे यह जान सकता है यह फलां फलां सदस्य है। जिस एग्जीबिशन में हम फोटोज़ इसलिए एग्ज़ीबिट करें कि इनसे लोगों का परिचय मिल सके वहां नाम नहीं हों तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है। उसके लगाने में कोई फायदा नहीं है। आज यह प्रश्न एक नैतिकता का प्रश्न है, शिष्टता का प्रश्न है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का फोटो जो लिया जाता है वह इसलिये लिया जाता है कि इनका रेकार्ड मेन्टेन किया जाय, विधान सभा के सदस्यों का फोटो लेकर यह रेकार्ड मेन्टेन किया जा रहा है कि सन् १९५२ के चुनावों में कौन सदस्य चुनकर आये हैं और सन् ५७ में कौन कौन से सदस्य राजस्थान विधान सभा के बन कर आये हैं। इसलिए रेकार्ड रखने की दृष्टि से अपना कर्तव्य समझ कर सरकारी अधिकारी फोटो लेने के लिये आये और फोटो उनको दी। फोटो देने के बाद में उसको एग्ज़ीबिशन में प्रदर्शित किया जाय और बिना अनुमति के प्रदर्शित की जाय तो मैं समझता हूँ यह अपराध चोर मण्डली के लिखने के अपराध से भी बड़ा अपराध है। किसी भी सदस्य का फोटो एग्ज़ीबिट किया जाय और सम्बन्धित सदस्य से अनुमति न ली जाय तो राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति ली जानी चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है मैं इस संबंध में यह कह सकता हूँ राजस्थान एग्जीबिशन में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के फोटो एग्ज़ीबिट करने के लिये विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति नहीं ली गई और इन्डिविजुअल मेम्बर से भी अनुमति नहीं ली गई कि उनका फोटो एग्ज़ीबिट करना चाहते हैं।

मैं समझता हूं मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं लेकिन कानून जरूर इस प्रकार का है कि

(श्री भैरोंसिंह)

अगर किसी सदस्य का फोटो एग्ज़ीबिट किया जाता है तो उससे पहले उनकी अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति की आवश्यकता उस समय प्रतीत नहीं होती जब कि सम्मिलित फोटो हो। लेकिन इस प्रकार के फोटो प्रदर्शन में अनुमति न लेना कानून की खिलाफत है। बिना अनुमति के एक सदस्य का फोटो लगाया जा सकता है किन्तु सामुहिक रूप से यदि फोटो लगाये जाते हैं तो उसके लिये अनुमति नहीं ली जाय, तो यह कानून के खिलाफ है। माननीय सदस्य की अनुमति न ली जाकर जो इस सदन के सर्वोच्च सत्ताधारी हैं, माननीय अध्यक्ष उनकी भी इजाज़त से वे फोटो लगा सकते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार से किसी की भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई और बिना अनुमति के इस प्रकार के फोटो लगाये गये। जिस प्रकार से फोटो लगाये गये थे वे सामुहिक रूप से फोटो नहीं लगे हुए थे। सभी मेम्बरों के अलग अलग फोटो लगे हुए थे और उन सब को एक जगह करके एग्ज़ीबिट किया गया उस फोटो से पता चलता था कि ये सदस्य सामुहिक रूप से चुनकर आये हों ऐसा पता नहीं चलता था। उन फोटोज़ को अलग अलग लगाकर फिर शामिल करके एक कार्ड बोर्ड पर लगाये हुए था। ऐसी स्थिति के अन्दर कोई यह कहे कि फोटो कब लाये गये, कब चिपकाये गये, यह मुझे जानकारी नहीं। यह मानने लायक बात नहीं है। इसमें मुख्य सवाल है कि पहले तो इन फोटोज़ का बिना अनुमति के प्रदर्शन हुआ, न इसमें अध्यक्ष महोदय की अनुमति ली गई और बिना अनुमति लिये ही माकी की स्टेज़ पर पहुँच जाते हैं इसलिये यह कार्यवाही अधूरी है।

अब दूसरा प्रश्न आता है जो फोटोज़ लगाये गये उन्हें दर्शकों ने देखा विधान सभा के सदस्यों से परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से देखा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां डेढ़ सौ सदस्यों के फोटोज़ उसमें थे उन पर किसी पर नाम लिखा हुआ नहीं था नाम के अभाव में हर दर्शक ने अपनी अपनी दृष्टि से कल्पनायें की हैं और उसी के आधार पर किसी ने चोर मंडली उस पर लिख दिया। 'चोर मंडली' ये शब्द किसी दर्शक ने लिखे हैं या किसी अधिकारी ने लिखे हैं इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं। किसी दर्शक ने ही लिखा हो किसी अधिकारी ने नहीं लिखा हो यह कोई कह नहीं सकता किस स्थान पर लिखा हुआ था, किस अधिकारी ने लिखा, किसका हैन्ड राइटिंग इस सबकी जानकारी नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में कोई यह कह नहीं सकता कि दर्शक द्वारा ही वह लिखा गया है, अधिकारी द्वारा नहीं। ऐसा कोई सबूत नहीं, एप्रीहेन्शन की तौर पर आप मानते हैं। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं वह किसी दर्शक द्वारा न लिखा जाकर किसी अधिकारी द्वारा लिखा गया है। जब यह सवाल सदन में उठा उसके बाद भी सावधानी नहीं बरती गई उस हैन्ड राइटिंग को अपनी कस्टेडी में लिया जाता और जांच की जाती कि वह हैन्ड राइटिंग किसका है। जब विधान सभा में प्रश्न उठाया जाय, प्रश्न उठाने से पहले तो वह फोटो लगा हुआ था और प्रश्न के उठाने के बाद जब कि आपका ध्येय फोटो रखने का था लोगों को विधान सभा के सदस्यों से परिचित कराने के लिये तो उसके बाद फोटो हटा लिये जाते हैं। तो इससे यह साफ़ जाहिर होता है कि आपकी परिचय

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

दिलाने का तो दृष्टिकोण एक प्रकार से समाप्त हो गया जब कि आपने वहां से फोटो हटा लिये। जब प्रश्न उठा तो चोर मंडली जो लिखा हुआ था उसको मिटाने की बजाय उसको अपने कब्जे में लेते, उस हैन्ड राइटिंग को देखते, किसका है क्या किसी अधिकारी का है या किसी दर्शक का है उस सब की जानकारी करके कमेटी के सामने रखते। उसके बाद प्रीविलेज़ कमेटी उस पर जांच करती है कि हैन्ड राइटिंग वास्तव में किसी अधिकारी का है या किसी दर्शक का। यह सब कुछ न करके जो चोर मंडली लिखा हुआ था उसको पहिचान न सके इसलिये उसको मिटा दिया गया। इन सब बातों से ऐसा आभास मिलता है कि ऐसा एप्रीहेन्शन पैदा होता है 'चोर मंडली' शब्द लिखने वाला कोई दर्शक न होकर डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स के अधिकारी की शरारत थी। इस सम्बन्ध में जानकारी की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है। हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन स्थिति ऐसी है जिसमें यह भी सन्देह हो सकता है कि जब उस पट्टे को साफ कर दिया गया, उसके निशान तक नहीं रक्खे यह सब इसलिये किया गया कि जान बूझ कर छिपाया गया है ताकि सही स्थिति का पता न लग पाये।

इसके अलावा दूसरा प्रश्न आता है जब विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था उस समय एग्ज़ीबिशन चालू थी। 'चोर मंडली' का जब प्रश्न आया उस समय हर आदमी को यह उत्सुकता जानने को हुई कि चोर मंडली में उनका फोटो है या नहीं। मैं गया जान बूझ कर, केवल इस बात को देखने के लिये कि मेरी फोटो है क्या। यदि मेरी फोटो का एक्सप्रेशन हुआ है तो कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर सरकार पर मुकद्दमा भी तैयार करना चाहिये, यह सोच कर गया।

श्री मूलचन्द डागा : किस रूप में मुकद्दमा होता साहब ? कैसे कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं कर सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : We are not going to discuss that. यह मुकद्दमे का प्रश्न नहीं है।

१०. १ म० पू०

श्री भैरोंसिंह (जारी) : और फिर आपकी वकालत पर मुझे विश्वास भी नहीं है। तो इस तरह से मेरी भी उत्सुकता बढ़ी। मैं देखने की गर्ज से गया। इस विधान सभा के कई सदस्य भी मेरे साथ थे। जिनका नाम मैं नहीं बताउंगा। हमने कोशिश की कि जल्दी से टिकट मिले और अपना फोटो देखें। पर जिस उत्सुकता से देखने गये वहां जाने पर मेरा फोटो बदकिस्मती से वहां नहीं मिला। पर बाद में मैंने देखा तो असली फोटो वहां नहीं मिला, मुझे यह देखकर और अफसोस हुआ। चोर मंडली लिखा गया यह तो अपराध था ही, पर सारे चित्र पट को ही गायब कर देना यह और भी अपराध है इसका मतलब तो यह हुआ कि चोरी। किस लिये फोटो को वहां से गायब किया गया। यदि परिचय करना था तो चोर मण्डली शब्द को आप साफ कर देते, यदि साफ नहीं हो सकता था तो सफेद कागज़ उस पर लगा देते या कागज़ लगाने से भद्दा लगता

(श्री भैरोंसिंह)

है तो उस पोर्शन को काट करके परिचय चालू रखना चाहिये था। पर वह परिचय चालू नहीं रहा। फोटो को बदल दिया और उसके स्थान पर राजस्थान विधान सभा का जिस समय अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय का लिया हुआ एक चित्र रख दिया गया।

यह सारी कार्यवाही यह स्पष्ट संकेत करती है कि परिचय कराने का दृष्टिकोण उनका नहीं था। लोगों की तौहीन करने का दृष्टिकोण था। परिचय कराने का दृष्टिकोण होता तो वह फोटो उस रूप में वहां लगा रहता। पर वह भी उस रूप में नहीं। वह पूरी की पूरी फोटो की कॉपी भी उस रूप में नहीं। तलाश करने पर उसका पता भी नहीं। 'चोर मण्डली' किस भाषा में कौन लिख गया इसकी जानकारी नहीं। यह सब होते हुए बहाना क्या लिया जाता है कि किसी दर्शक ने लिख दिया होगा। मैं कहता हूँ क्या अधिकारी नहीं लिख सकता था। क्या सबूत है उनके पास कि कोई दर्शक ही लिख गया है। कोई भी लिख सकता था। तो ये इस प्रकार के फैक्ट्स हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, Is the Director of Public Relations in the Committee Room of the House at the present moment and not in the official gallery, and canvassing support for his apology ? I would like to know from the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : Whether he is in the gallery or in the committee room of the House...

(विराम)

Whether he may be in the Committee room or in the gallery, I am not supposed to give any information with regard to it. Yes, continue.

श्री भैरोंसिंह : कन्वैसिंग करना अपराध है।

श्री श्रीभानसिंह: I humbly submit, Sir, the officers are not supposed to be in any part of the House except the official gallery and if they are, Sir, it may become a breach of privilege,

श्री उपाध्यक्ष : I do not take notice of this issue. The Hon'ble Member will continue.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो जिस तरह से मैंने इसके तीन पहलुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की वह काफी स्पष्ट हैं। एक तो यह कि फोटो का एग्ज़ीबिशन माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों की बिना अनुमति से किया गया। फोटो पर चोर मण्डली शब्द लिखा गया। उसका फोटो नहीं लिया गया और बाद में उस फोटो को ही हटा दिया गया। ये तीन चीजें मिलकर इस बात का संकेत करती हैं कि यह सारा जितना भी काम हुआ माननीय सदस्यों की तौहीन इसमें हुई है, जनता में उनकी श्रद्धा घटी है। ये सारी चीजें कोई इन्सीडेन्टली नहीं थीं बल्कि डेलीबरेटली की गई थीं, डेलीबरेट एक्शन था। यह भी फिर किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की इस एग्ज़ीबिशन के संचालक थे जो एक इम्मीजि-

(श्री भैरोंसिंह)

एट अफसर हैं उनकी डेलीवरेट एक्शन था। तो ऐसे एक्शन के लिये हम आज यह कह कर चलें कि माफी मांग ली है। मैं कहता हूँ कि इसके सिवा उनके लिये कोई रास्ता नहीं था कि सदन से माफी मांगते। पर प्रश्न आता है कि इस प्रकार की स्थिति में सदन को माफी देनी चाहिये या नहीं मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस विधान सभा में जिस दिन से इसका सत्र शुरू हुआ है, मुझे इस प्रकार की आशंका मालूम हुई कि हमारे माननीय मन्त्रीगण स्वयं इस बात की चेष्टा करते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, वे क्षमा करें, विधान सभा के सदस्य कोई इज़्ज़त नहीं रखते, उनको कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं इस प्रकार का दृष्टिकोण उनके कार्यों से पा रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों की इज़्ज़त का प्रश्न आया। मुझे खेद है कि राजस्थान के गृहमन्त्री महोदय, वह भी गृह मन्त्री हो सकते हैं पर विधान सभा के सदस्य होने के नाते मेरे से बढ़कर नहीं हैं, एक दूसरे सदस्य से बढ़कर नहीं हैं, उनको जितने प्रिविलेज़ हैं उतने ही मेरे को हैं, हर सदस्य को है, जितने विशेषाधिकार उनको हैं, उतने ही हम सब सदस्यों को हैं। एक भी उनसे कम नहीं, ज्यादा नहीं। उनकी जितनी सदस्य होने के नाते इज़्ज़त है, उतनी मेरी भी इज़्ज़त है। पर अफसोस इस बात का है कि अपने को ईश्वर के फरिश्ते समझ कर ये ऐसे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह के एस्पर्शन्स न डालें।

श्री भैरोंसिंह : मजबूर होकर डलवाया जा रहा है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में मजबूरी का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसी मजबूरी न हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं उस मजबूरी की ओर संकेत करना चाहता हूं जिसके कारण सरकारी अधिकारियों का रवैया ऐसा बदलता जा रहा है कि यदि वे किसी इस सदन के सदस्य का अपमान भी कर दें तो....

श्री उपाध्यक्ष : I have already disapproved of the expression 'खुदा के फरिश्ते'

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि हम आज सरकारी अधिकारियों के इस रवैये को चिन्ता की दृष्टि से देखें। यह रवैया दिन पर दिन ऐसा होता जा रहा है कि हम इधर जो सभा के सदस्य बैठे हैं वे उनकी त्योहीन कर सकते हैं। इस में एक उदारता का दृष्टिकोण लाना है या जनतन्त्र की पद्धति के प्रति श्रद्धा रखने वाली कार्यवाही को अपनाना है। मैं समझता हूं ऐसा व्यक्ति खास तौर से कोई भी सदन का माननीय सदस्य दूसरे की इज़्ज़त को भी अपनी इज्जत के बराबर समझेगा। पर खेद है कि सदन में सरकारी बैन्चों में मन्त्रियों का रवैया इस समय जैसा बनता जा रहा है वह बड़ा खेदजनक है। उनकी अपनी इज्जत सबसे बड़ी, उनके दल में भी जो उनके ग्रुप के हैं उनकी इज़्ज़त उससे छोटी, उनके दल में भी जो विरोधी ग्रुप के हैं उनकी उससे कम और फिर आप देखेंगे कि विरोधी दल में इधर जो सदस्य बैठे हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं। मैं समझता हूं कि जहां तक इज़्ज़त का प्रश्न है यह असेसमेन्ट खुद नहीं कर सकते वे। इस इज़्ज़त का असेसमेन्ट तो समाज करता

(श्री भैरोंसिंह)

है। पर समाज का असेसमेन्ट का तरीका है। हम मैसेज़ कन्वे करते हैं वह मैसेज़ कन्वे किस के द्वारा किया जाता है। प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले ये मन्त्री गण या उनके नीचे काम करने वाले ये सरकार की मशीनरी के पुर्जे। लेकिन यदि यह मशीनरी इस प्रकार की मैसेज़ कन्वे करे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि फलां आदमी की कोई इज़्ज़त नही थी, तो एक दिन यह भी आ सकता है आज भले ही उदयपुर में राजस्थान विधान सभा के सदस्य को सरकार के अधिकारियों द्वारा यह कह कर पीटा जावे कि तुमने हमारे बारे में सदन में क्वेश्चन पूछा है इसका बदला हम चुका रहे हैं तो सदन में कोई दिन ऐसा भी आ सकता है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य राजस्थान विधान सभा के गृह मन्त्री को यह कह कर पीट सकते हैं कि तुमने विधान सभा के....

श्री उपाध्यक्ष : That cannot be anticipated, and this I consider as aspersion. मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कल्पनाओं के आधार पर न चलें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : यह एस्पर्शन नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have treated it as an aspersion.

श्री भैरोंसिंह : That is right Sir. तो मैं यह कहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी इज़्ज़त का प्रश्न आता है। मैं यह भी छोड़ दूं यह जगदीश प्रसाद की इज़्ज़त का प्रश्न नहीं था, मेजर फतेहसिंह की इज्जत का प्रश्न नहीं था पर हमारी सब की सामुहिक इज्जत का प्रश्न था। विधान सभा में कोई प्रश्न उठाए १९५३ के मामले को लेकर उस पर धारा ३०२ के तरीके का कत्ल के मुकद्मे में चालान किया जावे। पांच वर्ष पहले केस रजिस्टर हुआ, कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया। इस विधान सभा में इस क्वेश्चन को उठाने के बाद में ३०२ जैसे केस में पकड़े जाते हैं। क्या अर्थ है इसका ? इसका मतलब यह हुआ कि इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहो नहीं। इनके काले कारनामों के खिलाफ आवाज़ यहां नहीं उठा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों की ज्यादती को रोक नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि इस विधान सभा के सदस्य अपने अधिकारों का सदुपयोग कर नही सकते। तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, हम सबको मिल कर इस प्रकार की बात करनी पड़ेगी, एक तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसमें विधान सभा के सदस्यों की इज़्ज़त का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जावे।

पर परिस्थिति ऐसी आ रही है। उदारता के दृष्टिकोण में दो मार्ग नहीं अपनाये हैं। जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी कर रहा हूं। विधान सभा के सदस्य भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमें दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाने पड़ेंगे। एक यह कि अमुक दृष्टिकोण के आधार पर जनता के जितने आदमी हैं उनके द्वारा ब्रीच ऑफ प्रीविलेज होता है तो हमें किस प्रकार की कार्यवाही करनी है।

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों द्वारा डेलीबेरेटली ब्रीच ऑफ प्रीविलेज़ होता है तो इसके बारे में हमें किस प्रकार की कार्यवाही करनी है। यदि हमने इन दो दृष्टिकोणों से काम लिया तो स्पष्ट चित्र नज़र आवेगा कि इस सम्बन्ध में जो प्रीविलेज़ कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है वह अधूरी है। इस पर दुबारा इन दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये और जितना कड़ा से कड़ा दण्ड हम इस प्रकार के अधिकारी को दे सकें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज़ कमेटी के सामने सदस्यों के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ का एक मामला एक ऐसे सरकारी अधिकारी के खिलाफ है जो बदकिस्मती से आज़ एक बड़ा प्रिविलेन्ड ऑफिसर है जिसके खिलाफ़ दुनिया भर की शिकायतें हैं, मिसएप्रोप्रियेशन की शिकायतें हैं, मनी के मिसहैन्डलिंग की शिकायतें हैं, मिस मैनेजमेन्ट की शिकायतें हैं और जिसके खिलाफ रेवेन्यु बोर्ड के एक ऑफिसर श्री आहूजा ने मिसएप्रोप्रियेशन की बात की जांच करके सरकार के सामने मामला रक्खा है, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस तरह का यह एक प्रिविलेज्ड ऑफिसर है और बदकिस्मती से इसी के संचालन में चल रहे एग्ज़ीविशन पंडाल में इस प्रकार का यह इन्सीडेन्स हुआ। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ का प्रश्न पैदा हो गया। मैं समझता हूं कि विधान सभा की प्रिविलेजेज़ कमेटी एक साधिकार समिति है और प्रिविलेज ऑफिसर का ख्याल न रखकर उसको चाहिए था कि सारी चीज़ों को छोड़ कर विधान सभा के माननीय सदस्यों की जो मानहानि हुई है, 'चोर मण्डली' के शब्दों से, उनकी फोटो का प्रदर्शन करने से लोगों की आतुरता बढ़ी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज दिया गया, इससे एक प्रकार का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ बनता है। इसको लेकर मैं सदन

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

के माननीय सदस्यों से और सदन से निवेदन करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को दुबारा उसी कमेटी को भेज दिया जाय और सदन के माननीय सदस्यों की जो मानहानि हुई है उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। यह बात समिति को इस सदन के द्वारा कन्वे कर दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का जो प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उसे देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि इस मामले में हमें एक प्राचीन मापदण्ड से काम करना चाहिए। अभी यहां सदन में कहा गया कि हमें उदारता से इस मामले में काम लेना चाहिए और ले सकते हैं यदि कुछ बातें पूरी हों। मैं सदन के माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में दण्ड के बजाय हमेशा क्षमादान सर्वोपरि रहा है। जो दण्ड के लिए आग्रह करते हैं वह शायद किसी आधारभूत मनसिका को भूल जाते हैं। जब कि हमारे पूर्वजों ने कहा है ...

लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कम होता है। अभी हमारे सामने जो एक मसला आया है उसमें वज़न है। इस प्रकार किसी प्रदर्शनी में इस सदन के माननीय सदस्यों

(श्री जनार्दनराव नागर)

की तस्वीरें रखी जायें और इसके बाद में उनके ऊपर पूरा इन्तज़ाम नहीं रखा जाये मैं समझता हूं कि यह एक वजनी परिस्थिति है। लेकिन हमें इतने आतुर हृदय का नहीं होना चाहिए, इतना हम लोगों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि यदि किसी भीड़ भड़क्के में असावधानी से मैं यह मानता हूं कि यह जो दलील दी जाती है कि वह भीड़ भड़क्के में किसी ने लिख दिया और इसके लिए जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी का ज़िम्मा नहीं था सावधानी बरतने का, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक अच्छी चुस्त और कुशल सरकार का यह फर्ज है कि वह हर प्रकार की सम्भावना को सामने रखकर काम करे जिससे कभी अविवेकपूर्ण कार्यवाही न हो जाये। इसलिए यह दलील न मानकर मैं कहता हूं कि जन–सम्पर्क के अधिकारी का ऐसा इरादा नहीं था कि माननीय सदस्यों की तस्वीरों के पीछे इस प्रकार की कोई बात हो, क्योंकि हमें एक बात को मानकर चलना पड़ेगा कि हम बिना प्रमाण के इरादों पर चलें। बिना प्रमाण के इरादों पर चलना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जिन सम्पर्क विभाग के डाइरेक्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर भी जनसम्पर्क विभाग का उत्तरदायित्व था कि यदि इस प्रकार की असुरक्षित स्थिति में माननीय सदस्यों की तस्वीरें रखी जाती हैं तो इस बात का पूरा इन्तज़ाम करा देते कि भीड़भाड़ में ऐसा अविवेकपूर्ण काम न हो। ऐसा उत्तरदायित्व है, यह मैं मानता हूँ। इसमें मैं समझता हूं कि इस उत्तरदायित्व को निभाने में सावधानी बरती गई है या नहीं, यह हमें देखना है। यदि हमारे सामने विभाग का डाइरेक्टर यह आ कर कहता है विशेषाधिकार समिति के सामने कि यह बात असावधानी से हुई और ऐसा इरादा नहीं था और इसके लिए वह क्षमा याचना करता है तो मैं कहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को बड़ी प्रीति की भावना से क्षमा करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि जन-सम्पर्क विभाग के लिए जो असन्तोष समय समय पर यहां सदन में व्यक्त किया जाता है उसके साथ में इस समस्या को जोड़ा जाय। वह दूसरी बात है। हम तो इसी बात के लिए विचार करने के लिए तैयार हैं कि विशेषाधिकार समिति ने जो यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और उसमें जिन तथ्यों पर विचार किया गया है उनको मिलाकर के जो क्षमा याचना जन–सम्पर्क विभाग के अधिकारी ने मांगी है। उसको देखते हुए हम उस पर विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत सी ऐसी घटनायें हुई हैं कि जब हम दण्ड दे सकते थे लेकिन हमने नहीं दिया और जो सदन के सम्मुख क्षमा याचना की गई उसे स्वीकार किया। आज इस सदन का सर्वोपरि गुण यह है। हम मानते हैं कि एक असावधानी हुई और उसके कारण गलती हुई लेकिन सदन के जो सदस्य हैं या यह सदन है वह उदारता से एक प्रीति की भावना से यदि सामने वाला क्षमा याचना करता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। हमें दण्ड देने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के किसी भी सदस्य को दण्ड देने का अधिकार है और सर्वोच्च अधिकारी हैं। दण्ड हम दे सकते हैं लेकिन दण्ड देकर जो बिना किसी इरादे के गलती हुई और एक असावधानी

(श्री जनार्दनराय नागर)

के कारण परिस्थिति पैदा हुई उसकी तुलना में यदि दण्ड देने की बात करेंगे तो इस सदन का जो उदारतापूर्ण चरित्र है वह नहीं रहेगा। अब यह कहा जाता है कि वहां पर सारी चीज़ों को हटा दिया गया। हटाने के पीछे भावना यह हो सकती है कि वापिस ऐसी बात फिर न हो जाये और जैसा कि इन्तजाम की त्रुटि के लिए डाइरेक्टर महोदय ने मंजूर किया, कि हमारे पास स्टाफ की कमी थी तो उससे प्रेरित होकर सारी तस्वीरों को हटा दी तो इसको प्रमाण क्यों नहीं मानते। मैं इस बात को दूसरी दृष्टि से देखता हूं कि उन्होंने हटाने की कोशिश इसलिए की ताकि वापिस ऐसी बात नहीं दिख जाये, इन सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की। यह इस बात का प्रमाण है कि उनका इरादा ठीक था। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर प्रदर्शनी में एम०एल०ए० की तस्वीर रखना किस प्रकार से गलत बात थी। तस्वीरें रखते हैं तो इसके माने यही हैं कि लोग जानें कि यह हमारे एम०एल०ए० हैं और इस मामले में इरादे की अच्छाई ही साबित होती है, बुराई नहीं। अब वहां पर फेंसिंग होनी चाहिए, इसमें अधिकारी ऐसे होने चाहिए थे कि जो देखते रहते, मगर ऐसी बात कहीं नहीं होती है। प्रदर्शनियें बहुत होती हैं और उनमें काफी महत्वपूर्ण लोगों की तस्वीरें रखी जाती हैं. हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर रखते हैं, राष्ट्रपति की तस्वीरें रखी जाती हैं, मगर ऐसी घटना कभी नहीं हुई। यह ठीक था कि यहां ऐसी बात हुई। अब यह कहना कि जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी ने ऐसी बात कही होगी। लेकिन केवल अन्देशे के ऊपर ऐसा वजन डाल देना और कहना कि अधिकारी ने ही की होगी, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि दोनों ओर से ऐसी स्थिति है कि भीड़ में से किसी ने यह किया होगा। इसलिए यह मानते हुये कि इस तरह की बात सरकारी चीज़ पर नहीं लिखी जानी चाहिये और उसके लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिये। और जो डाइरेक्टर की ओर से दलील दी जाती है कि स्टॉफ की कमी थी इसमें कोई दलील नहीं दीखती है। अगर आप एम० एल० एज० की तस्वीरें लगाते हैं तो आप उसकी पूरी सुरक्षा करते और कोई भी दर्शक ऐसी बात लिख जाये, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी। यह ज़िम्मेदारी उनकी है और इससे बच नहीं सकते लेकिन एक घटना के बाद में जो इरादे की बात सामने आई। यह हो सकता है कि भीड़ में कोई भी लिख सकता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह मानता हूं कि जो प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति ने रखा है उसे मन्जूर करना चाहिये और जो माननीय मित्रों ने इसमें आगे संशोधन रखने की कोशिश की हैं उनसे मैं अपील करूंगा साथी होने के नाते कि यह हमारे लिये शोभाजनक बात नहीं होगी, सदन की महिमा के लिए अच्छा नहीं होगा। जब कि क्षमा याचना करली गई है और एक कोई अवांछनीय बात हुई और सदन के माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान जनक परिस्थिति नहीं रही। जब कि क्षमायाचना की गई है तो हमें जरूर ही क्षमा देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि समिति ने जो अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि इस केस को क्लोज़ कर दिया जाय, यह बहुत ठीक लिखा है। और अंत में सर्वोपरी बात तो यह है कि क्या हम इस सरकारी अधिकारी को दण्ड दिला कर आत्म संतोष करना चाहते हैं। सरकारी अधिकारियों से

(श्री जनार्दनराय नागर)

सदन के सदस्य सम्मानपूर्ण किसी श्रद्धा को मांगे तो श्रद्धा व्यक्तिगत वस्तु है। उपाध्यक्ष महोदय, श्रद्धा मांगने का प्रश्न नहीं उठता है? प्रामाणिकता के ऊपर सरकारी अधिकारियों से सदन के सदस्यों के प्रति सम्मानपूर्ण बर्ताव की मांग कर सकते हैं। वह बहुत कुछ हम पर निर्भर है। आप लोग सदन के अन्दर और सदन के बाहर इस प्रकार से बरतेंगे, इस ढंग से बोलेंगे, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने का एक वातावरण मिलता है। तो व्यक्तिगत बातों को लेकर यह बात कहें कि सरकारी अधिकारियों का रवैया इस प्रकार का होता चला जा रहा है। इस बात के कहने में संकोच नहीं है कि सभी सरकारी अधिकारियों का यह रवैया है। ऐसी बात नहीं है इन सारी बातों को देख कर इस मामले में. . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं कि अधिकारी को दण्ड देना चाहिये ताकि आयन्दा ऐसी गलती नहीं हो। इसका इन्तज़ाम ठीक किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राव राजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, कल आपने कहा था कि इसके बाद एक घण्टे में केपिटल इन्क्वायरी कमेटी पर वाद-विवाद होगा और वह एक घण्टा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें और मैं जिन बातों को जिस रूप में रख रहा हूँ उनको उसी रूप में समझने की कृपा करें। वह प्रतिष्ठा क्या जो चोर कहने से उठ जाती है? वह इज़्ज़त कैसी जो चोर मंडली लिखने से बिक जाती है? वह न प्रतिष्ठा है और न इज़्ज़त। मूर्खों के कामों में विश्वास नहीं करना चाहिये। कोई मूर्ख या बुद्धिहीन कोई काम कर जाता है तो मूर्खों की बातों में विश्वास करते हैं, उनकी बकवास में विश्वास करते हैं तो सचमुच में वह शोभा की बात नहीं है, जिन्दा लाश है जो कि चलती फिरती है। जिन्दगी का यह उसूल नहीं है। हम जिन्दगी के रोजमर्रा के कामों में देखते हैं कि कोई नौकर हमारी पीठ के पीछे गाली देता है तो हम नौकर की बातों को नहीं सुनते हैं। वह जानते हैं जिन्दगी को। किसी ने चोर मंडली लिख दिया तो देखना होगा उसका इरादा, उसकी नियत। आप कहेंगे कि उस आफिसर, अधिकारी का जान बूझ कर हमारे फोटो से हमारी मान हानि करने का इरादा था। यह सचमुच में नहीं था। अगर उसका इरादा यह होता, अगर उसकी यह नियत होती तो इस रूप में बात नहीं होती। अगर इरादा भी था तो कोई इन्सान गलती करता है और गलती करने की बात मान लेता है कि मैंने गलती की है, गलती करना इन्सान का काम है, लेकिन अगर वह गलती करके मान लेता है और पश्चाताप कर लेता है और उसके बाद भी हम माफ नहीं करें वह हमारे लिए शोभा की बात नहीं होगी। फिर बात का बतगंड़ बनाने से क्या फायदा है। कौन जानता है कि घर की बात। मैं अपने घर की बात कह सकता हूँ। आप अपने घर की बात कहें कि आपके घर की दीवार पर आपके रहने की जगह ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि

(श्री मूलचन्द डागा)

हमारे ध्यान में नहीं है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। मुझे क्षमा करें, एक मामूली सी बात है कि मैं अपने घर के कई पशुओं को नहीं जानता हूँ जो कि घर में रहते हैं। एक व्यक्ति हर वक्त उस पर ध्यान नहीं दे सकता। मैं दण्डित करने का सवाल नहीं कहूंगा। यहां पर माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा और इज्ज़त का सवाल उठाया गया है, उसका सवाल करता हूं। चोर मण्डली लिखने से जिसने लिखा है उसकी तो मूर्खता थी है, लेकिन उसके लिखने से क्या हम चोर मण्डली के सदस्य हो गये ? क्या हमारी इज्ज़त लुट गई ? क्या हमारा अपमान हो गया ? क्या हमारा तिरस्कार हो गया ? नहीं, कदापि नहीं। केवल लिखने वाले ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। उसकी खींचतान करें, उसकी आलोचना करें, उसकी टीका-टिप्पणी करें। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रतिवेदन में जिस ढंग से रखा गया है और एपोलोजी अनकन्डीशनल मांगी गई है मैं इस चीज़ को आपके सामने पढ़कर रोता रहा हूं। "It was not possible for one attendant inside the pavillion to keep a vigilent eye over the activities of the gathering. It was in one of such rushes that some mischief-monger put the said inscription on the board." Is it possible ? आप क्या सम्भव समझते है कि डाइरेक्टर या वह अधिकारी २४ घन्टे तक या उतने समय तक वहां पर खड़ा रहे या उस कमरे में रह कर खड़ा रहे और ध्यान से देखे कि कोई काम ऐसा नहीं हो। हमें जिन्दगी के उसूल को मानना होगा। हमें सिद्धान्त से सोचना होगा। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि अगर मेरा नाम होता मैं मुकद्दमा करता। इस बारे में अगर वे मेरे जैसे वकील से सलाह लेते तो मैं ऐसे क्लायन्ट को अपने पास में फटकने नहीं देता। सवाल यह है कि आप उस बात को समझें। ५०० का केस आप कह रहे हैं श्री सवाई माधोपुर....नहीं श्रीमाधोपुर....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने सेक्शन कोट नहीं किया था।

(हंसी)

श्री मुलचन्द डागा (जारी) : उन्होंने इज्ज़त हतक के मुकद्दमें के बाबत कहा था। मैं अर्ज करूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि इस प्रकार के शब्द लिखने से अगर हमें मालूम होता है कि उसकी नीयत, उसका इरादा यह नहीं था। तो यह हमें शोभा नहीं देता है कि हमने जिस रूप से प्रतिवेदन में एपोलोजी प्रकट कर दी है, अपनी राय को ज़ाहिर किया है और उस हालत में हम यह मालूम नहीं कर सकते हैं कि यह किसी मूर्ख, किसी बुद्धिहीन, व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया है तो मैं समझता हूं प्रतिष्ठा और इज्ज़त को जान बूझकर अगर किसी ने हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया या करने की कोशिश की होती तो हम मानते। ऐसी हालत में हमारे लिए शोभाजनक बात नहीं है कि एक छोटी सी बात को आप इस रूप में लें। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जिस रूप में प्रतिवेदन आया है उसको इसी रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने····

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, वह मैं समझता हूँ ११ बजे तक के लिए है और उसके बाद गृह मन्त्री जी कुछ कहेंगे, और मैं समझता हूँ कि प्रिविलेज कमेटी की तरफ से कुछ कहा जायगा। तो इस समय को सामने रखते हुए वाद विवाद आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्ही-शान्ताराम की तरफ से हमें निमन्त्रण मिला है कि अगर आज १२ बजे...

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस निमन्त्रण के संबंध में कोई नोटिस नहीं ले सकता हूं। It is a question of the Hon'ble Speakers' Chamber, not of the House. श्री मुरलीधर व्यास केवल ५ मिनिट में समाप्त करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष, यह नियम है कि प्रिविलेज के लिए कम टाइम नहीं दिया जाता है। जिनको बोलना होता है उनको पूरा बोलने दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : Rule 69, it empowers the Hon'ble Speaker to regulate the procedure.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया था, परन्तु उस संशोधन को यहां पर नहीं रखा गया और मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूँ। खास कर यह जो मसला है वह मैं समझता हूँ सदन की प्रतिष्ठा का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक व्यक्ति को सज़ा देने का या न देने का नहीं है। हम अपने सदन की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सकते हैं इस बात का है और जहां तक सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है चाहे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना ही ऊंचा हो, वह सदन की प्रतिष्ठा के सामने बिल्कुल ही नीचा गिना जायगा। ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्तिगत बात को विशेष महत्व नहीं दें।

जहां तक ऐसे सवाल का प्रसंग सदन में आता है। आज से पहले भी दो सवाल आये, यद्यपि वह किसी पब्लिक के अलग व्यक्ति का था, और यह सवाल एक सरकारी कर्मचारी का है।

१०. २८ म० पू०

(श्री सज्जनसिंह सभापति पदासीन)

और उस सवाल और इस सवाल में इतना ही फ़र्क है। उसमें क्या बातें कही गई हैं और इसमें क्या बातें हैं और इसमें किस प्रकार से अधिकारी की लापरवाही से घटना घटती है, इसके सम्बन्ध में थोड़ा बारीकी से देखना है। विधान सभा को, अपने सदन की प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर किसी प्रकार का कोई हैडिंग नहीं था। मैं समझता हूँ हैडिंग बहुत बड़ा था और बाहर लगा था "हमारा राजस्थान" और उसी के अन्दर सारा प्रदर्शन था और इस प्रकार के चित्र वहां पर रखे हुए थे और उनमें हमारे सदस्यों की फोटू थीं और नीचे "चोर मंडली" शब्द लिखे थे। यद्यपि इसमें कुछ मतभेद भी है उसके बारे में मैं आगे कहूँगा लेकिन इतना ही कहना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूँ कि यह सदन है इसकी प्रतिष्ठा के लिये कुछ नियम होते हैं और उनके अनुसार यदि कोई बाहर से आनेवाला व्यक्ति यहां आकर किसी प्रकार की गलत बात कहता है तो वह गुनाहगार होता है और उसको सज़ा मिलनी चाहिये। यहां पर वह मुँह से कहता है और वहां पर हमारी फोटो प्रदर्शित की गई थीं, वहां सदन नहीं था, आप स्वयं वहां बैठे नहीं थे लेकिन आपके फोटो थे और सभी लोगों के फोटो रखे हुए थे। उन फोटोज़ के बीच में और सदन के बीच प्रतिष्ठा के मामले में कोई फ़र्क नहीं है और इसी भावना से फोटोज़ वहां पर थीं। जहां तक हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है इस सदन में और वहां में कोई फ़र्क नहीं है। जिस प्रकार यहां पर सदन की प्रतिष्ठा के लिये बहुत होशियारी के साथ काम करना पड़ता है। कोई आदमी गलती से सदन में प्रवेश करले और यहां पर बाहर का आदमी गलत बात करदे तो मैं समझता हूँ सदन की प्रतिष्ठा का सवाल बनता है और बनना चाहिये। इसी प्रकार वहां पर जो घटना हुई है वह भी सदन के सदस्यों के प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जानबूझ कर कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। मैं समझता हूँ जान-बूझ कर हुई या नहीं। इस बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि गवाहों के द्वारा जो बातें यहां पर कमेटी के सामने रखी गई उनको देखने से इतना अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जानबूझ कर कोशिश की गई कि किस प्रकार से कमेटी को गुमराह करें। जहां पर "चोर मंडली" शब्द थे वहां पर गवाह देने वालों ने डाइरेक्टली यह बात कही कि "चोरमन्डी" नहीं "चोरहै" इस प्रकार के शब्द थे। चाहे असंदिग्ध बात थी साफ़ नहीं था लेकिन "चोर मन्डली" के स्थान पर "चोर है" यह पढ़ा नहीं जा सकता। "चोर मन्डली" शब्दों को मान्य किया गया है, जगदीशप्रसादजी के वरसन को को मान्य किया है कमेटी ने लेकिन गवाह देनेवालों की तरफ से दूसरा वरसन आया। उन्होंने कमेटी को फंसाने और गुमराह करने की कोशिश की है। जो व्यक्ति कमेटी को गुमराह करने की कोशिश करे और उसके बाद मावली से आनेवाले माननीय सदस्य कहें कि वह तो क्षमा के पात्र हैं, मैं कहता हूं गुमराह करने वाला क्षमा का पात्र नहीं हो सकता। क्षमा की जा सकती थी लेकिन जिन्होंने कमेटी को गुमराह करने की कोशिश की उनको क्षमा नहीं किया जा सकता।

जहां व्यवस्था करने का सवाल था यह कहा गया कि बहुत बड़ा होने से हम व्यवस्था ठीक तरह से नहीं रख सकते थे। यदि वे वाकई फोटोज़ को प्रतिष्ठित समझते हैं और यह समझते हैं कि वे फोटोज़ सदन के रूप में थीं तो उनका कर्तव्य था कि प्रतिष्ठा का ध्यान रखा कर व्यवस्था करते। जितना प्रतिष्ठा का ध्यान यहां पर रखा जाता है उतना ही ध्यान वहां पर भी रखना चाहिये था। इस प्रकार का इन्तज़ाम आवश्यक था वे इस चीज़ को नहीं जान सके। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री भानसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करना चाहिये। सदन की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

Page No.57

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : अभी यह निश्चित हो चुका है कि पूर्व वक्ता के बाद में मन्त्रीजी का उत्तर होगा। इस वास्ते मुझे खेद है कि अन्य सदस्यों को बोलने के लिये समय नहीं दिया जा सकेगा।

श्री पी.के. चौधरी : Mr. Chairman.

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़।

आपकी सूचना के लिये यह निवेदन कर दूं कि आपको सर्कुलेट किया गया था कि २ घण्टों तक इस पर वाद-विवाद होगा और उसके बाद में मन्त्रीजी की तरफ़ से उत्तर दिया जायगा। मैं समझता हूं सदस्यों को बोलने के लिये डेढ़ घण्टा दिया गया है और आधा घण्टा मन्त्रीजी को उत्तर के लिये देना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, it is a very important matter and the Members should be allowed to express their views on it.

श्री सभापति : But how many Members will speak? That is very difficult.

श्री श्रीभानसिंह : यह तो प्रिवलेज़ का क्वेश्चन है।

श्री सभापति : आपका ध्यान परिपत्र संख्या ८२, दिनांक ११ अप्रेल, १९५८ की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें निवेदन किया गया है कि इस विषय पर दो घण्टे वाद-विवाद होगा और वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिये।

श्री अनोपसिंह : दो घण्टे वादविवाद के लिये देने चाहिये थे।

श्री श्रीभानसिंह : I shall speak Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दो घंटे का समय रखा गया है तो उससे आगे कोई वाद-विवाद नहीं होगा। पहले एक बात निश्चित् कर दी गई है, ऐसी हालत में मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस निश्चय का सम्मान करें।

श्री श्रीभानसिंह : मुझे सबमिट करना है कि वर्ल्ड में कहीं प्रिवलेज़ मोशन पर टाइम फिक्स नहीं होता है। जब प्रिवेलेज़ मोशन को डिस्कस करने का ही टाइम नहीं दिया जायगा तो फिर किस मोशन को डिस्कस करने दिया जायगा? यह एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट मोशन है।

श्री सभापति : The Hon'ble Member has already moved his amendment to this end.

श्री पी० के० चौधरी : I want to speak in support of that motion, and I think -

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझनू) : If the Chairman permits, I would like to say something. The procedure is this, Sir, that it is entirely upon the wish of the Speaker, in consultations with the leader of the House, to fix a time limit. I have nothing to say about it. But then the privilege motion of this type are rare in parliamentary history and, subject to correction, I may say that I strongly differ with the findings of the Privileges Committee. I doubt whether such a

Page No.58

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

motion, as has been tabled, is a motion of privilege or not. It has been admitted and gone through by the privileges Committee and that Committee has admitted that this is a motion of privilege; but then motions of privileges are not defined anywhere. We have the same privileges which are those of the House of Commons and we will have to look into that because the motions of privileges cannot be created nor can they be curtailed, and in the light of this if we strongly differ with the views taken by the privileges Committee, it would be but fair to the House that the Advocate General should be called up on to speak, and that the Members should be given a full opportunity to express their views because if we come to a wrong decision by creating new privileges, we will be exposed to the outside world, we will be exposed to the press and we will be exposed to the Parliament because we cannot create new privileges. We will have to confine ourselves to the privileges which are enjoyed by the House of Commons and for this I would submit that the time allotted is very short.

श्री सभापति : Order please ! What is the point that the Hon'ble Member is trying to make out ? Is it in connection with getting more time or what, or you are speaking against the report of the privileges Committee ? I would like to be clear on this point.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I submit, Sir, that the report of the privileges Committee, as it appears to me, subject to my further correction is not sound. I submit that there is no such privilege as has been reported by the privileges Committee. I strongly differ from this and for this it is necessary that all the Members of the House who want to speak over this, they should be given an opportunity. If there is any time limit of two hours, the Chair should re-consider that privileges should not be created afresh by curtailing the debate, because by creating fresh privileges, new privileges, we will be exposed to the outside world and so far as I have read the Committee's report, the Committee has not been able to find out any parallel instance. So we will have to see whether we accept this or oppose this or we outright reject this report or defer it to some other occasion and call the Advocate General for his views and give an opportunity to the Members to read the question and re-study it in the light of the discussions and then come to a decision. There should not be any hurry about debating this privilege motion, it can be postponed to another date. It is in the interest of the House and interest of the healthy parliamentary life of the conntry.

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय.

श्री सभापति : So far as regulating the debate in the House is concerned, I may refer and draw the attention of the Hon'ble Member to Rule No.

(श्री सभापति)

69 in which the Speaker has got the exclusive discretion to regulate the procedure of the discussion and since the Deputy Speaker, who was in the Chair, definitely decided, and a circular has already been issued that the discussion will not last more than two hours, in view of this clear directive from the Chair, I do not think the disussion should be continued any further.

(श्री ज्वालाप्रसाद के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री पी. के चौधरी : The point was not challenging your discretion.

श्री सभापति : Order please. Yes, Shri Jwala Prassd.

श्री पी. के. चौधरी : Sir I would...

श्री सभापति : Order please. One at a time. I have called out Shri Jwala Prasad.

श्री पी. के. चौधरी : But I was on my legs.

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : I have been called. कहना यह है कि एक जो पॉइन्ट रेज श्री माथुर ने किया, वह प्रिवलेज़ मोशन है या नहीं ? कन्फाइन यह कर दिया गया है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रिवलेज़ है, उससे पेरेलल उदाहरण नहीं है ।

१०.४२ म० पू०

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

इससे यह कन्फाइन होता है कि चाहे कोई भी मिस्चीवियस आदमी हाउस के किसी कोने में सदस्यों की फोटो इकट्ठी करके, उन पर गाली लिख कर लगा दे....

श्री अध्यक्ष : आप मेरिटस पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : नहीं साहब। मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि जो पॉइन्ट रेज़ हुआ है, वह प्रिवलेज़ मोशन कनफाइन होना चाहिए या नहीं ? एक मर्तबा प्रिवलेज़ मोशन लेने के बाद उसी तरह का प्रिवलेज़ मोशन हो सकता है या नहीं ? सवाल यह पैदा हो जाता है कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग...

श्री अध्यक्ष : देखिये....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर फोटो लगा दें ....

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज़ पर जो डिबेट होगी, वे डिटेल्स ऑफ दी रिपोर्ट में नहीं जायगी। अभी यह बहस हो रही है कि इसको कन्सीडर किया जा सकता है या नहीं । इसमें जनरल बातें डिस्कस हो सकती हैं ।

श्री आबिद अली : अभी उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया था कि प्रिविलेज कमेटी को भी मौका दिया जायगा, हाउस के सामने फेक्टस रखने का इसलिये मुझे चान्स दिया जाय, मैं प्रिविलेज़ कमेटी का मेम्बर था ताकि मैं क्लीअर करने की कोशिश करूं ।

श्री पी० के० चौधरी : We were in formed that the debate will be cur-

Page No.60

(श्री पी० के० चौधरी)

tailed to two hours only and they want to stop it now. We submit that it is a matter of privilege of the House and it is correct that the Speaker has the discretion to control the proceedings and may curtail or extend it, but we are submitting that whatever may be the discretion of the Speaker, if in this discretion he curtails the members' right to express their views it will not be a healthy tradition.

श्री अध्यक्ष : I will clarify the position. The allocation of time is done by the Chair on the advice of the Business Advisory Committee and in the Business Advisory Committee we discussed this problem threadbare and came to the conclusion that two hours should be more than enough to do justice to this report and the time was fixed not by me alone but by the Business Advisory Committee as a whole, and I think we should stick to it.

श्री श्रीभानसिंह : I beg to submit that this House is bigger than the Business Advisory Committee and it has every right to decide that more time should be given...

श्री अध्यक्ष : We will refer the point to the House also.

श्री श्रीभानसिंह : If there is no time today it may be kept on some other date.

श्री अध्यक्ष : But the concensus of the opinion does not seem to be in favour of that.

श्री श्रीभानसिंह : It is, Sir, if the Members are asked how many will speak, the Chair will know.

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री अब इस पर अपना उत्तर दें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट, आवेदन पत्र, इस सदन में पेश हुआ, उस पर करीब दो घंटे से विचार चल रहा है। वस्तु स्थिति इस प्रकार से है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य, जो प्रदर्शनी जयपुर में हो रही थी, उसको देखने के लिए गये और उसको वहां पर, एक 'हमारा राजस्थान' नाम की स्टॉल पर, जहां माननीय सदस्यों की फोटो थीं, उस पर 'चोर मंडली' लिखा हुआ मिला और उन्होंने उसी आधार पर एक प्रिविलेज मोशन मूव किया था। उसे प्रिवलेज कमेटी को सुपुर्द किया, प्रिविलेज कमेटी ने माननीय सदस्य को भी सुना और सम्बन्धित अधिकारी थे, उनको भी सुना और सुन कर उसने अपनी राय दी कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है लेकिन क्योंकि इसमें क्षमा याचना कर ली गई है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाय और आगे इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाय। आज संशोधन का एक प्रस्ताव आया है कि इस मामले को वापिस कमेटी को भेज दिया जाय और इस अधिकारी की माफी मंजूर न की जा कर सख्त सजा तजवीज की जाय। आम तौर से पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्सन्स यह हैं कि इस तरह की कमेटीज, जिनको क्वेश्चन रेफर किया

(श्री रामकिशोर व्यास)

जाता है, जिनके पास प्रश्न भेजे जाते हैं, उस मामले पर गम्भीरतापूर्वक, विस्तारपूर्वक विचार करके अपनी राय देती है, उस राय को साधारणतया सदन स्वीकार करता है। जब तक विशेष बात इस प्रकार की न हो तो उसकी राय से अलग राय कायम न की जाय। अगर कुछ विशेष रीजन्स हों, तो ऐसा अधिकार सदन को अवश्य है लेकिन पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्सन्स में इस तरह की चीज बहुत कम देखने को मिलती है। जहां तक देखा गया है कमेटी की रिपोर्ट अधिकांशतः स्वीकृत हुई हैं, पर उनको अधिकार अवश्य है कि दूसरी राय बनायें। मैं आपको मेज पार्लियामेन्ट्री में से कुछ निवेदन करूं : "Where the Committee recommended that in view of the explanation offered by the officer and his expression of regret for the offence that is committed, the House took no further action in the matter." जनरल प्रणाली इस तरह की रहती है कि कमेटी की रिपोर्ट आती है, उस सम्बन्ध में अगर एपोलोजी वगैरह दी जाती है, तो उसको जनरली एक्सेप्ट करते हैं। अब जो दलीलें इस सदन में दी गई हैं, उनके बारे में निवेदन करूं। पहली दलील तो यह दी गई है कि यह रिपोर्ट न मानी जाय और इसको वापिस भेज दिया जाय और कोई सजा तजवीज की जाय। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह दलील दी गई कि इस सदन की कोई प्रतिष्ठा भंग न हो जाय, कोई गलती न कर बैठें और सही कन्वेन्सन हमको कायम करने चाहिए। जहां तक इस सिद्धान्त का ताल्लुक है, कि सही कन्वेन्सन कायम करने चाहिए, अगर किसी ने अपराध किया है, सदन की प्रतिष्ठा को भंग किया है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इस उसूल से इत्तफ़ाक करता हूं, लेकिन जहां इसको इस्तेमाल करने की, एप्लीकेशन करने की बात है, मैं उसमे इत्तफ़ाक नहीं करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूं कि कहीं ऐसा न हो जिस उसूल को हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें हम कुछ गलती न कर बैठें। यह सदन ऐसे मामलात में, प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के प्रश्न पर, जज भी है, प्रोसीक्यूटर भी है। हाई कोर्ट का जो जज होता है, वह जज है, प्रोसीक्यूटर नहीं, लेकिन सदन जज भी है, प्रोसीक्यूटर भी है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। प्रोसीक्यूटर साइड में फैक्ट्स देखने पड़ेंगे और जज साइड में भी देखने पड़ेंगे। कहीं ऐसा न हो कि जल्दी से फैसला कर लें, कहीं ऐसा न हो कि नाराजी से फैसला कर लें, कहीं ऐसा न हो कि कहने सुनने से फैसला ले लें या कहीं ऐसा न हो कि व्यक्तिगत किसी कारण से फैसला ले लें, हम कोई ऐसी बात न करें, जिस वजह से सदन का फैसला गलत हो जाय। हमारे सामने एक परम्परा होनी चाहिए....

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon'ble Minister please explain what does he mean by 'कहने सुनने से' ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन कर रहा था, मैं नहीं कह रहा था कि जो कह दिया है, वह किसी व्यक्ति के कहने से कह रहे हैं, किसी मेम्बर को नहीं कह रहा हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : आपने 'व्यक्तिगत' शब्द कहा, तब क्या आपको किसी सदस्य पर शक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी पर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर व्यक्तिगत कैसे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह रहा हूँ जो इस सदन को फैसला देना है, वह इम्पार्सियल होकर देना है, इन्साफ पसन्दी से देना है । मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के सदस्य बिल्कुल इन्साफ से इसे तय करेंगे, इसे नागुरेज होकर तय करें, गुरेज होकर तय नहीं करेंगे, जो रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए तय करेंगे । इस सम्बन्ध में यह दलील दी गई है कि सजा देनी चाहिए, उसकी वजह से बताई जाती है कि इस अधिकारी ने इस बात की कोशिश की है कि कमेटी के सदस्यों को धोखा दिया जाय, इसका कारण यह बताया गया कि इस अधिकारी ने कहा था कि उस पर 'ये चोर हैं' लिखा हुआ था और उस सदस्य ने कहा कि लिखा हुआ था, 'चोर मंडली' । मैं निवेदन कर दूँ कि अगर सेंस में देखें तो क्या अन्तर पड़ता है, उनको क्या लाभ होता है । 'चोर मंडली' और 'ये चोर हैं,' इनके भाव में क्या अन्तर आ गया; भाव वही है, 'Party of thieves' or 'They are thieves.'

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस माननीय सदस्य ने कहा था, उसको झूठा मुकर्रर किया जाता है और ऑफिसर के लिए आप कहते हैं वे सही हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : कहने की बात नहीं आती, उनको लाभ क्या होने वाला था ? वे अगर कहते कि नहीं, चोर मंडली नहीं, शरीफ मंडली लिखा था, तो बात समझ में आ सकती थी । जो बात आप कह रहे हैं, वही बात वे मान रहे हैं । ये भी कहते हैं । वे भी कहते हैं कि ये चोर हैं, लिखा हुआ था....

श्री मुरलीधर व्यास : दो वर्सन नहीं होने चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कोई गलती करता है तो लाभ के लिए कर सकता है । अगर 'ये चोर हैं' या 'चोर मंडली' कहें, इन दोनों के भाव एक ही हैं . . .

श्री आदित्यजी : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने....

श्री अध्यक्ष : आपको भी टाइम दिया जायगा, पांच मिनट का ।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी दलील यह दी गई कि कोऑपरेट नहीं किया, यह कैसे कह सकते हैं ? इसका सवाल नहीं है । उन्होंने तो सरेन्डर किया ।

कहा गया कि कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेशन की कोशिश नहीं की, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने तो अनकन्डीशनल एपोलोजी कमेटी के सामने रखी है, उन्होंने तो सरेंडर किया है, अनकन्डीशनल एपोलोजी मांग कर कमेटी के सामने सरेंडर किया है, वहां छुपाने की बात, कोऑपरेट नहीं करने की बात आती ही नहीं, किसी फैक्ट को छुपाने की बात पैदा होती ही नहीं । फैक्ट्स में क्या था, आप गौर करेंगे कि पनिशमेंट देने में सबसे पहला सिद्धान्त होता है कि किसी आदमी को सजा देना चाहते हैं तो उसका जुर्म देखना होता है कि उसने किस ख्याल से किस नियत से काम किया है, क्या किसी को नुकसान पहुँचाने के ख्याल से, किसी का अपमान करने की नियत

(श्री रामकिशोर व्यास)

से उसने काम किया है तो जैसे कि इस केस के वाकयात हैं उनसे तो यह नीयत ज़ाहिर ही नहीं होती, वहां जो स्टाफ था ज्यों ही यह बात नोटिस में आई, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, उस चीज़ को हटा दिया गया, इसमें अपराध कौन से अधिकारी का हो सकता है जिसके दिल में कोई दुश्मनी हो जिससे वह ऐसा काम करे कि इस सदन के माननीय सदस्यगण को अपमानित किया जाय। ऐसा मान कर चला जाय कि जब तक कोई एविडेन्स नहीं हो, यह साधारण न्याय है कि जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं किया जाय तब तक आप उसे दंड दे नहीं सकते। आखिर आप किसे सज़ा देना चाहते हैं और किसके एक्शन से देना चाहते हैं, आप ए. की बजाय बी. को तो सज़ा नहीं देंगे, अक्षर किसने लिखे हैं, मैनली इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है, कमेटी इस बारे में इस नतीजे पर पहुंची कि उसका पता नहीं है, क्या आप सज़ा डायरेक्टर को देना चाहते हैं ? क्या आफत आ गई है सज़ा देने की। टेक्निकल फार्म में गलती हो सकती है, इतनी बड़ी सदन की बिल्डिंग है, चुपचाप किसी ने कितनी बड़ी बिल्डिंग में चुपचाप कुछ लिख दिया, तो इसके लिये जिसको सजा देंगे, क्या सेक्रेटरी को या चपरासी को सजा दिलाना चाहते हैं। हाईकोर्ट की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें किसी जज के बारे में कोई चुपचाप आ कर कुछ लिख दे, तो इसके लिये किसको सजा दिलाना चाहते हैं।

इसमें टेक्निकल गलती हो सकती है, स्टाल लगाई तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन को जिम्मेदारी थी, उन्हें पूरा प्रिकोशन लेना चाहिये था और ज्यादा से ज्यादा एतिहात बर्तना चाहिये था, जैसा कि कहा गया, वुडन पेनल लगा देते, पर मिस्चीफ मोंगर ऐसे होते हैं कि वुडन पेनल पर भी लिख सकते थे। यह बीच जरूर है पर असली माने में देखेंगे कि जब तक नीयत साबित नहीं हो जाय जब तक यह तय नहीं कह सकें कि किसने अपराध किया है, तब तक सजा देना नामुनासिब है, और इसके बावजूद भी उसने यह साफ कह दिया कि अगर मेरी गलती मानी जाती है तो मुझे माफ किया जाय।

आपके दिल में नाराजगी हो सकती है, एक्स्ट्राविजेंस मेटर से गाइड हों, किसी मामले में चालान हो गया हो, उससे आपको नाराजगी हो, लेकिन इस चीज़ को इस मामले में कन्सीडरेशन में लायेंगे तो वह उचित नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह : I will demand from the Hon'ble Minister to explain what other considerations have guided the Hon'ble Members in speaking.

श्री रामकिशोर व्यास : अभी जो बहस हो रही थी उसके लिये कह रहा हूं, आपकी बात नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I object. The motion has been moved by me with no consideration. If the Hon'ble Minister has anything against me that some considerations...

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैं कब कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : He does not say so.

श्री रामकिशोर व्यास : आप थे नहीं,

Page No.64

(श्री रामकिशोर व्यास)

आपकी अदम मौजूदगी में माननीय सदस्य ने कह

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सदन में सदन के सभी माननीय सदस्य और मिनिस्टर बराबर हैं, इसलिये क्लियर किया जाय, सदन के किसी माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाना नहीं चाहिये था, लगाया है तो इसे क्लियर करना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या किसी मामले की वजह से भी ऐसा हो सकता है तो यह सदन के किसी माननीय सदस्य के ऊपर सीधा आक्षेप है, अगर है तो क्लियर करना चाहिये, नहीं तो वापिस लेना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह रहा था कि इस मामले का फैसला इस मामले के मैरिट्स पर होना चाहिये, इस मामले के फैसले में दूसरे मामलों को कन्सीडरेशन में नहीं लाना चाहिये किसी अफसर से नाराज़गी है या और अफसर से नाराजगी है, आपके ख्याल से आज तक जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ होते आये हैं, उन सब को यहां कन्सीडरेशन में लेकर इस केस का फैसला करें तो यह उचित नहीं होगा। श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा था कि यह रवैया हो गया है, मन्त्रियों का रवैया हो गया है, अधिकारियों का रवैया ऐसा हो गया है कि सदन के माननीय सदस्यों की तौहीन की जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मन्त्रियों का रवैया ऐसा है और अधिकारियों का रवैया ऐसा रहा है तो एक्शन लीजिये, पर इन सारे मामलों के वजूहात से उन सारे मामलों को इस समय यहां इस केस में कन्सीडरेशन में लेकर, इसमें सजा देंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं कह रहा था कि इस मामले में इस मेरिट पर और यदि किसी मन्त्री ने या अफसर ने ब्रीच किया है तो उसका इस पर असर नहीं आना चाहिये और बहुतसी बातें कही गई, इसके सम्बन्ध में कही गई भाई जगदीशप्रसादजी वाली बात, उसका इससे सम्बन्ध नहीं था। मैंने सदन में कहा था कि उनको मारपीट की गई है तो हमने कमिश्नर को अपॉइन्ट किया है इस सारी चीज़ की एन्क्वायरी के लिये, उसके बाद भी शिकायत है तो यह अफसोस की बात है। यह डराने धमकाने की बातें हैं कि होम मिनिस्टर के लिये यह हो जायगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत बात है, मैं व्यक्तिगत में और कुछ नहीं कहना चाहता, उन्हीं पर छोड़ देता हूं। जो लॉ है उसको तो लेना ही पड़ेगा। उसमें तो मैं भी हैल्प नहीं कर सकता। Law will take its own course. मैं भी हैल्प नहीं कर सकता, अगर मैं खुद उसमें शामिल हूँ, अगर लॉ में ओफेन्स बनता है तो मैं भी सहायता नहीं कर सकता, हां अगर कोई बेजा बात हो तो उसके लिये सख्त तदारुक करने को तैयार हूं।

वैसे बहुत सारी बातें इसमें कही गई, जो इससे सम्बन्धित नहीं थीं, समय की कमी की वजह से ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। यह भी कहा गया कि जान बूझकर तौहीन करने की दृष्टि से फोटो लगाये गये गवर्नमेंट को घाटा भी हुआ, यह ऐसी बातें हैं जो विचार करने पर उचित नहीं मालूम होती। फोटोज लगाई जाती हैं, प्रेसिडेन्ट की फोटो लगाई जाती है, नेकनीयती से ऐसी फोटोज़ लगाई जाती हैं, नेकनीयती से ऐसी फोटो लगाई गई, इसमें और कोई दूसरी बात नहीं।

Page No.65

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो इन शोर्ट (in short) में यही निवेदन करूंगा कि जो रिपोर्ट आई है उसको स्वीकार करें और जो अमेंडमेंट आये हैं उनको अस्वीकार करें।

(श्री आबिद अली के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री पी० के० चौधरी : Still there is 15 minutes' time, as allotted for this debate and I would like to speak on it.

श्री अध्यक्ष : Shri Abid Ali is going to speak on it. He is a member of the Privileges Committee.

११ म० पू०

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज़ कमेटी के सामने यह प्रश्न आया, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रिविलेज़ कमेटी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, मैं यह कहूंगा कि जहां सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न था वहां हमें यह निर्णय करना था कि जो आदमी कुसूरवार था उसको उचित सज़ा दी जावे, अगर वह कुसूरवार नहीं है तो उसको सज़ा नहीं दी जावे। लेकिन ज़िम्मेदारी तो उसी की होती है जो कुसूर करता है और जो ज़िम्मेदार नहीं होता उसको छोड़ा जावे।

तो इस संबंध में यह बात निवेदन करूंगा कि न तो हमारे पास कोई रूल्स ऑफ प्रिविलेज़ थे न हमारे पास नेग्लीजेन्स के बारे में कोई डेफिनेशन का कानून था। लेकिन हमने एविडेन्स रेकार्ड किये तो एविडेन्सेज़ के आधार पर प्रिविलेज़ कमेटी को फैसला देने का अधिकार है। जिस समय रूल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं तो हमको फिर उनसे इमदाद नहीं मिल सकती और इसके लिए यही होता है कि एविडेन्स लेकर निश्चित करें। जहां तक एविडेन्स का ताल्लुक था वहां तक हमने एविडेन्सेस लीं। जहां तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ के सिलसिले में नेग्ली-जेन्स और ग्रोस नेग्लीजेन्स की डेफिनेशन को देखने का प्रश्न था हमने पेनलकोड और जनरल एक्ट कन्सल्ट किये क्योंकि हम पर यह पूरी ज़िम्मेदारी थी कि हम इन बातों पर विचार करें। इसलिए हमने तमाम कानून के प्रोविज़न्स को देख कर इश्यूज़ बनायें। सबसे पहला जो इश्यू था वह यह था :

"Whether the incident in question amounts to a breach of privilege"

देखा जावे तो यह इश्यू तो बहुत इम्पो-र्टेन्ट था। झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यह ब्रीच ऑफ प्रोविलेज़ है या नहीं। इस संबंध में मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हाउस ऑफ कोमन्स के रूल्स को दो तीन बार देखा कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स के रूलिंग यहां पर एप्लीकेबल होता है या नहीं। यह मामला भी हमारे सामने था हमने इसको डिस्कस किया। उसमें यह था कि २० माननीय सदस्यों के खिलाफ ही था। हमने आपस में डिस्कशन किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यह पूरे हाउस पर लागू होता है या नहीं, 'ये चोर हैं' या 'चार मंडली' है। तो यह प्रश्न क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज़ है या नहीं। या यह किसी खास व्यक्ति के लिए ही कहा गया। अगर किसी खास व्यक्ति के लिए कहा गया है तो ब्रीच ऑफ

(श्री आबिद अली)

प्रिवीलेज़ नहीं है। Otherwise it is a breach of privilege इसके लिए हमने ऑफिसर को प्रश्न पूछा कि आपका फोटो एग्ज़िबिशन में लगाने से क्या मतलब था? क्या आपका मतलब यह था कि इसके द्वारा सारे हाउस को जनता को इन्ट्रोड्यूस कराते? उसने जवाब दिया कि इन फोटोज़ को वहां पर रख कर वह जनता को हाउस से इन्ट्रोड्यूस कराना चाहता था। मामला बिल्कुल साफ़ हो गया। इसलिये जो भी रिस्क लिया गया, that amounts to a breach of privilege इस पर यह एक्शन लिया है। मैं समझता हूं कि उस फाइल को सामने रख कर हमने ऐसा निर्णय दिया है। हमें तो एविडेन्स को देखते हुए निर्णय करना है और लीगल रूलिंग देना है। कोई कानून हमारे सामने नहीं है उसका मतलब यह नहीं कि हम खामोश हो कर बैठ जावें कि कोई पहले का इन्सटेन्स नहीं है इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाए लेकिन हम सब प्रोस एण्ड कोन्स को देखने के बाद इस निर्णय पहुंचे हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ है, That is a breach of privilege दूसरा प्रश्न अब यह है कि आया इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जावे और इस पर विचार किया जावे। I do not agree with this suggestion. मैं पहली बात आपसे यह कह देना चाहता हूं कि उधर के बैठने वाले लोगों को यह शुबहा हो गया है कि श्री जगदीशप्रसाद ने जो बातें कहीं, उनको हमने वाजिब नहीं माना। लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह उचित नहीं है हमने उनके कहने को माना है और उनकी राय को एप्रिशियेट किया है। हमने यह माना है कि श्री जगदीश प्रसाद कहते हैं वह ठीक है और डाइरेक्टर कहता है वह ठीक नहीं है। श्री जगदीशप्रसाद का यह कहना है कि यह चोर है....

श्री श्रीभानुसिंह : Are you of the opinion that the Director gave correct evidence before the Committee?

श्री आबिद अली : जहां तक एविडेन्स का प्रश्न है, जहां तक इस चोर मण्डली का प्रश्न है हमने जगदीश प्रसादजी के स्टेटमेंट को सही माना है और आगे बढ़े हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : 'वे चोर' हैं नहीं, मैंने 'चोर मंडली' वाली बात कही थी।

श्री आबिद अली : मेरा मतलब यही है कि जो कुछ आपने कहा था उसको गलत नहीं माना। आपने चोर कहा हो या चोर मंडली हो, it makes no difference. एक इश्यू बहुत इम्पोर्टेन्ट था, whether it occurred due to the negligence of the Directorate" इसमें नेग्लीजेन्स का प्रश्न था। पहले हमने यह देखा था "whether it was due to the culpable negligence of the officers concerned. कि कल्पेबल नेग्लिजेन्स का जिस प्रकार वकील अर्थ निकालता है क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड सामने रख कर हमने इसका निर्णय किया and we found that there was negligence but not culpable यह बिल्कुल कोर्ट पोज़िशन है। क्रिमिनल लॉ में अगर एक्यूज्ड एक्विट हो जावे तो जो एबेटर होता है उस पर बहुत कम ज़िम्मेदारी होती है। मेन एक्यूज्ड छूट जावे तो एबेटर तो फिर नहीं के बराबर होता है। इस बात पर हम जरूर निर्णय करें। जिस समय यह प्रश्न प्रिविलेज़ कमेटी के सामने आया तो इसके लिए तीन इश्यूज़ कायम

(श्री आबिदअली)

करने पड़े। तमाम एविडेन्स लेने के बाद और उन पर विचार करने के बाद और अनकन्डिशनल एपोलोजी के बाद सी. आर. पी. सी. में है कि उसके लिए नेचर ऑफ एविडेन्स क्या है एविडेन्स किस प्रकार की हो ...

श्री पी० के० चौधरी : While arriving at a decision did the Committee take into consideration--

(i) the nature of the offence.

(ii) the past record of the officer concerned, and

(iii) the circumstances leading to this question.

I would like to have information on these points.

इस मामले का फैसला करने में एवीडेन्स को भी देखा गया। नेचर ऑफ एवीडेन्स देखा गया। तमाम एवीडेन्स सर्कमस्टान्शियल थीं, वे डाइरेक्टर के खिलाफ आ सकती हैं, चपरासी सी या फेन्सिग का इन्तजाम नहीं रखा गया। लेकिन पॉइन्ट यह है कि यह नेग्लीजेन्स है। असिसटेन्ट नहीं रखा, दो की जगह चार रखने चाहिये थे, फेन्सिग करना चाहिये था। क्या इसमें जिम्मेदारी इतनी पहुँच जाती है कि नेग्लीजेन्स ही न होकर सजा होनी चाहिये या नहीं, यह पॉइन्ट इसमें है। जैसे कहावत है कि : "It is safe to leave seven guilty persons than to punish one innocent person".

यह बहुत आसान है कि गिल्टी आदमी को छोड़ दिया जाय और एक इन्नोसेन्ट है उसको सजा दी जाय। इस पॉइन्ट को देखना चाहिये। तमाम सर्कमस्टान्सेज में वह नेग्लीजेन्स इस प्रकार की थी। नेचर ऑफ एवीडेन्स ऐसे थे, तमाम बातें इस प्रकार की थीं कि जिनसे प्रिविलेज कमेटी के सामने जो अनकंडीशनल एपोलोजी आई उसको स्वीकार किया गया।

जो मिनिट्स उस कोर्स में रिकॉर्ड की गई थीं, फलां कानून के तहत रिलेवेन्ट हैं और रिस्पोन्सिबिलिटी किसी सूरत में कम नहीं होगी, हमारे पास मेटीरियल है उसको सामने रख कर काम करें, उन सर्कमस्टान्सेज़ में इस पर विचार किया गया और निर्णय लिया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाय, जो एवीडेन्सेज़ थीं, पी. डब्ल्यु १ की एवीडेन्स से यह साफ नहीं होता कि ग्रोस नेग्लीजेन्स है। उनका डिस्कशन करके विचार किया that the negligence is not a culpable one.' या यह कहना चाहिए था कि एवीडेन्सेज़ जरूर थे वे रह गये और उनको प्रिविलेज कमेटी ने रिकार्ड नहीं किया।

श्री पी० के० चौधरी : Culpable responsibility of the Directorate has been accepted by the Committee.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष (अध्यक्ष)

श्री आबिद अली : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पहले एक्सेप्ट किया,

(श्री आबिदअली)

कल्पेबल और अनकल्पेबल को उठाया गया। 'नेग्लीजेन्स' का शब्द हैं। दो बातें होती है। पहले यह देखा जाय कि पीनल लॉ कल्पेबल में नेग्लीजेन्स होने जारही है या नहीं? दूसरा सिविल का होता है तो There is no culpable negligence.

इन्टेन्शन की बात थी। यह प्रोपोज़िशन आपके सामने है। क्या यह गफलत थी? "यह चोर मंडली है" अगर यह नियत थी तो ओफेन्स था, अगर नीयत नहीं थी तो ओफेन्स नहीं बनता। इसलिए इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था कि जो हमारे सामने अनकन्डीशनल एपोलोजी आई है उसको स्वीकार करते। एवीडेन्स में जो बातें थीं उनको प्रिविलेज़ कमेटी ने ध्यान में रखा है और जो चीजें आनी चाहिए थीं उनको प्रिविलेज़ कमेटी ने विथहोल्ड किया है।

श्री श्रीभानसिंह : प्रिविलेज़ कमेटी ने एवीडेन्स रिकॉर्ड नहीं की।

श्री आबिद अली : जो रिलेवेन्ट एवीडेन्स हो सकती थी उसको कमेटी ने रिकार्ड किया है।

श्री श्रीभानसिंह : Did the Committee stop taking evidence after the apology was tendered.

श्री आबिदअली : No. Whatever evidence relevant to the question was considered, it was completely recorded.

श्री अध्यक्ष : Now no more discussion.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनिट से अधिक नहीं लेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो तरह से इस बात पर घसीटा गया है। दूसरे के लिए आपका आदेश होगा तब होगा।

माननीय गृह मन्त्रीजी ने यह कहा कि उदारतापूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। कम से कम गृह मंत्रीजी अपने दिल पर हाथ रख कर इस बात को कहते तो समझा भी जा सकता था। अध्यक्ष महोदय मुझे उर्दू का एक शेर याद आ गया है। कहा है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वो कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होती"

(हंसी)

कम से कम माननीय गृह मंत्रीजी ने तो यह तो कहा कि आधा घंटा के बाद उसको मिटा दिया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। मैंने पहले दिन १२ तारीख की रात्रि को इसको देखा, १३ तारीख को निवेदन किया आपसे और विधान सभा के सचिव से भी मिला और उसके बाद गृह मंत्रीजी से मिला। उन्होंने फोन किया और सचिवालय से किसी आदमी को भेजा और तब जाकर उसको मिटाया गया जब कि यह कहा कि आधा घंटा बाद ही उसको मिटा दिया गया है। यह किसी प्रकार भी मानने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

योग्य नहीं कि उसको आधा घंटे बाद मिटा दिया गया। उसको दूसरे दिन जाकर मिटाया गया। १३ तारीख को देखने गया तो वह चित्र था। अगर यह नीयत थी कि ये चित्र नहीं दिखाने हैं तो फिर उनको १३ तारीख को क्यों दिखाया गया ? १४ तारीख को जाकर हटाया। १२ तारीख को मैंने उसको देखा, १३ तारीख को बात सदन में आयी, १३ तारीख की रात्रि को वे चित्र थे और १४ तारीख को हटाये गये। इससे उनका इन्टेशन साफ जाहिर होता है। अब कहा जाय कि दंड किसको दिया जाय ? हमें वह बात तो कम से कम नहीं करनी चाहिए कि जिसकी गर्दन मोटी हो और जिसकी गर्दन में फांसीका फन्दा आ सकता है उसी को फांसी की सज़ा दे दी जाय। अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है, इसको देखना चाहिए। अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी है डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की और किसी भी प्रकार से उससे नहीं बच सकते। किसी प्रकार दंड देने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जनतंत्रीय परम्पराओं को देश में किस तरह से निभा सकते हैं। उनको सज़ा दी जाय नौकरी से अलग कर दिया जाय, यह मेरी मंशा नहीं थी। जो घटनायें मेरे साथ घटी हैं, मैंने इसको लिख कर दिया है और भी माननीय सदस्यों के साथ इस प्रकार की घटनायें घट सकती हैं। यदि स्वस्थ परम्परायें कायम करना है जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, जनतंत्रीय पद्धति को निभाना है तो उदारतापूर्वक करना चाहिए। मैं उनसे मिला हुआ भी नहीं हूं। केवल एक मंशा थी कि यदि इस प्रकार की परम्पराओं का निर्माण करना है तो इस प्रकार की बातों को रोकना चाहिए। बहुमत के नाम पर जिसको चाहें कुचलें जिसको चाहें सज़ा दें यह हो सकता है, और यदि उनको बहुमत से ही पारित कराना है तो व्हिप इश्यू हो जायगा और केवल 'हां' पक्ष और 'ना पक्ष' हो जायगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह, यदि चाहें तो अपना प्रस्ताव वापिस ले सकते हैं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I may say a few sentences by your permission. After hearing the Law Minister and the Hon'ble Member who is a member of the privileges Committee, my doubts have been strengthened. It cannot be denied, if there has been a breach of privilege and the Committee has given its findings on this issue. I would however say that the arguments advanced by the Hon'ble Law Minister go to show that we cannot draw any charges against the officers concerned and in this case against those individuass who are involved in the breach of privilege. In his long long statement he has further stated to show that no expert opinion was consulted on the question, which is so important in nature. I want to know whether the Advocate General of Rajasthan was ever asked to give his opinion. I think this matter was never referred to him. The Law Minister's statement further strengthens my view and I think the members should not be suspicious about it. I may say that the rights and privileges of the members rea

Page No.70

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

not codified. But the privileges of the members have been clearly laid down in the May's Parliamentary Practice. For every matter of privilege we have to go back to May's Parliamentary Practice and find out precedents available there. I am of this view, subject to correction, that whatever privileges we have at present we can neither create new privileges nor reduce the existing ones. I mean that fresh privileges cannot be added nor the privileges already existing be curtailed. In accordance with the provisions of the Constitution, the privileges, rights, etc. are the same as those enjoyed by the Members in the House of Commons. These have been defined long before. I, therefore, disagree with the report of the Privileges Committee.

श्री अध्यक्ष (श्री श्रीभानसिंह के खड़े होने पर) : मैं मूव करता हूँ, यदि आप वापिस नहीं लेना चाहते तो ?

श्री श्रीभानसिंह : राइट ऑफ रिप्लाई तो है।

श्री अध्यक्ष : कोई राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I have a right of reply under Rules.

श्री अध्यक्ष : No.

श्री श्रीभानसिंह : राइट ऑफ रिप्लाई है। I will point out the Rule.

श्री अध्यक्ष : There is no inherent right of reply at this stage.

श्री श्रीभानसिंह : I have got the right of reply under the rules.

श्री अध्यक्ष : But there is no time and if you want to withdraw it, that is alright, otherwise I will put it to vote.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, I would request the chair to give me some time so that I can give reply to the points.

श्री अध्यक्ष : No, no time.

श्री श्रीभानसिंह : But why that Hon'ble member (Shri Narottam Lal Joshi) was given an opportunity.

श्री अध्यक्ष : He was given an opportunity as a very special case.

श्री श्रीभानसिंह : With great sorrow I am withdrawing my motion. But I may at least be permitted to express my opinion before I withdraw it.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Sir, he may also be given an opportunity as a special case.

श्री अध्यक्ष : Two minutes please.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ एक्सप्लेनेशन्स दिये गये हैं उनसे मैं एक से भी सहमत नहीं हो सकता। मेरा सहमत होना मैं मानता हूँ, जनतन्त्र की हत्या से सहमत होना है। दुःख

(श्री श्रीभानसिंह)

के साथ फील करता हूं जिन अधिकारी ने जनतन्त्र की हत्या करने का कार्य किया है उस अधिकारी को आज यह सदन और माननीय मन्त्री महोदय ने क्षमा कर दिया है। मैं बड़े अफसोस के साथ और बहुत दुख के साथ अपने प्रस्ताव को इन थोड़े से शब्दों को एड करते हुए वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

Where men have failed to save democracy, May God help democracy.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of Order Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I Withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की ओर से माननीय सदस्या ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करती हूं विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर सदन अपनी सहमति प्रदान करे।

श्री पी० के० चौधरी : we can't hear, Sir, what the Hon'ble member said.

श्री अध्यक्ष : She has moved that the House agrees with the Report.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : I want to speak Sir.

श्री अध्यक्ष : There is on time.

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : Now we come to Rajasthan Capital Enquiry Committee Report.

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि दस मिनिट से ज्यादा समय तक भाषण न दें।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री नारायणसिंह मसूदा।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, कल बहस के दौरान में मैंने यह निवेदन किया था कि राव कमेटी ने तथ्यों को बहुत तोड़ा मरोड़ा है, गवाही को दबाया अथवा उभारा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ तस्वीर उन्हें बनानी थी वह उन्होंने पहले ही बना ली थी बाद में उस तस्वीर में जो रंग उन्हें भरने का था वह भर दिया। गया जहां फीका रखने का था फीका रख दिया और जहां गहरा करना था वहां गहरा कर दिया। राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ६५ में कुछ सिद्धान्त टोयन्बी के सिद्धान्तों के आधार पर तय किये हैं केपिटल के निर्धारित करने के विषय में। उसके साथ साथ पैरा २० भी पढ़ते हैं तो अजमेर की साक्षी के आधार पर पर वहीं सात सिद्धान्त का समानान्तर चित्र बनाता है। जो भी माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे वे स्वयं समझ सकते हैं इन सिद्धान्तों से अजमेर के हक में कितनी पुष्टि मिलती है। पैरा १०५ में राव कमेटी ने जो शब्द कहे वे मैं यहां उद्धृत कर देता हूं "The situation of Ajmer, its climate, the important role it played in the past are undoubtedly in its favour. It was righly pointed out that we should not, in deciding the question, attach much importance to the improvements and advantages gained by Jaipur during the last eight years." यह सब बातें कह दीं उसके बाद में वे आ गये "The water supply position has, no doubt, improved but its potentiality for the future is very limited in scope." इस प्रकार से आगे कहते कहते वे भुवनेश्वर और चंडीगढ़ की दलील ले आये जो मैं समझता हूं उनकी अनाधिकार चेष्टा थी। चंडीगढ़ और भुवनेश्वर किस प्रकार बनाये गये इस विषय में उनको कहने का कोई अधिकार नहीं था। मैं इस चीज़ को आपके सामने स्पष्ट तौर से रख दूं। यहां पर कहा गया। "The fact that the merger of Ajmer was postponed by Sardar Vallabhbhai Patel is not by itself a ground in favour of Ajmer, if otherwise it is not fit to be the capital. We are satisfied that Ajmer does not satisfy the requirements necessary for being chosen as the capital. यानि एक सीधा सा वरडिक्ट दे दिया। इसके अलावा प्लेनिंग एरिया की दलील उनके दिमाग में आम तौर में आती रही। उसके अलावा एक और बात आयी वह यह कि जयपुर नगर के विकास के अन्दर कितना खर्चा हुआ। यहां पर कितनी सम्पत्ति लगी, कितनी सम्पत्ति का योग मिला। मैं समझता हूं एक जन कल्याणकारी राज्य में और जिस राज्य की नीति समाजवादी समाज की रचना हो उसमें सम्पत्ति का क्या महत्व

Page No.73

(श्री नारायणसिंह)

है यह प्रश्न सामने आता है। आंकड़ों को देखें तो हमें मालूम होगा १०-२० लाख रुपये का खर्चा एवीडेन्सेज़ के आधार पर जयपुर पर आता है। उसमें से ५. ८० प्राइवेट सेक्टर और १२६ पाइन्ट ५ लाख डवेलमपमेंट सेक्टर के नाम पर बताया है इस प्रकार सरकार का जो सही जयपुर नगर विकास का खर्चा है वह ३११ पोइन्ट ७५ लाख का होता है। इससे स्पष्ट है कि जयपुर नगर विकास का १०२० लाख का फिगर कितना इन्फलेटेड है। मैंने अपनी स्वयं की ही एवीडेन्स में सब कमेटी के सामने निवेदन किया था कि हमें कुछ मूल धर और मौलिक तथ्यों को देखना है और हमें यह देखना है कि अब तक विकास कार्यों में कहां कहां कितना कितना खर्च हुआ है इसको देखना चाहिये और उसे इसके साथ तोलना है। अब जो खर्चा होने वाला है उस पर काफी संकेत मिलता है उसी जगह पर यह भी कहा गया है "Though it cannot be said that position of building accommodation at the present moment is adequate, it affords no justification for constructing a new capital at an enormous cost."

इसके अलावा पटेल कमेटी ने जहां स्पष्ट बताया कि भगवानदास बेरेक्स हिज हाईनेस की सम्पति है वहां इस कमेटी ने केवल P. W. D. Minister बाइड पैरा १०६ में कोट कर तथ्य को चतुराई से छुपाने की कोशिश की है—"The P.W.D. Minister of Rajasthan and the Govt. of Rajasthan have stated that the Secretariat building is a State owned building which came into possession of the Government when the personal properties of Maharaja were separated."

चतुराई यह है कि इस साक्षी पर उन्होंने अपनी टिप्पणी नहीं दी है। इसके आगे भी वे मानते हैं कि टाऊनहाल भी महाराजा ने सरकार को दिया "as long as they wish" इसलिये वे उसे "as long as they wish" उपयोग में लावेंगे। यह शब्दावली किसी हालत में उनकी निष्पक्षता की ओर संकेत नहीं करती।

खैर तो यह सब जयपुर सिविल एरिया के विषय में कहा गया। तो यह भी स्पष्ट है एडोक्वेट अरेन्जमेंट बिल्डिंग्स का नहीं। वहां भी बिल्डिंगें बनेंगी और सब कुछ खर्चा होगा। तो यह प्रश्न विचारने का रह जाता है कि यदि यह खर्चा यहां हो सकता है तो और कहीं भी हो सकता है।

इसके अलावा पानी का प्रश्न आता है। इसके बारे में उन्होंने जयपुर की गवाही भी क्वोट की है और अजमेर की भी। उन्हीं के कथन के मुताबिक अजमेर में १४.६ गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रति रोज खर्चा माना है और जयपुर में १२.५ गैलन प्रति व्यक्ति प्रति रोज खर्चा माना है और इसके बाद उन्होंने अजमेर के बारे में सिर्फ इतना ही कह दिया है कि राजमहल की स्कीम न मालूम पूरी होगी या नहीं होगी, और इस प्रकार इसका जिक्र भर करके उस बात को छोड़ दिया और जयपुर की सारी स्कीम को पूरी तरह से एग्ज़ामिन करके तथ्यातथ्य बताये। मैं कहना चाहता हूं अजमेर म्युनिसिपैलिटी के स्टेटिस्टिक्स के आधार पर कि कुल हमारे यहां ३८ लाख गैलन का

(श्री नारायणसिंह)

प्रति रोज खर्चा है और इसमें उस राजमहल की स्कीम को मिला लें तो ३२ लाख और बढ़ेगा और इस तरह से ७० लाख गैलन पानी रोज मुहैय्या हो सकता है और यदि सत्तर लाख को हम कालकुलेट करें तो दो लाख की आबादी पर करीब ३२ गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रति रोज हमारे पास हो जावेगा। पर अगर यह भी मान लें कि जयपुर के बराबर वह नगर बढ़ जावेगा तो चार लाख की आबादी पर १६ गैलन प्रति व्यक्ति प्रति रोज से कम नहीं होगा।

अब सवाल यह आता है कि पानी की कमी किसी प्रकार से तो रह ही जाती है और पानी की कमी से ही हमें सब चीज़ों का निर्धारण करना है तो शायद वहां के रेल्वे विभाग को सोचना पड़ेगा कि रेल्वे का वर्कशाप भी वहां से उठा लिया जाए और भी अजमेर से न मालूम क्या क्या उठा लिया जा सकता है। आज जब चारों ओर मानव संख्या बढ़ती जा रही है न केवल पानी की ही समस्या बढ़ रही है बल्कि ज़मीन की भी समस्या उठती जा रही है, ज़मीन के बंटवारे का भी प्रश्न उठता जा रहा है और जहां भी आबादी बढ़ेगी वहीं ये प्रश्न आ जावेंगे। पानी का सतह भी आज नीचा रहा है, ज़मीन की उपज कम होती जा रही है यह प्रश्न तो विश्वव्यापी है। इसको लेकर हम कोई बड़ा तूल नहीं दे सकते। मैंने यह नहीं कहा कि अजमेर को राजधानी बना ही दो पर यह कहना चाहता हूं कि राव कमेटी ने जिस प्रकार से गवाहियों को तोड़ा मरोड़ा है उसमें जिस चीज़ को जितना महत्व देना चाहिये उतना भी नहीं दिया।

बिजली का प्रश्न भी आता है। पर मैं समय की तंगी से उसमें इस समय नहीं जाना चाहता। इस बिजली पानी की समस्या का तो आज जहां जनतंत्री शासन व्यवस्था मौजूद है और जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है वहां नगर के विकास में इन दोनों बातों का बड़ा स्थान है चाहे कोई नगर कैपिटल बनाया जावे या नहीं इन बातों को कोई भुला नहीं सकता।

इसके बाद मैं हाई कोर्ट के प्रश्न पर आता हूं। इसके लिये दलीलें पैरा १२० में राव कमेटी ने दी हैं और कई तथ्य दिये हैं। उनकी दलीलें वजनदार मालूम होती हैं। मैं मानता हूं कि अगर एक हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा रखनी है तो वास्तव में बैंच को अलग हटाना पड़ेगा। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि यह कहां रहे कहां न रहे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो यह बात अलग हो जाती है। अगर बैंच का सवाल उठता है तो फिर हर डिविज़न में क्यों न हो? पर इस मुद्दे को लेकर बड़ी आवाज उठाई जाती है। तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की कुल १ करोड़ की आबादी में से कुल मिलाकर ३६२६ से अधिक व्यक्ति हाई कोर्ट में जाने वाले बताये गये। इनका थर्ड क्लास का किराये का एक मापदण्ड भी बताया गया कि थर्ड क्लास का कितना खर्चा जयपुर से जोधपुर होता है। तो मैं पूछता हूं ३६२६ व्यक्ति में से थर्ड क्लास वाले कितने हैं और ये सब १ करोड़ जनता के कितने प्रतिशत होते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जन साधारण का तो हाई कोर्ट में जाने का मौका ही नगण्य रहता है। जो आदमी खेतों में हल जोत रहा है उसको

Page No.75

(श्री नारायणसिंह)

इस बात की फुरसत नहीं कि कहां कैपिटल है, कहां हाई कोर्ट है और कहां क्या है। वह तो यह कहता है कि कैपिटल आदि दूरी वालां....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट और दीजिये साहब

श्री अध्यक्ष : मैंने दो मिनिट पहले घंटी बजा दी थी।

श्री नारायणसिंह : तो आज जो ग्रामीण जनता है, उसको अपनी रोटी की और अपने हल की ज्यादा फिक्र है, बजाय किसी प्रश्न में जाने के, कि कैपिटल कहां रहे, तो इस तरह से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि...

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया। श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री नारायणसिंह : मैं इसको वाइन्ड अप तो कर दूं साहब।

श्री अध्यक्ष : No winding up now, please.

The warning bell was for winding up.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस पर बहस हो रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि यह डिबेट आज ही समाप्त हो जावेगी या चलेगी आगे भी। इसका कुछ टाइम मालूम हो जावे तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : दस पन्द्रह मिनिट आप लेंगे, तो सवा बारह बजे समाप्त कर दी जावेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आज प्रजातन्त्र के जमाने में जो विश्वास सरकार को प्राप्त होना चाहिये वह इस सरकार को आज नहीं है और न सरकार द्वारा अपॉइन्ट की गई कमेटियों पर हैं। इसका कारण है भारत सरकार ने इस कमेटी को अपॉइन्ट किया। इस कमेटी ने राय दी कि कैपिटल जयपुर में रहे और हाईकोर्ट जोधपुर में। यह भी राय दी कि यूनिवर्सिटी जोधपुर में रहे, एक्साइज़ और टैक्सेशन विभाग जोधपुर में रहे और सैटलमेंट का डिपार्टमेंट भी। मगर इसका इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया, यह कारण है। इम्प्लीमेंट न होने के कारण जोधपुर की जनता को आवाज़ उठानी पड़ी जांच के लिये। उस वक्त इम्प्लीमेंट ये बातें हो जातीं तो जोधपुर की जनता का सवाल नहीं था क्योंकि इसके आगे फिर एक राजधानी का ही सवाल रहता और इस बात पर सभी मानने को तैयार थे कि राजधानी यहां रहे तो बाकी दूसरी बातें दूसरों की भी मानी जावे। पर मारवाड़ी में कहावत है कि....

'छाछ लेने को आई और
घर की धणियाणी बन गई।'

तो उस पटेल कमेटी की राय को नहीं स्वीकार किया गया। इसके बाद में लॉ कमीशन अपॉइन्ट किया गया। तो उसने भी यह रिपोर्ट दी कि there must be a unified High Court. उसके समक्ष उसके कोऑप्टेड मेम्बर प्रतिष्ठित एडवोकेट यहां जयपुर के चिरन्जीलाल अग्रवाल थे। उन्होंने भी मन्जूर किया कि युनीफाइड हाईकोर्ट होना चाहिये। यहां के एडवोकेट जनरल श्री गुलाबचन्दजी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कासलीवाल ने यह मन्जूर किया कि युनीफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये । अब हो कहां ? यह तो कमेटी के लिये डिसाइड करने की बात थी । इसके बाद में राव कमेटी अपॉइन्ट हुई तो उसके समक्ष जितने भी एम. पी. हैं, एम. एल. एज. हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं सबने अपने विचार रक्खे । उसने स्वयं ने भी सारे प्रान्त का भ्रमण किया सम्पर्क बढ़ाया जनता से तो उस वक्त गोलेछा गार्डन में, जयपुर में उसकी प्रशंसा के पुल बांधे गये थे और उस प्रशंसा के पुल बांधे जाने के वक्त मैं भी वहां था और जयपुर की जनता ने उस वक्त यह अभिव्यक्ति की थी कि हाई कोर्ट यहां पर रख दिया जावे पर कमेटी इन्डिपेन्डेन्ट बोडी थी । उसने इस प्रशंसा की ओर ध्यान नहीं दिया और सही निर्णय लिया कि हाई कोर्ट एक हो जगह होना चाहिये और वह जोधपुर में रहना चाहिये । तो उस वक्त भी प्रतिष्ठित वकीलों ने और व्यक्तियों ने यह मांग की थी कि युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये, पर अब हो कहां यह प्रश्न कैपिटल कमेटी को तै करने का था । उसने इसको अच्छी तरह से तोला, न्याय के तराजू के पलड़े में लेकर तोला और इस नतीजे पर पहुँची वह कमेटी कि हाईकोर्ट जोधपुर में हो । उसकी पॉलिसी को ही उन्होंने मान्यता दी, बिल्डिगों को मान्यता दी, चीफ जस्टिस की राय को मान्यता दी, जनता की सहूलियत को मान्यता दी और तै किया कि हाई कोर्ट जोधपुर में रहे ।

अब जब युनिफाइड हाई कोर्ट हो गया तो बाकी ढेर सी बातें उठाने को बचा रक्खी । तो इसके लिये प्रमाण देते हैं जैसे कोई हारा हुआ वकील देता है और कहता है कि न्याय करने वाले दोषी थे । तो इसी तरह जब राव कमेटी ने तै कर दिया तो अपने पक्ष का औचित्य न देखते हुए न्यायाधीश को ही दोषी ठहराना शुरू किया तो यह उनके लिये शोभनीय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मुकद्दमों के बारे में बात कही गई कि जयपुर की बैन्च में ज्यादा मुकद्दमे हैं । तो मैं बता देना चाहता हूं कि सन् ५४ में जोधपुर की बैंच में जयपुर के बनिस्पत ५२ मुकद्दमे ज्यादा थे । ५५ में जोधपुर में ४२ ज्यादा थे । अब रहा सवाल ५६ का । उस वक्त में अजमेर का एकीकरण हुआ और उस जगह से २०० मुकद्दमे आ जाने के कारण जयपुर की संख्या बढ़ी । यह नहीं कहा जा सकता कि जोधपुर की बैंच के पास मुकदमे कम थे । अब प्रश्न यह रहा कि जोधपुर की जनता ने आवाज क्यों नहीं उठाई । मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस समय भारत का संविधान बना उस समय बीकानेर, उदयपुर और कोटा की बैंचेज़ को एबोलिश की गई थी उस समय भी जोधपुर की जनता ने आवाज़ उठाई थी, बराबर रिप्रेज़ेन्टेशन्स किये थे कि जयपुर की बैंच को भी एबोलिश किया जाय लेकिन रिप्रेज़ेन्टेशन्स को मान्यता देना या नहीं देना यह सरकार के प्रश्न की बात है । यह नहीं कहा जा सकता कि जोधपुर की जनता इतने दिन तक नहीं चिल्लाती रही । जोधपुर की जनता से जितना मनुष्यता के नाते हो सका उसने प्रयत्न किया है और सरकार उसको मान्यता दे या नहीं दे यह सरकार के विचारने की बात है । अब जनसाधारण की बात को लेकर जयपुर बैंच के लिए कहा जाता है । तो अध्यक्ष महोदय, अगर जन-

Page No.77

(श्री लक्ष्मीचन्द)

साधारण की बात को लेकर कहा जाय तो जितना जनता का सम्पर्क कैपिटल से हो सकता है उतना हाईकोर्ट से थोड़े ही हो सकता है। हाईकोर्ट में ज्यादातर भाग्यवान लोग ही जा सकते हैं और कैपिटल में हर आदमी आ जा सकता है और यह कह देना कि जोधपुर हाईकोर्ट चला जायेगा तो जन-साधारण को नुकसान होगा, परन्तु इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार द्वारा जो कमेटी अपॉइन्ट हुई उसने सिफारिश की कि कैपिटल जयपुर में हो और हम तारीफ करते हैं कि कैपिटल के लिए जयपुर ही उपयोगी है और जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है और जब कमेटी ने फैसला आपके विपक्ष में दे दिया तो जनसाधारण का हित कैसे हो सकता है। अगर कमेटी ने राय दी होती कि युनीफाइड हाईकोर्ट जयपुर में हो तो यह दूसरी बात थी। मैं यह कहूंगा कि जनसाधारण की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा कि मूविंग हाईकोर्ट रखा जाय तो इससे ज्यादा हित हो सकता है। जैसे पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट सिनेमा दिखाता फिरता और हाईकोर्ट भी इसी तरह फिरे उससे ज्यादा हित हो सकता है। यह बात नहीं है। जब एक कमेटी ने राय दे दी तो उसको मान्यता देनी चाहिए और मैं सरकार के प्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि इस प्रकार की राय को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाय और सरकार इस प्रकार का विश्वास जनता को दिलाये कि जिस प्रकार से पटेल कमेटी की राय को स्वीकार नहीं किया और इसको तो जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल पंवार, (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने तीन रोज से इस बात पर विचार हो रहा है कि राजधानी और हाईकोर्ट के बारे में जो राव कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसे किस रूप में माना जाये और हाईकोर्ट को स्थापना कहां को जाये। राजधानी के विषय में जहां तक मेरा विचार है कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जयपुर जैसा शहर ही राजधानी के लिए उपयुक्त हो सकता है और जहां तक राव कमेटी की इसके बारे में सिफारिश है मैं उससे सहमत हूं। जहां भी राव कमेटी गई है और बीकानेर में जब राव कमेटी पहुँची तो बीकानेर वाले जितने भी लोग उनसे मिले उन्होंने उदारता से इस बात का परिचय दिया और अपनी राय दी कि राजधानी के लिए अगर कोई उपयुक्त स्थान हो सकता है तो वह जयपुर ही है। बीकानेर शहर और बीकानेर के नागरिक अपनी राय विशेष तौर की और अल्प राय रखते हैं। उनके मन में स्वार्थ नहीं है कि राजधानी बीकानेर में हो या दूसरी जगह। हाईकोर्ट के बारे में भी उन्होंने ऐसी ही निष्पक्षतापूर्ण राय रखी है। तो मैं भी अपनी राय इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि राव कमेटी की जो भी रिपोर्ट है। वह वास्तव में उस कमेटी की रिपोर्ट है जो हाई लेवल की चुनी गई है, हमें यह मानना चाहिए और जयपुर के महानुभावों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको इतना मोह नहीं करना चाहिए कि जो भी काम हो वह जयपुर में ही हो। हमारी जो पुरानी राजधानियां हैं उनको भी हमें देखना है। आज हम उनको भूल जायेंगे और उन राजधानियों की उपेक्षा करेंगे तो मैं कहता हूं कि उनकी रौनक बिलकुल खत्म हो जायेगी और जो भविष्य हमारे सामने आने वाला है वह वास्तव में शोचनीय होगा। इसलिए मैं

(श्री धर्मपाल पंवार)

यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि जो राव कमेटी की रिपोर्ट है उसको ज्यों का त्यों मान लेना चाहिए। बस मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां के माननीय सदस्य नहीं बोले हों ?

(व्यवधान)

Order ! Order please !!

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री आबिद अली : सवाई माधोपुर से कोई नहीं बोला है !

श्री मुक्तिलाल मोदी : जयपुर में १६ डिविज़न्स हैं इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा, (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिवेदन पर क्या वाद-विवाद करूं ? एक प्रश्न रखा है 'वाद' और दूसरा है 'विवाद'। 'वाद' शब्द का अर्थ होता है किसी विषय पर बातचीत करना और उसके तथ्यों तक पहुँचना और विवाद का मतलब होता है किसी बात पर झगड़ा करना। मैं नहीं समझ सका कि मैं इस प्रतिवेदन के पूरे पेजेज़ पढ़ने के बाद किस प्रकार से इसकी धज्जी उड़ाने का दुस्साहस करूं या किसी निर्णायक की पगड़ी उछालूं और कहूँ कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और अक्ल से काम नहीं किया या उनकी अक्ल को चुनौती दूं ? मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इसके विषय में कुछ कहकर अपनी वकालात की डिग्री के चार चांद नहीं लगा सकता क्योंकि इस प्रतिवेदन में बातों पर कशमकश चली और उसका एक निर्णय निकला और जिस पर निर्णय खींचातानी चली है वह इस रिपोर्ट का तीसरा सुझाव है :

"The existing Bench at Jaipur should be abolished and there should be no Benches of the High Court." एक यह सिद्धांत है। एक सिद्धांत और उसूल को लेकर लॉ कमीशन ने यह तय किया कि हमें किसी रूप में भी कोई बेंच नहीं रखनी चाहिए और उसकी उन्होंने दलील दी। उस लॉ कमीशन ने जो बात कही वह यह है:-"The unanimous opinion of the Law Commission was definitely against the policy of divisions of the High Court and allowing Benches to sit at different places." एक सवाल था एक सिद्धांत था और उसके अन्दर हमारी विधान सभा के धाराशास्त्रियों के सिरमोरों ने अपने बयान दिये और उन्होंने उसूल को माना कि राजस्थान की भूमि पर एक युनीफाइड हाईकोर्ट होना चाहिए और इस उसूल को आज तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी और उन्होंने इस उसूल को मानने में जो ६ दलीलें दी हैं और तर्क दिये हैं उनको किसी ने चेलेन्ज करने का साहस नहीं किया और जो दलीलें इसके सामने पजामे और पतलून की दी हैं वह लीचड़ दलीलें हैं। यह दलीलें जो जयपुर की चौपड़ पर दीं, नहीं चल सकतीं। अलवर

(श्री मूलचन्द डागा)

में एक हाईकोर्ट थी, अलवर वाले उससे न्याय पाते थे और जिस समय वहां से हाई-कोर्ट हटाई जा रही थी उस समय उन्होंने खड़े होकर कुछ नहीं कहा। कोटा वालों ने नहीं कहा। भरतपुर वालों ने खिलाफत नहीं की। उस समय सवाल एक था कि हमारे समूचे राजस्थान को हमें एक करना था। शैतान और राक्षस का यह काम है कि वह यह सोचता है कि दुनियां हमारी होनी चाहिए शैतान दुनियां को अपने लिए समझता है लेकिन इन्सान अपने को दुनियां के लिए मानता है। आज हम राजस्थान को अपने लिए मानते हैं। राजस्थान हमारे लिए नहीं है। जयपुर के रहने वाले जो आदरणीय सदस्य हैं, जो माननीय सदस्य हैं वे यह नहीं समझते कि हम किस बात को लाना चाहते हैं? एक सवाल, एक उसूल है कि युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिए। जब अलवर से हाई कोर्ट हटा तब दूरी की दलील देकर आगे आये थे? मैं पटेल साहब की, उस लौह पुरुष की वाणी में आपको बतलाऊंगा कि वे भौगोलिक इकाइयां खत्म नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो इकाइयां भौगोलिक आधार पर है वे खत्म की जायें लेकिन हम दिलों की दूरी को मिटाना चाहते हैं। हम एक दूसरे की जो संस्कृति में भेद है उसको मिटाना चाहते हैं। यह तरीका है दलील का। यह ज्ञान के आधार पर दलील है जयपुर और जोधपुर में हाईकोर्ट होने से बड़ा खर्चा बढ़ेगा, यह दलील दी जाती है। इस प्रकार की दलील एक प्रकार से जो प्रतिवेदन दिया गया है उस दलील के सामने वह लंगड़ी दलील है, लचर दलील है, तथ्यहीन, भावा-हीन, ज्ञान हीन और तर्कहीन दलील है। यह दलील किसी काम की नहीं है। हम समूचे राजस्थान को अपना समझें। जयपुर वाले समझने लगें जोधपुर हमारा है, जोधपुर वाले समझें कि जयपुर हमारा है। क्या पटेल कमेटी ने निर्णय दिया, राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उनके सामने जो हमने अपनी शहादतें पेश की आज उन पर न चल कर दुस्साहस करने का तरीका निकाला जा रहा है, एक शिक्षा दी जाती है। विधान सभा में आदर्शवाद का नारा लगाया जाता है। आदर्शवाद की आड़ में जयपुर बेंचके मकान का सवाल पैदा किया जाताहै। हम चाहते हैं इसलिए नहीं, बल्कि एक सिद्धान्त है कि युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिए। लॉ कमीशन की मन्शा है, पटेल कमेटी की मन्शा है। पटेल साहब ने कहा था कि राजस्थान बनने से हम उन रियासतों को वीरान नहीं करना चाहते, हमें उनको एक मसान नहीं बनाना है। जोधपुर जीवित रहे, जिन्दा रहे। उनके दिल जुड़े रहें। राजस्थान बना उस समय हमारे जो मुख्य मंत्री थे उनके अन्दर क्षेत्रीय भावनाएं नहीं थीं। लोक-नायक जयनारायण व्यास के दिल में यह नहीं था कि जोधपुर और जयपुर में फर्क है। उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन अन्याय सहना पाप है। जोधपुर यह नहीं कहता, वह इसलिए नहीं चाहता है कि चार जजेज़ के आने से, ४० क्लार्क्स के आने से और १४ चपरासियों के आने से वह स्थान बढ़ेगा। हम कहना चाहते हैं उसूल से हम इन्साफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक युनिफाइड हाई कोर्ट हो और यह बात चलेगी। जयपुर वालों की लचर दलील नहीं चलेगी, अलवर वालों का लड़कपन नहीं चलेगा, धौलपुर की धांधलीबाजी नहीं चलेगी, कोटा की कूटनीति नहीं चलेगी, और जोधपुर में

Page No.80

(श्री मूलचन्द डागा)

एक युनिफाइड कोर्ट हो जो इन्साफ दे सके पहला सवाल यह है। अगर मैं एक बात कहूं कि अजमेर के अन्दर कैपिटल बदल दी जाय तो क्या बात है? अजमेर भी एक शहर है जिसके अन्दर भी विकास करना है। सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड के लिए आप कहेंगे। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसूल को समझ कर हमने एक रिपोर्ट पेश की एक न्यायमूर्ति, एक इन्जीनियर और एक उच्च श्रेणी के प्रशासक ने। हमने दलीलें क्या दी? हमारे मुख्य मंत्री ने एक बात कही उस बात का बतंगड़ बनाया। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राव कमेटी के ऊपर आन्दोलन होगा तो शासन करने वाले में ताकत है आन्दोलन को दबाने की। आप चाहते क्या हैं? आप युनिफाइड हाई कोर्ट चाहते हैं या नहीं? फैक्ट्स के खिलाफ बात करते हैं साफ बात कहने के बजाय दूसरी बात कहते हैं, नई बात कहने लगते हैं। मुख्य मंत्रीजी पर कीचड़ फैंकने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रीजी को कीचड़ में घसीटने की कोशिश करते हैं। उनको कीचड़ में घसीटने का सवाल नहीं था। सवाल सोचने का है, राजस्थान के हित में सोचने का है। यह एक तरीका है। उनको उस तरह से देखने की आदत नहीं है। सिर झुकाकर चलने की आदत नहीं है वह कट जायगा। सिर झुकाकर चलना होगा राजस्थान के लिए। इस राजस्थान की भूमि को आपको बनाना है या बिगाड़ना है। एक प्रतिवेदन दिया गया। प्रतिवेदन हो गया। उसमें आपने मेमोरेन्डम पेश किये, आपने शहादतें पेश कीं। आपकी दलीलें हैं कि हम भौगोलिक इकाई ही नहीं सांस्कृतिक एकता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हममें आपस में प्रेम और मोहब्बत हो। हम चाहते हैं कि समय की दूरी, स्थान की दूरी कुछ नहीं है किन्तु दिल की दूरी दूरी होती है। हम चाहते हैं कि जयपुर वाले कहें कि जोधपुर हमारा है और जोधपुर वाले कहें कि जयपुर हमारा है। जयपुर में एक के लिए आकर्षण है बिल्डिंग्ज का तो क्या जोधपुर में कम आकर्षण है बिल्डिंग्स का? जब यह बात आपके सामने है तो फिर किस आधार पर, किस वजूहात पर एक बात करने लग जाते हैं? आप अपनी बात का बतंगड़ बना सकते हैं, आपको तरह तरह की बातें करनी आती हैं। १० मिनिट में पाली का यह एक अदना सा आदमी सारे प्रतिवेदन पर ज्यादा नहीं कह सकता है। लेकिन फिर भी हम भी अपना वजन रखते हैं। पटेल कमेटी के जो निर्णय थे उनका कौनसा इम्प्लीमेन्टेशन जोधपुर के हक में हुआ। जोधपुर क्या चाहता है? जोधपुर न्याय चाहता है! जोधपुर अन्याय सहना जानता है, लेकिन कहां तक? उसकी भी सीमा होती है। उस समय जयपुर वालों का एक तरीका होता है कि बड़ी मीठी बातें कहते हैं और आदर्शवाद की बात कहने के बाद यह कहते हैं कि यदि एक बेन्च हाई कोर्ट की यहां रख दें तो क्या एतराज है? आपको मालूम है कि रिपोर्ट में साफ है कि वह टेम्प्रेरी बेन्च है उसकी कोई लीगल सैन्क्टिटी नहीं है। आप उसका पूरा अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि हमने बिल्डिंग क्यों बनाई? जब रुपया लेप्स होता था तो उस पैसे को काम में लाने के लिए बिल्डिंग बनाई गई। जयपुर में टेम्प्रेरी बेन्च हो, राजस्थान एक होते हुए कोई टेम्प्रेरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहां सीधा एक युनीफाइड हाई कोर्ट हो। मैं यह अर्ज करूंगा की

(श्री मूलचन्द डागा)

राजस्थान की भावना को लेकर, राजस्थान की बात को ध्यान में रखकर जोधपुर के साथ, जयपुर के साथ, अजमेर के साथ न्याय करना होगा। हम चाहते हैं कि एक युनिफाइड हाई कोर्ट हो और वह जोधपुर में हो। यह शान की बात है और राजस्थान के शान की बात है।

(अनेक माननीय सदस्यों के पुनः बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा ज़िला है जो रह गया है ? पहले उसको चान्स दिया जाय।

(अनेक माननीय सदस्य खड़े होते हैं)

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष, ये भी जोधपुर के हैं। बीकानेर वालों को भी टाइम देना चाहिये। सारा समय जोधपुर वालों को ही दिया जायगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : ५ मिनिट में ही बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच पांच मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष : जी हां, ५ मिनिट कर दिया है।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, ..

एक माननीय सदस्य : On a point or order. Please hear me . . .

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. . .

एक माननीय सदस्य : Please hear me. The ruling which you have given that there should be no speaker from the district from where already some Hon'ble. Member has spoken.

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह था कि प्रमुखता उनको दी जायेगी सामान्यतया जिन्होंने कि नहीं बोला है।

एक माननीय सदस्य : उसी बात को..

श्री अध्यक्ष : Order please ! There is no point of order.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से बहस चली आ रही है कि हाई कोर्ट कहां हो, केपिटल कहां हो। जब हम आपस में इस बात को तय नहीं कर सके तो एक कमेटी बिठाई गई कि हाई कोर्ट कहां हो। उसके साथ साथ यह भी मालूम करें कि बेन्च रखी जाय या न रखी जाय। जब आपस में कोई चीज तय नहीं कर लेते हैं तो यह डेमोक्रेटिक तरीका है कि मामला किसी को सौंप दे कि कोई बीच में आर्बीट्रेशन करे। उसी हिसाब से यह राव कमेटी रखी गई है, राव कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ चाहिये था उनको असिस्टेन्स हमने दी। उसमें अगर किसी तरफ का कोई अच्छा नहीं हो ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल से जब हम किसी कमेटी को निर्णय सौंप देते हैं और सौंपने के बाद फिर उसकी खिलाफ़त करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम विश्वास करते हैं किसी का इस बात के लिए और फिर विश्वास करने के बाद इस प्रकार की बात करते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल ने जो १६ रियासतें थीं, जो पिछड़ी हुई थीं,

(श्री अनोपसिंह)

अलग अलग वर्गों में बंटी हुई थीं, अलग, अलग रहती थीं, अलग अलग छोटे बड़े जिनके पॉइन्ट्स थे, उन सब को मिलाकर एक युनिफाइड राजस्थान बनाया। उनके मन में था कि जब राजस्थान बन गया है तो वह एक ऐसा राजस्थान होगा, जो अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करे। आज जिस तरह का वाद-विवाद हो रहा है और उसमें जिस तरह की क्षेत्रीय भावनाएं आ रही हैं। यहां कहने को बहुत सी बातें आई। यह किसके लिए हो रहा है? किस बात का विवाद है? और आखिर किस के लिए है? कमेटी क्यों बिठाई गई थी, कमेटी की राय क्यों मांगी गई थी और रिपोर्ट क्यों उससे ली गई? और हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि यह किसलिये है, जोधपुर क्या है, जयपुर क्या है और बीकानेर क्या है? टंटा क्यों हुआ? कहने को तो बहुत लम्बी–चौड़ी बातें कही गई और आखिर में यह कहा गया कि स्टेट्स को मेन्टेन करिये। यदि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में है तो उसे जयपुर में ही रखिये और हाई कोर्ट की प्रिन्सिपल सीट जोधपुर में रखिये। आखिर बैंच चली जायगी तो उसके किये एडवोकेट करने वाले और क्या कह सकते हैं। कहने को बहुत सी बातें होती हैं लेकिन एक सिद्धान्त को मानना और उसको एक्शन में लाकर कामयाब बनाना दूसरी चीज़ होती है।

१२. १. म० पू०

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि पटेल साहब ने देखा कि राजस्थान की १६ रियासतों को मिलाने के बाद उन्होंने यह समझ कर कि जयपुर एक अच्छी जगह है, केपिटल के लायक है, यहां पर लम्बी चौड़ी सड़कें हैं, कई तरह की फेसिलिटीज़ हैं इसलिये यहां पर केपिटल रखा जाया। पटेल समिति ने भी यही सम्मति दी थी, इसलिये जयपुर केपिटल हुआ और इसे सब ने माना और यह भी माना कि इसके साथ साथ यह नहीं होगा कि दूसरे स्थानों के महत्व को नहीं रखा जाय। जयपुर को बड़े भाई की तरह, पाटवी की तरह मान लिया और बाकी स्थानों को छोटे भाई की तरह माना और यह कहा कि ये छोटे भाई हैं। इनके साथ वही बर्ताव होना चाहिये, जो एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ करता है। साथ ही यह तय हुआ कि दूसरे ज़िलों की इम्पोर्टेन्स को रखा जायगा, और वहां की परम्परा को मेनटेन किया जायगा, उनके साथ में अच्छा हिसाब किताब रखा जायगा, जो खराबियें हैं उनको निकाला जायगा। इस तरह से १६ रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम यह देखते हैं कि जयपुर वाले बड़े भाई साहब अपना लॉइन शेअर लेने के बाद यह कहता है कि हमारे यहां जो बैंच रखी है वह यहां रहनी चाहिये। इसके साथ ही हमें दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस और राव समिति किन आधारों पर यहां से बैंच हटाना चाहते हैं और युनिफाइड हाई कोर्ट एक जगह रखना चाहते हैं उस ओर भी देखना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री होतीलाल।

श्री होतीलाल : अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : गंगापुर के

(एक माननीय सदस्य)

लिये तीन दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । श्री होतीलाल !

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, राव समिति की जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई हैं, उसमें जो उनकी रिकमन्डेशन हैं उनका राजस्थान पर क्या असर पड़ता है, इस पर विचार करना है । इसमें तीन रिकमन्डेशन्स खास तौर से दी गई हैं और वे ये हैं; तीन ऑफिसेज़ जयपुर से अजमेर भेजे जांय, जयपुर की हाई कोर्ट की बैंच एबोलिश करदी जाय और युनिफाइड हाई कोर्ट जोधपुर में रखा जाय और केपिटल जयपुर में ही रखी जाय । अब देखना यह है कि इसको as it is implement करते हैं तो इससे किसने क्या खोया और किसने क्या पाया ? यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो तीन ऑफिसेज़ अजमेर को मिले इसलिये उनको कुछ न कुछ ज्यादा मिला । जोधपुर में पहले होई कोर्ट था और अब बैंच चली जाती है, तो उसको भी कुछ मिल गया । लेकिन तीन ऑफिसेज़ और हाई कोर्ट की बैंच ये लूज किये तो जयपुर ने किये और वह भी जयपुर ने क्या लूज किया, जयपुर के साथ साथ जो उससे संलग्न इलाका है उसने सबने लूज किया, जो इलाका इस जयपुर स्थित हाई कोर्ट की बैंच से लगता है, उसने लूज किया । जोधपुर के लिये बीकानेर के आदमी कहते हैं कि जोधपुर में युनिफाइड हाई कोर्ट होना चाहिये । इससे उन पर क्या असर होता है, वे लोग अब भी जोधपुर जाते हैं और युनिफाइड होने के बाद भी जोधपुर जायेंगे । यदि उदयपुर के आदमी कहते हैं कि जो जोधपुर में हाई कोर्ट होना चाहिये, तो उन पर असर पहले भी कोई नहीं था और अब भी कोई नहीं है । ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पर असर पड़ा है उनकी पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी सोचें ।

केपिटल का जहां तक प्रश्न है जयपुर वालों ने कहा कि जयपुर होना चाहिये, जोधपुर वालों ने भी कहा कि जयपुर में ही रहनी चाहिये । सिर्फ अजमेर वाले अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग ही पका रहे हैं । वह भी इसलिये कि पृथ्वीराज और संयोगिता के इतिहास की बात याद आ गई उन्हीं के स्वप्नों में खो गये । जो विचार राव समिति ने अजमेर के बारे में रखे हैं वे वहां की बिल्डिंगज़ की स्थिति, पानी की स्थिति और अन्य स्थिति को देखकर रखे हैं । इन सब को देखते हुए जब अजमेर वाले राजधानी की बात करते हैं तो मुझे वह कहावत चरितार्थ होती नज़र आती है कि मेंढकी को भी जुखाम होगया है । अजमेर स्टेट की ७ लाख की पोपुलेशन, एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी जगह और फिर भी उसको डिविजनल हैडक्वार्टर मिल गया और भूतपूर्व अजमेर राज्य के आई. पी. पी. से भी ज्यादा डी. आई. जी. का ऑफिस मिल गया और आयुर्वेद का डिपार्टमेंट पहले से २६ गुना ज्यादा मिल गया उससे भी उनका पेट नहीं भरा । उन्होंने देखा कि दो सौतें जयपुर और जोधपुर आपस में लड़ती है तो तुम भी आवाज उठाओ जो कुछ हाथ पड़ जाय वह भी अच्छा ही है । तो अजमेर वालों को बहुत कुछ मिल चुका है और भी तीन ऑफिसेज़ के बारे में कमेटी ने रिपोर्ट में

(श्री होतीलाल)

अजमेर के लिये कहा है। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप डिसेन्ट्रेलाइजेशन की पॉलिसी को मानने हैं तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्टस में भी भेजने चाहिये। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन और बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एजुकेशन का ताल्लुक है। मैं रेवेन्युबोर्ड के इस बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ जिन प्रिन्सिपल के कारण राव कमेटी ने कहा कि युनिफाइड हाई कोर्ट होने की वजह से केपेबल बार मिल सकेगा। तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्या कमेटी ने इस फेक्ट को अपने दिमाग में नहीं रखा था कि रेवेन्यू मेटर्स में सबसे बड़ा कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड है। तो क्या अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड को रखकर और हाई कोर्ट को जोधपुर में रखकर रेवेन्यू मामलों से ताल्लुक रखने वाली ८० पर्सेन्ट जनता के साथ क्या न्याय करने की बात कही है। यदि एफिशियेन्ट बार के रीजनिंग को लेना था तो जहां हाई कोर्ट रखना था वहीं रेवेन्यू बोर्ड को भी रखना था लेकिन दरअसल में ऐसी बात नहीं। दो जगह बैंचेज हैं तो दो जगह बैंच रहने से यह नहीं कह सकते कि जयपुर की बार नाकाबिल है, या जोधपुर की बार नाकाबिल है। ऐसी बात नहीं है दोनों जगह की बार काबिल हैं और दोनों ही जगहों की बार में से हाई कोर्ट बैंच में लोगों को लिया गया है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर रहनी चाहिए। यह राजस्थान की सुविधा का सवाल है इसलिये दोनों ही जगह रहनी चाहिये। जहां पर हाई कोर्ट की सीट हो वहां या जयपुर में बैंच रहती है तो जयपुर में वरना युनिफाइड हाई कोर्ट के प्रिन्सिपल को माना जाता है तो मैं कहूंगी कि जोधपुर में रेवेन्यू बोर्ड भी रखा जाय। यदि अलग अलग बैंचेज रखी जाती हैं तो जयपुर में ही रेवेन्यू बोर्ड को भी रखा जाना चाहिये।

हाई कोर्ट की बैंच यदि जयपुर में ही रखी जाती है तो इसका असर जोधपुर वालों पर क्या पड़ता है ? प्रिन्सिपल हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में है ही, उसको बैंच मिलने से मिलेगा क्या ? बोलने वालों का यह रीजनिंग नहीं था कि जोधपुर में बैंच किस लिये भेजनी चाहिये, सिवाय इसके कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही जगह हाई कोर्ट होना चाहिये। डिविज़न करने से एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ता है।

अभी कुछ दिन पहले बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बहस इस हाउस में हुई थी। उस समय सभी लोगों ने कहा कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिये और आज १० दिन बाद बहस करते हैं तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन की एक भी बात नहीं की जाती, महज इसलिये कि अपना अपना स्वार्थ बीच में फंसा है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट और लूंगा।

श्री होतीलाल : तीनों डिविजनों की जो राय है, जो इन्ट्रेस्ट है, जो उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिये जो अधिक पोपुलेशन पूरे राजस्थान की है, उस पर डाइरेक्ट असर पड़े, इस उसूल को ध्यान में रखते हुए, जनता को क्या कनविनियेन्स दे सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूँगा कि हाई कोर्ट है, उसकी प्रिन्सीपल सीट जोधपुर रहनी चाहिए

(श्री होतीलाल)

और बैंच जयपुर में जरूर रहनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय राव कमेटी की राय के ऊपर, प्रतिवेदन के ऊपर तीन दिन से वाद विवाद चल रहा है । मेरे माननीय सदस्यों ने बड़े जोश और होश से और कई माननीय सदस्यों नेजोश होश दोनों मिला कर इस प्रतिवेदन पर अपने विचार,प्रतिवेदन के अनुकूल और प्रतिकूल,पेश किये । वास्तव में इस प्रतिवेदन पर विचार करते समय इससे सम्बन्धित कई अन्य विस्तृत बातों पर विचार करना लाजिमी हो जाता है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन सारी बातों के खुलासा में न जाकर महज एक दो बातें, जो इससे सम्बन्धित हैं, मैं कह देना जरूरी समझता हूं । आज से नौ वर्ष पहले एक सुखद दिन आया, उस समय हम जो रजवाड़ों में बंटे हुए थे, उस समय रियासतों की प्रजा ने चाहा कि छोटे दायरे को छोड़ कर एक विशाल दायरे में इकट्ठे हो जांय, इस प्रकार वे रियासतें महान राजस्थान के रूप में परिवर्तित हुई । वह दिन कितना बढ़िया था । लेकिन आज ठीक नौ वर्ष बाद जब हम राव कमेटी के प्रतिवेदन को देखते हैं और उसके ऊपर हाउस में इस वाद–विवाद को, खींचातानी को देखते हैं तो दिल के अन्दर महसूस होता है कि जिस प्रतिज्ञा, भाव को लेकर नौ वर्ष पहले हम एक सूत्र में आबद्ध हुए थे, एक विशाल दायरा ग्रहण किया था, क्या हम उसी लाइन पर चल रहे हैं । मैं महसूस करता हूं कि जिस विशाल-चीज को प्राप्त करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे, वह चीज हमारे अन्दर, मूल रूप से आ नहीं पाई, और ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने के पृथकत्व के विचार थे, वे आज भी विद्यमान हैं । होना यह चाहिये कि हम खींचातानी न करें । आज जो खींचातानी चल रही है, उसको देखने से मुझे एक कहानी याद आ गई है । एक कोई शराब पीने वाला शराब पीकर रास्ते पर चला जा रहा है, वह अच्छे कपड़े पहने हुए था, बूट पहने हुए था वह थोड़ी दूर चल कर नशे के अन्दर रास्ते में गिर जाता है । थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक राहगीर आता है, उस के कपड़े देख कर, बूट देख कर उसके दिल में लालच आया । वह जब उसके नजदीक गया, तो उसे मालूम हुआ कि वह शराब में है । वह उसके नजदीक बैठा, जहां वह शराब के नशे में पड़ा था और उसके बूट खोल लिये और वे फ्लेक्स के बूट खुद ने पहन लिये और अपनी जूतियां उसको पहना दीं और चल दिया । वह शराबी दो घंटे तक पड़ा रहा, काफी देर के बाद एक किसान अपनी गाड़ी उस रास्ते पर ला रहा था, उसने देख लिया कि एक आदमी धूप में पड़ा है, उसने सोचा जरूर शराबी होगा । उसने उसके नजदीक आवाज लगाई कि ओ सोने वाले रास्ता छोड़ दे । लेकिन उसने नहीं सुना, क्योंकि वह तो शराब में बेखबर था । नज़दीक आकर उसने उसका कन्धा हिलाया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : समय का अभाव है, टाइम कम दिया जाय, तो अच्छा हो ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी थोड़ी मेहरबानी रखें ।

तो उसके नज़दीक आकर उसने उसका

(श्री मोहरसिंह)

कन्धा हिलाया और कहा बैठा हो । जब वह बैठा तो उसने कहा कि रास्ता छोड़ दे, गाड़ी निकालूंगा । वह कहने लगा कि रास्ता छोड़ रखा है । दूसरे ने कहा कि रास्ते के बीच में पड़ा है, क्या तेरे ऊपर से निकालूंगा । उस राहगीर ने, जो सोया हुआ था, अपने पैरों की तरफ देखा और विचार किया कि वह तो बहुत अच्छे बूंट पहन कर सोया था, जूतियां कहां से आ गई ? वह विचार करता है, पैर मेरे नहीं हैं, उसने कहा कि गाड़ी वाले, यह पैर मेरा नहीं हैं. इसलिए गाड़ी निकाल ले । वह गलती में, नशे में, खुमारी में अपने पैर को दूसरे के पैर समझता है । यही चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है, जोधपुर वाले कहते हैं कि जयपुर हमेशा से पृथक है, जयपुर वाले यही कहतेहैं कि जोधपुर पृथक है । यही भावना को लेकर हर अपनी बात हाऊस में रखता है । १७६ सदस्य राजस्थान से चुने हुए यहां आये हैं, वे इस तरह की खींचातानी में लगे हुए हैं । मैं जैसा कि कह चुका हूं, आज हमारे दिल में डर है, एक भय है, इसलिए ऐसी बात कहते हैं । जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजाओं से राज्य लिये थे, उस समय राजाओं से यह वायदा किया था कि राजधानियों के महत्व को बिगड़ने नहीं दिया जायगा, राजधानियों की इज़्ज़त गिरने नहीं दी जायगी, किसी तरह कमज़ोरी नहीं आने दी जायेगी, जिससे कि वहां की पोपुलेशन में कमी हो । आज नौ वर्ष हो गये हैं, कहां पोपुलेशन बढ़ी और कहां घटी ? मैं खुलासा में नहीं जाऊंगा, इसके अन्दर कुछ कमी हुई है, कहीं बढ़ी है, लेकिन मैं खुलासा में न जाकर इतना कह देता हूं कि हम भूल जाते हैं, और समझते हैं कि नगर की पोपुलेशन बढ़ाने की बात सिर्फ़ राजधानी के रहने पर मुनहसिर है । मैं साफ़ कहता हूं इसकी एक अन्य वज़ह है, जिसे असल में हम यह समझ कर चलें हकुमत भी उसे समझ कर चले तो खींचातानी की गुंजाइश न रहे । आज हम समझते हैं कि राजधानी के रहने से ही जयपुर की पोपुलेशन बढ़ रही रही है, हाईकोर्ट की प्रिन्सिपिल सीट रहने से जोधपुर की पोपुलेशन में कमी नहीं हुई है । इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हर जगह उद्योग धन्धे खोल दें, उद्योग धन्धे खोलने की कोशिश करें तो हर जगह का झगड़ा, वाद-विवाद खत्म हो जाय । मुझे याद है कि जब १६१६ में गंगानहर को गंगासिंहजी लाये, उससे पहले गंगानगर में १, २ हज़ार की आबादी थी, गंगा नहर के आने के बाद आज ३० वर्ष के अन्दर किस प्रकार उद्योग-धन्धे बढ़े, किस तरह शुगर मिल, जीनिंग फेक्ट्री टेक्सटाइल मील खुली और अब वहां ६५ हजार की आबादी है । इसी तरह अगर विभिन्न शहरों की प्रतिष्ठा बनाये रखना है, तो यह जरूरी है कि उद्योग-धन्धे खोले जाये । लेकिन हम मुंह बाये खड़े हैं, हमसे यह नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह आता है जिस पर खास तौर से बहस चल रही है, वह हाईकोर्ट, राजधानी और तीन डिपार्टमेंट शिफ्ट करने का प्रश्न

(घंटी)

इसके साथ ही एक जयपुर बैंच का प्रश्न और है । मैं अर्ज करूं कि राजधानी के प्रश्न के बारे में करीबन सारे माननीय सदस्यों ने जयपुर को राजधानी के लिए स्वीकार किया है । कुछ अजमेर की आवाज आई है लेकिन जहां तक राजधानी का सवाल है, यह सर्व

(श्री मोहरसिंह)

सम्मति से सिद्ध है कि वास्तव में जयपुर जितना बड़ा नगर राजस्थान में नहीं है, हिन्दुस्तान के अन्दर भी इतने अच्छे ढंग से बसा हुआ नगर सिर्फ जयपुर है, जयपुर एक बहुत अच्छी लोकेलिटी है, जयपुर शहर हर तरह से महत्वपूर्ण नगर है, यह राजधानी के उपयुक्त है। ऐसा शहर राजस्थान के अन्दर नहीं है। दूसरा नाम आता है अजमेर का

(घंटी)

जहां तक बैंच का सवाल है, मेरे कई साथियों ने इस पर काफी जोर दिया है। मैं इसके ज्यादा खुलासा में न जाकर यह कहूँगा कि जयपुर में बैंच होनी चाहिए। मैं बीकानेर में से आता हूं, यहां पर जोधपुर और जयपुर के साथी भी बैठे हैं। उन्होंने अपने अपने हक में साफ तौर से बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जयपुर के आसपास की घनी बस्ती को देखते हुए, अलवर, झालावाड़ को ध्यान में रखते हुए, यह कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि यह कह दें कि बैंच को हटा लेना चाहिए। (हिअर, हिअर) अगर जयपुर में बैंच रहे, तो नुकशान होने वाला नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने खर्च के बढ़ने की बात कही है, अगर आप बैंच को हटाकर जोधपुर में ले जायेंगे, तो जो हाईकोर्ट की बैंच के क्लर्क हैं, जज हैं, काम करने वाले हैं, उनको क्या हटा दिया जायगा ?

(घंटी)

उनको क्या निकाल दिया जायगा, वे इसके साथ साथ जायेंगे

(घंटी)

इसलिये बैंच जयपुर में जरूर रखी जानी चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज़ ! आर्डर !

श्री **मोहरसिंह** : इस तरह से...

श्री **अध्यक्ष** : Order ! Order please ! मुख्य मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से बराबर लिख कर दे रहा हूं मुझे पांच मिनट का समय नहीं दिया है, दूसरों को २० मिनट दे दिये हैं, जब कि····

श्री **अध्यक्ष** : Order ! Order please !

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : देखिये, मैं पांच मिनट के लिए कह रहा हूं। पांच मिनट दे दीजिये।

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज !

आपके अलावा भी और है, जो पांच मिनट का समय चाहते हैं। समय नहीं है, इसलिए खेद है, बहस समाप्त की जाती है।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : आप समाप्त कीजिये, लेकिन मुझे पांच मिनट का समय दे दीजिये। मैंने खुद ने बात कर ली थी, सारी पोजीशन....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री **मुक्तिलाल मोदी** : माननीय अध्यक्ष, जो पोज़ीशन है, वह बता नहीं सकता हमारे दिल के अन्दर....

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले एक दिन का समय रखा, फिर दो दिन कर दिये, लेकिन हमें समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री मुक्तिलाल मोदी : सिर्फ पांच मिनट की बात है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! शांत रहिये। माननीय सदस्य सिर्फ अपनी बात देखते हैं, दूसरे माननीय सदस्य भी तो हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कल से आपको कह रहा हूं, परसों भी मैंने कहा था पांच मिनट इस बात के लिये दे दीजिये।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से...

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं होगा, समय समाप्त हो गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हमको बोलने नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

एक माननीय सदस्य : On a point of order.

श्री अनोपसिंह : On a point of order, Sir, जब सदन के नेता अपने पैरों पर खड़े हैं तब उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : If the House wants to sit for...

श्री अध्यक्ष : The House does not want it. पहले एक दिन का समय दिया, फिर दो दिन रखे गये और बाद में तीन दिन कर दिये गये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने लिख कर भी दे दिया था। मैं अब भी लिख कर दे रहा हूं कि पांच मिनट का टाइम दे दीजिये।

श्री तनसिंह : इस तरह कभी भी बहस खत्म नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, जब हाउस मांग करता है, तो टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

मैं निवेदन कर चुका हूं, आप कई दफ़ा सीमा के बाहर निकल जाते हैं। अगर अब भी टाइम बढ़ा दें, तो भी कई माननीय सदस्यों की शिकायत रह जायगी। पहले एक दिन था, उसको दो दिन कर दिया गया और बाद में तीन दिन कर दिया गया। आखिर वाद-विवाद की एक सीमा होती है। मैं माननीय सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण शुरू करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जो राव कमेटी की रिपोर्ट पर पूरे दो रोज यहां पर वाद विवाद हुआ और अभी भी कुछ समय के लिये इस पर चर्चाएँ हुई, अलग अलग हिस्सों से आये हुए माननीय सदस्यों ने अपनी राय को काफ़ी जोर के साथ यहां पर रखा, मैंने भी उनको गौर से सुना और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ स्पष्ट सा मालूम पड़ता है, जो रायें मालूम होती हैं, उनसे कि सुविधा की दृष्टि

श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से ज्यादातर राय यहां पर सामने आई हैं और कुछ राय जो रिपोर्ट कमेटी के द्वारा रखी गई, उसकी तरफ़ से उसके समर्थन में रायें आई हैं। मैंने जैसा कि पहले शुरू में निवेदन किया था कि हम यहां पर माननीय सदस्यों की राय जानना चाहते हैं। अभी बहुत से माननीय सदस्य और बोलना चाहते थे, तो मैं समझ सकता हूं कि ज्यादातर रायें यहां पर आईं थीं, उन्हीं का रिपिटिशन हो सकता है, नई बात सामने आने को कम रहती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह प्रश्न शायद इस ख्याल से भी सोचा जाने लगा है कि किसके पक्ष में कितने बोले, कोई तादाद में फ़र्क नहीं पड़ जाय, यह सोचना सही नहीं है, इस वाद–विवाद के पीछे यह भूमिका नहीं रही है और इस करण से वाद–विवाद यहां नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था इस प्रश्न को अन्तिम रूप से गृह मन्त्रीजी को, गृह मन्त्रालय को तय करना है। यह मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी यह सवाल अन्तिम रूप से तय हो जाय, उतना अच्छा है।

मैं व्यक्तिगत राय ज़ाहिर करने के लिये खड़ा नहीं हुआ। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मुझे जैसा कि मैंने उस कमेटी के सामने कहा कि अगर बैंच यहां से हटाई जाती है तो इससे अव्यवस्था होने का खतरा जयपुर में हो सकता है, इस बारे में स्पष्टीकरण करूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के कहने का और किसी बात के कहने का तात्पर्य यह हो सकता है कि सारी बातों को लक्ष्य में करके हमें फैसला करना चाहिये। पर जो फैसला किया जाय उसके बाद कहीं कोई अव्यवस्था हो तो उस अव्यवस्था को ठीक करने की ज़िम्मेदारी सरकार पर है, उस ज़िम्मेदारी से हम कोई झिझकते नहीं हैं। पर जो एक स्टेज थी, उस पर एक बात कहने का सवाल था, वह एक बात मैंने कही, इसमें दो राय की बात नहीं आती। दूसरी स्टेज़ हमारे सामने आई कि गृह मन्त्रालय के सामने अपनी राय जाहिर करें और उनको अन्तिम रूप से अपनी राय से अवगत करें। अब यहां राय ज़ाहिर हुई, बाहर भी हो रही है, इस पर और स्वयं जो रिपोर्ट है उस पर, निर्णय करके फैसला होगा। उस फैसले को हमें साथ का साथ राजस्थान में मनवाना है। मुख्य बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि मैं यह मानता हूं कि राजस्थान का न केवल राजनैतिक दृष्टि से बल्कि इमोशनल इन्टीग्रेशन भी हमारा होना चाहिये, एक दूसरे के बीच में विचारों की खाइयां रहे, जैसा वाद विवाद में किया, जयपुर कोई पराया है, जोधपुर कोई पराया है, जयपुर यह करने जा रहा है, जोधपुर यह करने जा रहा है, मैं समझता हूं इस प्रकार के प्रश्न को न सोचकर सारे राजस्थान के हित में क्या उचित है, इस दृष्टि से विचार करना चाहिये। इसे मेरिट्स से विचार करेंगे और इसका निर्णय होगा वह अधिक से अधिक व्यक्तियों को संतोष देने वाला होगा यह मैं कहना चाहता हूं। मैं गृह मन्त्री जी और गृह मन्त्रालय के निर्णय के बारे में यह मानकर चलता हूं कि जो भारत के बहुत उलझे हुए बड़े बड़े सवाल थे, प्रान्तों के पुर्नगठन का सवाल था जिसमें भाषाओं की भिन्नता के आधार पर भावावेश आने का प्रश्न था, और भी प्रश्न थे, वह बड़े प्रश्न हल हुए। अब छोटे प्रश्न रहे हैं। उनके हल करने में भावावेश में आने का प्रश्न नहीं होना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिये। आज जोधपुर में, जयपुर में या अजमेर में संघर्ष की बात कही जाती है। यह प्रश्न संघर्ष का न होकर, परसुएशन से लायकी से मनवाने का प्रयत्न करना चाहिये। अच्छा तो यह होता कि इस सदन में भी आपस में मिल कर एक राय दूसरों के सामने रख सकते तो अच्छा होता। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने इस प्रश्न को कमेटी को या गृह मन्त्रालय को सौंपने में गलती की। जो वाद-विवाद यहां चला, उससे ज़ाहिर होता है कि यदि हमने इस प्रश्न को गृह मन्त्रालय को, कमेटी को न सौंपा होता, तो जब दोनों राज्यों का एकीकरण करने जा रहे थे उस समय ज्यादा भावनाएं उत्तेजित हो सकती थीं। तो मैं यह मानता हूं कि जो उस समय में आवश्यकता को देखते हुए किया गया वह उचित किया गया। कई माननीय सदस्यों ने कहा क्या अधिकार था ४ आदमियों को कि सारा का सारा सवाल गृह मन्त्रालय को सौंप दिया। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय, यह प्रश्न सौंपा गया था उस समय राजस्थान में कहीं से विरोध में आवाज नहीं उठी थी। जिस समय गृह मन्त्रालय को सौंपा गया था उस समय ठीक मानते थे कि उचित ही किया गया। तो आज यह सोचना उचित नहीं। आज भी हम इस सारे प्रश्नों को अलग अलग जगह सोचते हैं तो कुछ भावनाएं बढ़ जाती हैं, और इसमें स्वाभाविक हो सकता है, ज्यादा भावों का आवेश हो सकता है, पर जहां गृहमंत्री जी इस पर निर्णय करते हैं तो वह अलग अलग बातों को न देख कर सारे राजस्थान की दृष्टि से सोचेंगे ऐसी मेरी मान्यता है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शासन भार जिन पर चलाने की ज़िम्मेदारी है, यह मान कर चलिये कि हमें लड़ाने में, एक जगह वातावरण में तेजी आये, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि कोई सुनना चाहे तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा वातावरण पैदा न करें, मैं कोई इस तरह के भाषण देता नहीं फिर रहा हूं कि आप इस तरह आन्दोलन करिये। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनीति के साथ न जोड़ा जाय। शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा की जाय कि जो निर्णय हो, उससे किसी को कुछ छोड़ना पड़े और नाराजगियां हों उनको सबको बर्दाश्त करके इस राजस्थान के निर्माण को पूरा करें। आखिर आज जो सवाल हमारे सामने हैं वे इतने बड़े नहीं हैं जितने कि १९४९ में थे, जिसमें कि हमने अपने राज्यों का एक दूसरे में विलीनीकरण कर दिया, अलग अलग राजधानियां थीं, मिनिस्टरियां थीं, हाई कोर्ट्स थे, दूसरे दफ्तर थे, वे सब समाप्त हो गये और हमने एक राजस्थान का निर्माण किया। तो आज के दिन इन छोटे मुद्दों पर तेजी में आ जाते हैं तो शायद इतिहास यह कहेगा कि बड़े काम में हमने उदारता बताई और छोटी बातों में जाकर उलझ गये और इन छोटी छोटी बातों में उलझने का परिणाम जगह जगह फैले, यह उचित नहीं होगा। यही मुझे निवेदन करना है।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में जहां हम सार्वजनिक रूप से या और रूप से, मैं खास तौर से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी ख्याल आता है कि राजधानियों के बारे में ख्याल नहीं रखा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाता तो मैं सूक्ष्म में कहना चाहता हूं कि हम प्रयत्नशील हैं कि जो पहले की राजधानियां थी, उनके सम्बन्ध में जितना संभव हो प्रयत्न किये जाय ।

अलवर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कहीं परन्तु मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि खेतड़ी की माइन्स के बारे में हम लगातार प्रयत्नशील हैं और हमें आशा है कि वह अवसर जल्दी से जल्दी आवेगा । भारत सरकार कोशिश कर रही है । दोनों जगह कौपर माइन्स के बारे में देखा जा रहा है और इसके अलावा और बातें तो जब अवसर आया तो हमने एक दूसरे को आपस में बताई हैं । मगर इसी प्रकार एक बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर छोटे छोटे ज़िले कायम हैं । मगर आम तौर से बम्बई और यू० पी० आदि में इतने ज़िले नहीं हैं । लेकिन यहां पर आज हम देखते हैं कि कोटा, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़ आदि कई स्थान ऐसे हैं वहां पर ज़िले हैं और हमने जिलों को इसलिए चालू रखें है कि वहां पर कुछ काम तो हो सके । आगे भी अभी अभी बीकानेर में मेडिकल कालेज़ के बारे में फैसला हुआ है । इसके अलावा अभी कुछ माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि जोधपुर में इलेक्ट्रीकल एन्ड मेकेनिकल, जिसके अनुसार २७ से ३० लाख तक पोलीटेक्निक बनेगा । इसके अलावा दूसरी जगह भी काम होगा । मैं मानता हूं कि अभी बहुत सी जगह काफी काम करना आवश्यक है और जितना करना चाहिये नहीं कर पाये हैं मगर यह कहना कि अलग अलग जगह हम नहीं करना चाहते यह उचित नहीं होता है और जो काम जहां पर करने की आवश्यकता है उसको करने के लिये हम सब मिल कर विचार करें । लेकिन आज जो हमारे सामने प्रश्न है, वह हाई कोर्ट का प्रश्न है कि हाई कोर्ट यहां से नहीं चला जावे । मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें क्योंकि जो भावनाएं व्यक्त की हैं वे गृह मन्त्रालय को भेजी जावेगी और निर्णय होगा । ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि हमको सब जगह शांति रखनी है और ऐसा न हो कि किसी जगह अशांति की स्थिति पैदा हो सके । हमें चाहिये कि सारी जगह शांति का वातावरण रहे । मैं समझता हूं कि इस पर इतना ही कहना काफी होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं वे किस प्रकार से गृह मन्त्रालय के पास भेजी जावेंगी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रकार तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है और जो कुछ प्रोसीडिंग हो गई हैं । वे उसके पास भेज दी जायगी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं उनसे लिखित में ले लिया जावे, जैसा अभी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, हमसे तो लिखित में ले लिया जावे ।

Page No.92

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२.३५ मध्यान्ह पर दिनांक १८ अप्रैल, १९५८ को ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १७ अप्रैल, ५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७८८४	कैटल ब्रीडिंग फार्म, नागौर ।	
बिजलीघर, दौसा ।		चिकित्सालय-अनादरा ।	
अकाउन्टेन्ट, डिविजनल फारेस्ट ऑफिस से नल, बिजली व भवन-किराये की वसूली ।		तस्कर व्यापार ।	
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत के अपराध में सरपंच, ग्राम मंगलौना (लक्ष्मणगढ़) की गिरफ्तारी ।		चर्म उद्योग व सहकारी समितियां, नागौर ।	
मछलियों का ठेका ।		महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली ।	
केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।		नावां में कोर्ट्स के लिये किराये पर लिये गये भवन ।	
केनाल प्रोजेक्ट के लिये कर्मचारियों की भर्ती ।		चिकित्सालय की स्थापना, ग्राम लुणावा, बाली ।	
बड़ोद-शाहजहांपुर सड़क का निर्माण ।		चम्बल विभाग में सीमेंट की चोरी ।	
नगरपालिका, नवलगढ़ ।		जल बोर्ड, चूरू ।	
नगरपालिका, किशनगढ़ ।		नगरपालिका, बीकानेर ।	
चित्तौड़ ज़िले में तालाबों का निर्माण ।		कृषि कालेज, जोबनेर ।	
आमोद-प्रमोद कर ।		श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि ।	
सड़क निर्माण ।		घग्गेराव बांध ।	
नगर विकास मंडल, जयपुर ।		स्टाफ राशनिंग एजेन्ट्स का बकाया कमीशन ।	
		मकराना मारबल आर्टीसन	

स्कम्भ

कोआपरेटिव कान्ट्रक्ट सोसाइटी । औषधालय ।

मारवाड़ जंक्शन–आउवा रोड़ । सर्जीकल कैम्प ।

जलकष्ट निवारण योजना, पच-पदरा ।

बेदखल किये गये आदिवासियों को पुनः ज़मीन दिलाने की व्यवस्था ।

भ्रष्टाचार की शिकायतें, कृषि विभाग, तारानगर, ज़िला चूरू ।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर ७६४०

ग्राम सूपा (तहसील बयाना में हरिजनों के साथ मारपीट) ।

कस्बा आमेर ज़िला जयपुर में शेरों द्वारा उत्पात ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

(१) श्री श्रीनिवास शारदा दिनांक १५-४-५८से २५-४-५८।

(२) श्री शंकरलाल दिनांक १६-४-५८ से १८-४-५८।

स्कम्भ

श्री टीकाराम पालीवाल द्वारा त्याग-पत्र ७६४१

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि श्री टीकाराम पालीवाल, सदस्य विधान सभा, ने दिनांक १६-४-५८ से विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है ।

सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी द्वारा सदन की मानहानि करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव ७६४२

(प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श) । श्रीमती प्रभा मिश्रा, सदस्या विशेषाधिकार समिति, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ को उठाये गये निम्नांकित विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय:—

"सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी में 'हमारा राजस्थान' नामक स्टाल पर राज्य विधान सभा के सदस्यों के चित्र-पट पर 'चोर मंडली' शीर्षक देकर सदन की मानहानि की है । सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी का यह कार्य (Breach of Privilege) की गणना में आता है ।"

उपरोक्त प्रस्ताव पर श्री श्रीमानसिंह एवं डॉ० चन्द्रकला ने क्रमशः ये संशोधन प्रस्तुत किये:-

"That the question be recommitted to the same Committee for examining the matter of taking exemplary disciplinary action against the Directorate of public Relations."

"That the question be recommitted to the Committee for reconsideration."

इस सम्बन्ध में की गई बहस में श्री भैरोंसिंह (१४), श्री जनार्दनराय नागर, श्री मूलचन्द डागा व श्री मुरलीधर व्यास ने भाग लिया। श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। विशेषाधिकार समिति की ओर से श्री आबिदअली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री श्रीमानसिंह ने अपना संशोधन वापिस ले लिया एवं डॉ० चन्द्रकला का संशोधन गिर गया। तत्पश्चात् प्रतिवेदन को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई।

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद ८०२६

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर आज भी बहस जारी रही जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री लक्ष्मीचन्द।

(२) श्री धर्मपाल।

(३) श्री मूलचन्द डागा।

(४) श्री अनोपसिंह।

(५) श्री होतीलाल।

(६) श्री मोहरसिंह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, दिनांक १८ अप्रेल १९५८ की कार्य-सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७.

(अग्रेतर, विचार-विमर्श)

Page No.96

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५१ का उत्तर देखिये)

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम पद	संख्या	किस प्रकार नियुक्ति हुई है।
(१)	चीफ इन्जीनियर, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट	१	पंजाब सरकार से २ लाख के लिये डेपूटेशन पर है ।
(२)	पी० ए० टू चीफ इन्जीनियर	१	कोन्ट्रेक्ट सरविस पर।
(३)	सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर	१	विभाग के मुस्तकिल अधिकारी हैं।
(४)	एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर	३	कोई नयी नियुक्ति नहीं की गई बल्कि असिस्टेन्ट इन्जीनियरस को तरक्की दी गई।
(५)	असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स	११	अस्थाई नियुक्ति--इन्जीनियरिंग सबोर्डिनिट्स में से।
(६)	ओवरसियर्स और मेकेनिकल फौरमैन	५२	व २ डाईरेक्ट नियुक्तियां (अस्थाई)
(७)	सिनियर ड्राफ्ट्समैन	४	
(८)	जुनियर ड्राफ्ट्स मैन	७	
(९)	कम्प्यूटर्स	४	
(१०)	ट्रेसर्स	६	
(११)	फेरोप्रिन्टर्स	५	
(१२)	सुपरिन्टेन्डेन्ट	२	
(१३)	स्टेनोग्रफर्स	३	
(१४)	अपर डिविजन क्लर्कस	३१	
(१५)	लोअर डिविजन क्लर्कस	५३	
(१६)	क्लास फोर्थ सरवेन्टस	५८	

१	२	३	४
(१७)	स्टोरकीपरस	७	
(१८)	असिस्टेन्ट स्टोरकीपरस	६	
(१९)	मेडिकल सिविल असिस्टेन्ट सरजन	१	
२०)	हैड कम्पाउन्डर	१	
२१)	असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर	१	
(२२)	स्टोकवेरीफाईदर	१	
(२३)	हैडकर्ल्कस	३	
(२४)	डिविजनल एकाउन्टेन्टस	३—एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा नियुक्ति की जाती है।	

नोट:—क्रम संख्या ५ से १५ व १७ से २३ तक अस्थाई नियुक्तियां व नये रिकूटमेंट हैं। जिनका final Selection पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगा।

RAJSTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, JAIPUR ADVERTISEMENT No. 56.

Applications are invited upto 25 th February, 1958, for undermentioned posts on a prescribed form obtainable against Postal Order or Treasury Challan of Fifty Naya Paisa(annas Eight) Payable to the Secretary. Fee of Rs.17/8/- (Rs.10/-in case of Scheduled caste/Tribes candidates) for post No.1 and Rs.5/--for others (One-fourth for candidates belonging to Scheduled castes/Tribes) should be sent along with application form by Treasury Challan (in original) creditable to Head XXXVI-Miscellaneous,Examination Fees Rajasthan. Candidates residing in other States (except Rajasthan)may deposit the application fee in their States Treasuries creditable to "S-Deposits and Advances, Part- III Advances not bearing interest, Account with States--Rajasthan". Cash, Chaques, Postage Stamps, Postal Orders and Money orders not accepted, as fee. Candidates, if required, shall be eligible to apply through proper channel. Knowledge of simple Hindi essential. Dearness Allowance according to Rajasthan Government Rules. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled castes/ Tribes candidates for all the posts and they will be preferred for post No. 5 only provided they fulfil the requsite qualifications.

(1) 13 ASSISTANT ENGINEERS FOR IRRIGATION DEPARTMENT (Temporary up to 5 years): other things being equal, two posts reserved for Scheduled Castes/Tribes candidates.

QUALIFICATIONS:-- (a) Candidates must hold a degree in Civil Engineering of a University established by Law in India or a Degree or Diploma of a foreign University of Institution declared by Government as enquivalent to Degree in Civil Engineering of a University established by Law in India. or (b) Must have passed Section A & B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineering (India) and must possess three years continued service as Engineering Subordinates in Irrigation Department, Rajasthan. (c) other things being equal preference will be given to candidates who have experience of Irrigation Department. Pay :- Rs. 250--25--500 E B--25-750. AGE :-Between 21 and 27 years on 1st January, 1958, relaxable by three years for Government servants selected for such service prior to their attaining the age of 27 years, and further relaxable by five years for scheduled Castes/ Tribes. Further exemption from the maximum age limits may be granted by Government in special cases.

———

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, JAIPUR.

ADVERTISEMENT NO. 68.

Applications are invited upto 23rd April, 1958 for under mentioned posts on a prescribed form obtainable against postal Order or Treasury Challan of fifty Naya Paisa (Annas Eight) payable to the Secretary. Fee of Rs 17/8/- (Rs. 10/- in case of Scheduled Caste/Tribe candidate) for post No. 1, Rs 3/- for No. 2, and Rs. 2/- for others (one forth for candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes) should be sent along with application form by crossed Postal Order or Treasury Challan creditable to Head XXXVI-Miscellaneous, Examination Fees, Rajasthan. Candidates residing in other States (except Rajasthan) may deposit the application fee in their State Treasuries creditable to head S-"Deposits & Advances, Part III-Advances not bearing interest, Account with States-Rajasthan". Cash, Cheques, Postage Stamps Money Orders and Demand Drafts not accepted as fee. Candidates, if required, shall have to come for interviews at their own expenses. Government Servants eligible to apply through proper Channel. Knowledge of simple Hindi Essential. Dearness Allowance according to Rajasthan Government Rules. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled Castes/Tribes candidates for all the posts. Candidates should see before hand that only the original Treasury Challan is attached to the application concerned, or in the case of Postal Order the stamps and signatures etc of the Post Office are clearly elegible on the face, and that the application is complete in all respects i. e. in regard to the requisite number of certificates etc.

(1) ONE ASSISTANT ENGINEER FOR P. W. D. (B&R)

TEMPORARY UPTO SECOND FIVE YEAR PLAN PERIOD.

QUALIFICATIONS:—Candidate must hold a degree in Mechanical Engineering from a University established by law in India or a Degree or Diploma of a foreign University or Institution declared by the Government as equivalent to degree in Mechanical Engineering of any recognised Indian University. Working knowledge of Hindi and preferrable of Rajasthan dialects. Other things being equal preference may be given to candidate who underwent a course of training in Buildings and Roads work or Water Supply work. PAY:-Rs. 250-25-500EB-25-750. Age :- relaxable by three years for Governmet Servants Selected for such service prior to their attaining the age of 27 years and furthere relaxation by five years for Scheduled Caste/Tribe candidates. Further exemption from the maximum age limitsmay be granted by Government in special cases

FOR IRRIGATION DEPARTMENT. Posts No. 2 to 8 are temporary for 3 to 10 years but some of them might become permanent except post No. 4 Other things being equal, 12½% posts are reserved for members of Scheduled Castes/Tribes and Backward classes candidates.

(2) TEN SENIOR DRAFTSMAN.

QUALIFICATIONS:-Diploma or certificate in Draftsmanship from any recognised institutions or M. B. M. Engineering College, Jodhpur. Persons having experience in Irrigation Department will be preferred. PAY:—Rs 100-5-150-EB-10-290 EB-10-300. Higher start upto four advance increments at the rate of one increment for each five years experience can be recommended for well qualified and experienced candidates. Age--Upto 25 years, relaxable for Government Servants.

(3) 130-ENGINEERING SUBORDINATES (CIVIL)

QUALIFICATIONS:-Deploma in Civil Engineering from recognised institution or M. B. M. Engineering College, Jodhpur, or Diploma or certificate in Civil Engineering. Holders of Diploma or Certificate in Electrical and Mechnical Engineering may also apply. Candidates having experiences in Irrigation work will be preferred. Pay:—Rs. 90-5-125-EB-10-225-EB 12/1/2-300. Graduate will be allowed Rs.175-/ p. m as starting salary and will be designated as "Junior Engineer" and Diploma holders of recognised institution will be allowed Rs. 113/- as starting salary. AGE:—Same as for post No. 2.

(4) 23 ENGINEERING SUBORDINATES (MECHANICAL)

QUALIFICATIONS:--Holders of Degree or Diploma or Certificate in Mechanical and Electrical Engineering from a reeognised institution. Those who have acquired proficiency by practical experience and possess unrecognised qualifications will also be considered provided qualified hands are not available. PAY:-Same as for post Ns. 3. AGE:-Same as for post No. 2

(5) JUNIOR DRAFTSMAN.

QUALIFICATIONS-Same as for post No.2. If qualified hands are not available in sufficent numbers persons who have attained proficiency by practical experience will also be considered.Pay Rs. 80-5-120 EB-8-100-10-300. Higher start upto four advanced increment at the rate of one advance increment for each five years experience may be recommended for well qualified and experienced candidates.AGE:-same as for post No. 2.

(6) 20 TRACERS.

QUALIFICATIONS.'- Matric with Drawing or Matric with practical experiences as Tracer. Pay:- Rs. 80-4-90 E B -8-120. AGE- same as for post No. 2.

(7) 13 COMPUTORS.

QUALIFICATIONS.'- Should have passed Oveersers examination from any recognised Institution or M.B.M.Engineering College, Jodhpur. Candidates with experience will be preferred PAY- Rs, 80-5-120 EB-8-160-10-200, AGE'.— same as for post No. 2.

(8) 8 MISTRY.

QUALIFICATIONS:-Matric with experience on construction work in Irrigation Department. Should be thoroughly acquinted with specification for earth work, massonary, concreting, puddle and pitching work and should be able to lay out works on ground and to read drawings. Should also be acquainted with work of Scaffolding and centring as used in Irrigation Constructions also to manufacture limes, bricks and surkid. PAY:--Rs. 60-4-80-5-100 EB-8-130 AGE:--Same as for post No. 2.

(9) FOUR OVERSEERS (TEMPORARY up to Feburary, 1961) for P. W. D. (B.&R.)

QUALIFICATIONS:-Candidates must have either obtained Degree or Deploma in Electrical Engineering from a recognised University. AGE:--Same as for post No. 3. AGE:— Up to 25 years relaxable for Government servants upto 35 years.

No. F. 7(278) RECT/57-58/RPSC/51915 dated 24/31-3-1958. Copy forwarded to the:-

Advertisement Manager (2) Hindustan Times, New Delhi for favour of publishing (one insertion only) the advertisement in the next issue of the paper at ordinary rate of their advertisement Charges. The bills in duplicate together with two certified copies of the cutting may be sent for payment. A Copy of the paper in which it is published may be sent to the Recruitment section of this office for information.

Superintendent (Publication) Government Central Press, Jaipur

for favour of publishing the advertisement (one insertion only) in the earliest issue of the Rajasthan Gazette in part VII Section B.

3. Assistant Secretary to the Government of Rajasthan. P. W.D. with reference to his letter No. D-18065/F-10(1)(245) PH-A/57 dated 15th November. 1957.

4- Chief Engineer, Irrigation Rajasthan. Jaipur with reference to his letter No. So-Estt/335 dated the 18th January,1958

5. Chief Engineer. P. W. D. (B.&R.) Jaipur W/R to his letter No. 7-2122/D-21737/57 dated 6th Dec.1957.

(6) Accounts Section, Rajasthan, P. S. C. Jaipur for N/A.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५७ का उत्तर देखिये)

Copy of Government order No. 950-Sc. dated 22nd July, 1947 regarding refund of the net proceeds of entertainment tax to the Municipalities in the State after deduction of Printing and supervision charges.

Government had been pleased to sanction the imposition of the entertainment tax by the town Municipalities of the State in their order No. 1567/Sc dated Nov. 8,1945.

The Government are now further pleased to sanction the procedure to be followed for the refund of the proceeds of the same to the Municipal boards.

A. The Chairman of every Municipal Board will apply to the District Magistrate (Deputy Commissioner) or the Senior Officer as the case may be in the months of September and March every year for the refund of the amount due to the Board for previous half year.

B. The District Magistrate or the Senior Officer will obtain the necessary information from the Nazim about the cost of the Stamps sold within the jurisdiction of that Municipal Board in that half year.

(1) @ as 3 percent on stamps of the denomination of price 3 upto as 4.

(2) @ As. 5/- percent on stamps of higher denomination (of the value of annas six and eight and Rs.1/-)

@ 10 percent on the total cost of Stamps.

D. The District Magistrate or the Senior Officer append a certificate to the will that during the period in question entertainment within jurisdiction of the Municipal Board (Stating the name of each and the value of stamps purchased) and these stamps were utilized for bonafide purpose.

E. The net amount will be drawn by the district Magistrate or the Senior Officer and paid to the Municipal Board twice a year.

The Government are pleased to order that the Chairman, of all the Municipal Boards be directed to apply at once to the Deputy Commissioner, or the Senior Officers concerned for payment to them of amounts due to them for the two years of st. 2002 and for the first half year of st. 2003.

The Government are further pleased to order that the work of Supervision and collection of the entertainment tax will continue with the Government and the Thikinadars as the case may be and the Municipal Board will merely be allowed to enjoy the net proceeds thereof.

No. F. 21 (417) D&A (A)/51.

FROM

The Secretary to the Government,
Commerce & Industries Department,
Rajasthan, Jaipur.

To.

The Director of Industries & Commerce,
Rajasthan, Jaipur.

Sub:—Transfer of entertainment tax at Alwar from the D. I. C. to the Municipal Board, Alwar.

Reference:—Your letter No. A/3178/ dated the 16th May, 1951.

I am directed to convey sanction to the transfer of the amount on account of entertainment tax realised at Alwar by the Commerce & Industries Department to the Municipal Board, Alwar. In future please note that this tax should be realised by the Municipal Boards and not by the Commerce & Industries Department.

Sd/-

Secretary to the Government.

No. F. 21(417) C&I/A/51. Dated Jaipur the Aug.195 1

Copy forwarded to the Secretary, Local Self Government and Medical & Public Health Department for information with reference to his note No. F. 3 (91) I&G/50. dated the 25th April, 1951.

Sd/-

Secretary to the Government.

Copy of letter No. 15/1/3/1377 dated 18-8-51 from

the Director of Industries and Commerce, Rajathsan, Jaipur to. Sr the Superintendent, Industries and Commerce, Bharatpur.

Under intimation received from the Secretary to the Government vide his letter No. F. 21 (417) C&I/A/51 dated 9-8-51 I am to inform you that in future enterteinment tax will be realised by the Municipal Board and not by the Commerce and Industries Department as here to fore.

No. 1860. Dt. Bharatpur the 1-9-51.

Copy forwarded to the:—1. The Secretary Municipal Board, Bharatpur/Alwar/Dholpur Karauli for information and to realise tax from Ist-September 1951, onward.

2. The Manager..........................for information and necessary action.

IMMEDIATE.

SD/-

Super intendent,
Industries & Commerce
Bharatpur

[८०५५

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५६ का उत्तर देखिये)

सरकार द्वारा भूमि अवाप्त करने के जो आदेश दिये गये उनकी सूचि।

१. ठाकुर गुलाबसिंह नायले वालों की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्रम से दिनांक १३—७—५७—२०—११—५७ के सेक्शन ४ व ५ के द्वारा एक्वायर करने की स्वीकृति दे दी गई है। अब इसे अवाप्त नहीं किया जा रहा है।

२. ठिकाना जाखा की ज़मीन अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने क्रम संख्या २५-६-५७-१८-११-५७ व १६—१२—५७ को एल.ए.ओ. को सेक्शन ४,५,६ के आदेश जारी कर दिये हैं व सैक्शन १७ अन्तर्गत एल.ए.ओ को रुपया लेने के लिये लिख दिया गया है।

३. ठिकाना सीकर की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये सेक्शन ४ का नोटिस निकल गया है आगे मामला बोर्ड में विचाराधीन है।

४. ठिकाना खेतड़ी के सम्बन्धि में दफ़ा ४ का नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र द्वारा दिनांक १७—१०—५७ में प्रकाशित हो चुका है।

५. विमान भवन की ज़मीन महाराज जयपुर की निजी सम्पत्ति होने के कारण अवाप्त नहीं की गई है। यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

६. हथरोही फोर्ट के पास की भूमि भी महाराज जयपुर की निजी सम्पत्ति होने के कारण अवाप्त नहीं की गई है और मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

७. चर्च के पास भूमि धारा ४ के अन्तर्गत आदेश जारी हो चुके हैं।

८. ठिकाना कानौता की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्रम से दिनांक ८—१० —५७ १४—११—५७, को एल ए ओ की धारा ४,६,१७ के अन्तर्गत अवाप्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

९. भीमली के डेरे के लिये राज्य सरकार ने दिनांक २५—६—५७ को एल ए ओ की धारा ४ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं व सेक्शन ५ व ६ के लिये मामला विचाराधीन है।

१०. मन्दिर विनोदी लालजी की ज़मीन अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने सेक्सन ४ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं। सेक्सन ५, ६ की कार्यवाही विचाराधीन है।

११. डिग्गी हाउस की जमीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार को लिखा गया था परन्तु उसे अवाप्त करने से मुक्त कर दिया है।

१२. चोमू हाउस की ज़मीन अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्रम से दिनांक २२. ३. ५७, ५. १०. ५७, को एस. ए. ओ. की धारा ४, ४ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं व १०. ११. ५८ के सेक्सन १७ के अन्तर्गत एस. ए. ओ. को कब्जा लेने को लिख दिया है।

१३. ठिकाना सामोद के ज़मीन अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्रम से ६. ६. ५७, १८. ११. ५७, व १३. १२. ५७ को एस. ए. ओ. सेक्शन की धारा ४. ५. ६ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।

१४. श्री बाफना साहब के बंगले के पीछे की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने सेक्शन ४ का नोटिस जारी कर दिया है।

१५. ठिकाना दूदू की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्रम से दिनांक २३. ३. ५७, १८. ११. ५७, १६. १२ ५७ को एस ए ओ की धारा ४, ५, ६ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।

१६. रामबाबू के अहाते के लिये धारा ४ के अन्तर्गत आदेश निकल चुका है।

१७. विचून हाउस को जयपुर सरकार के समय में ही अवाप्त कर लिया गया था, जिसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। 'नगर विकास मण्डल आवश्यक धनराशि एस. ए. ओ. को भेज चुका है।

१८. मोटर गेरेज की पीछे की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने सेक्शन ४ का नोटिस जारी कर दिया है।

१६, लाल कोठी ठिकाना सिवाड़ा का मामला बोर्ड के विचाराधीन है।

२०. शिव दर्शनपुरा की ज़मीन को अवाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने २६. १. ५८ को एस. ए. ओ. के सेक्शन ४ का नोटिस जारी कर दिया है।

जिन जिन को ज़मीनें अवाप्त की जा रही हैं उनकी सूची

१. गुलाबसिंह नायले वालों की ज़मीन मोती डूंगरी रोड़ पर ।

२. ठिकाना नायला की ज़मीन मोती डूंगरी रोड़ पर ।

३. सीकर हाऊस की ज़मीन ।

४. खेतड़ी हाऊस की ज़मीन ।

५. विमान भवन, खासा कोठी, की दक्षिण की तरफ की ज़मीन ।

६. हथरोही फोर्ट ।

७. कालवाड़ ठिकाने की ज़मीन ।

८. चर्च एरिया : हथरोही के पास ।

९. कानोता ठिकाने की ज़मीन ।

१०. मोपजी के डेरी के पास की ज़मीन ।

११. मन्दिर श्री विनोद लाल जी के पास की ज़मीन ।

१२. डिग्गी हाऊस की रिक्त भूमि ।

१३. चोमू हाऊस की रिक्त भूमि ।

१४. सामोद हाऊस की रिक्त भूमि ।

१५. रामबाग रोड़ पर श्री बाफना साहब के पीछे की ज़मीन ।

१६. दूदू हाऊस के पास की रिक्त भूमि ।

१७. राम बाबू के अहाते की ज़मीन ।

१८. विचून हाऊस का अहाता ।

१९. मोटर गैरेज के पीछे की ज़मीन ।

२०. लाल कोठी : ठिकाना सिवाड़ की ज़मीन ।

२१. शिव दर्शनपुरा की कुछ भूमि ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ का उत्तर देखिये)

सागवाड़ा सर्जीकल व आई कम्प के लिये दी गई सहायता व खर्च का ब्योरा जो सर्जिकल कम्प व्यवस्था कमेटी सागवाड़ा से प्राप्त हुआ है ।

सहायता	खर्च
१ राजकीय सहायता १२,००० रु० ३,००० रु. विकास खंड सागवाड़ा से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के मद से औषधि तथा पन्यादि के लिये रु. ४,००० समाज कल्याण विभाग जयपुर से ८० प्रतिशत आदिवादी रोगियों की संख्या होने से रु. ५,००० स्वास्थ्य विभाग राज० यातायात तथा यूनिट की व्यवस्था हेतु ।	१ रोगियों पर खर्च रु० १२३५६ आ. १५ पा. ६ । भोजन, फल, दूध, अर्क, आदि पर रु. ८०३६ आ. ८ पा. ६ रोशनी बिजली, पानी जेनेरेटर, केरोसीन आदि रु. २०४७ ४ आ. खाट, बिस्तर रु. ४६८ आ. १२ दवाई खर्च रु. ४६६ आ. ४ धोबी धुलाई सोडा साबुन रु. ६३२ आ. ११ गंभीर रोगियों को लाने तथा पहुँचाने आदि का प्रवास व्यय रु. ५०२ आ. ८
२ स्थानीय सहायता रु. १०,६४५ आ. १२ नकद रु. ७३५० एवं सामान के रु. ३५६५ आ. १२. नोट :–जनता द्वारा सामान की सहायता में पंडाल बनाने, बले. बल्लियां, खाट, टट्टे, रस्सियां वर्तना, पंखे, मकान किराया पेट्रोमेक्स आदि ।	२ व्यवस्था खर्च रु. १२४६१ आ. ५ पा. ५ भीलवाड़ा से सागवाड़ा पूरे सर्जिकल यूनिट को मय सामान के लाने एवं उदयपुर तक वापस पहुँचाने के यातायात के रु. ३६६४ आ. १४ डाक तार रु. १८६ आ. ६ पा. ६ स्टेशनरी: रु. ५४ आ. १५
३ सामान की बिक्री का प्राप्त रु. १,३६६	३ प्रचार प्रकाशन रु. २८५ आ. १४ पंडाल खर्च रु. १६४८ आ. ४
४ कर्ज जो स्थानीय सूत्रों से पूरा करना है ।	४ रु. ३०६ आ. ६ पा. २ स्वयं सेवक खर्च रु. १७७६ आ. ६. प्याउ तथा पानी का

व्यवस्था पंडाल के बाहर अन्य रोगियों एवं परिचर्या के लिये आये हुए जनता के लिये रु. ६४१ आ. ८ मजदूर, मेहतर, चौकीदार, रसोईयां रु. १८६४ आ. १२

रोशनी गैस रु. ७६८ टूट फूट सामान की मरम्मत रु. १२२ आ. ४ पा. २

अतिथि खर्च रु. ३४६ आ. ३

विविध खर्च रु. ४४८ आ. ८ पा. ६

टोटल रु. २४७१८।५।२

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १७ अप्रेल, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७९०४	३	श्री नाथरा मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
७९१६	१	श्री मोर्ती बाबा चौवरी	श्री मोती बाबा चौधरी
७९१७	अन्तिम से २	फुलेर	फुलेरा
७९१९	अन्तिम	शिकायता	शिकायत
७९२६	८	श्री हजारीलाल बोकोलिया	श्री हजारीलाल बाकोलिया
७९५२	अन्तिम से ४	eommittee	committee
७९५३	१–२	Queston be racommitted to the Commnittee for recongederation	Question be recommitted to the committee for reconsideration.
७९५६	१८	tendeney	tendency
७९५७	८	occured	occurred
७९६५	१	"चोरमन्डी"	"चोर मण्डली"
७९९९	अन्तिम से ६	conntry	country
८०२१	२४	individuass	individuals
८०२१	अन्तिम	rea	are
८०२८	७	डवेलमपमेंट	डवेलपमेंट
८०२८	१५	मूल धर	मूल आधार
८०७४	अन्तिमसे२व२	कंल्र्कस	क्लर्क्स
८०७६	प्रथम	RAJSTHAN	RAJASTHAN
८०७६	१३	chaques	cheques
८०७८	अन्तिमसे११	reeognised	recognised
८०७८	अन्तिम से ५	Sufficent	Sufficient
८०८४	६	enterteinment	entertainment
८०८५	१२	सम्बन्धि	सम्बन्ध